हरियाणा सरकार

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
वर्ष 2015–16
वन विभाग, हरियाणा

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF HARYANA FOREST DEPARTMENT FOR THE YEAR 2015-16

Haryana is primarily an agricultural state with almost 81% of its land under cultivation. It has a geographical area of 44,212 sq.. km, which is merely 1.3% of the geographical area of the country. The state is not bestowed with bounty of natural forests. The extent of recorded forest areas in the state is 1,748 sq. km i.e. 3.95% of its total land area. The forest areas include strips of land along roads, canals, bunds and railways etc. which have been notified as protected forests under the Indian Forest Act, 1927.

The Forest and Tree Cover (FTC) extends only to 6.65% of the geographical area of the state (as per State of Forest Report-2015 published by the Forest Survey of India (FSI) Dehradun) whereas the National Forest Policy, 1988 envisages of having at least 33% of the total geographical area of the country under FTC. The state of Haryana formulated its own State Forest Policy in the year 2006 that aims at increasing the FTC in the state to 20% in a phased manner.

To make up for the deficient forests, the state has developed man-made forests (plantations) on strip lands, community lands and farm lands. In compliance of the provisions made in the Forest Policy of State Government, the Forest Department is making all efforts in increasing the quality and quantity of FTC in the state. Plantations based on successful research works are being carried out in the state to enhance ecosystem services. The forestry activities, especially plantations are being executed in the state to achieve the goal of restoration and amelioration of environment.

During 2015-16, 2.39 Crore plants were planted (Departmental plantations – 1.96 Crore; Distribution of plants - 0.43 Crore) against the planting target of 2.57 Crore plants in the state. The distribution of seedlings was about 22% of the planting carried out in the state during 2015-16. The expenditure under State Plan Schemes remained Rs. 196.95 Crore which includes Special Component Plan for Schedule Castes / Forestry Activity in SC Villages of Rs. 17.70 Crore during the year.

The scheme known as “Extension Forestry on Farm Lands along National/State Highways” which was started during the year 2010-11, also continued in this year. This scheme was launched to check pollution caused by vehicular traffic. Under this scheme, the Forest Department carries out plantations on farm lands along highways in the shape of shelterbelts and also carries out their maintenance for two years. The department and farmers protect the plantations jointly for three years, after which these are handed over to the farmers. Farmers will be the owner of the entire produce at the time of final harvest. In such a way, the scheme is expected to help in combating vehicular pollution, increasing the tree cover as well as income of farmers in the state. A Plantation target of 28 Ha. and 2337 RKM was achieved spending an amount of Rs. 1034.12 Lakh during 2015-16.

The scheme namely “Development of Agro-Forestry – Clonal and Non-Clonal” was started during the year 2008-09 to encourage agro-forestry on farm lands for increasing the FTC in the state. The main emphasis of the scheme was to raise plants of clonal eucalyptus on farmlands of small and marginal farmers. The scheme will also go a long way in augmenting the supply of raw material for wood-based industries and increasing the income of farmers in the state and also increasing the green cover in the state. A Plantation target of 4657.15 ha. and 1000 RKM was achieved spending an amount of Rs. 3704.76 Lakh during 2015-16.

The growing stock in the government forests was estimated as 66 Lakh Cubic Meter during 2015-16 while it was 69 Lakh Cubic Meters during 2014-15. No new forest settlement work was carried out during the year 2015-16. Working Plan of Morni-Pinjore Division is being prepared.

Herbal parks have been developed in all districts to generate awareness about the benefits of medicinal plants, herbs and shrubs. 10 new herbal parks were established during the year 2015-16. A total of 58 herbal parks have been set up.

The state has about 20% of the total forest area under Protected Areas. The state has 2 National Parks, 8 Wildlife Sanctuaries, 2 Conservation Reserves and 3 Mini Zoos as mentioned below:-

National Park

Sr. No.	Name of National Park	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1.	Sultanpur	Gurgaon	05.07.1991	352.17
2.	Kalesar	Yamunanagar	08.12.2003	11570.00

Wildlife Sanctuary

Sr. No.	Name of Wildlife Sanctuary	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1.	Bhindawas	Jhajjar	07.05.1986	1016.94
2.	Chhilchhila	Kaithal	28.11.1986	71.45
3.	Nahar	Rewari	30.01.1987	522.25
4.	Bir Shikargah	Panchkula	29.05.1987	1896.00
5.	Abubshehar	Sirsa	27.11.1987	28492.00
6.	Khaparwas	Jhajjar	27.03.1991	204.36
7.	Kalesar	Yamunanagar	13.12.1996 13.01.2000	13209.00 222.65
8.	Morni Hills (Khol-Hi-Raitan)	Panchkula	10.12.2004 07.09.2007	5501.88 6563.93

Conservation Reserves

Sr. No.	Name of Conservation Reserve	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1.	Saraswati	Kaithal	11.10.2007	11003.00
2.	Bir-Bara-Ban	Jind	11.10.2007	1036.00

Mini Zoos

Sr. No.	Name of Zoo	District	Year of Establishment	Area (in Acre)
1.	Bhiwani	Bhiwani	1982-83	10.97
2.	Pipli	Kurukshetra	1985-86	27.00
3.	Rohtak	Rohtak	1985-86	41.29

The Bombay Natural History Society has set up "Vulture Conservation Breeding Centre" in collaboration with the Forest Department near Pinjore to conserve and rehabilitate vultures which are rapidly decreasing throughout India. This project was started in August, 2001 and was funded by the Darwin Initiative for the Survival of Species of U.K. Government for the first five years and now the

activities are being supported by the funds given by the Royal Society for Protection of Birds (RSPB), London. It is the first centre of its kind in Asia.

The details of vultures in the center are:-

Sr. No.	Species of Vulture	Adult	Juvenile	Total
1.	White backed	28	44	72
2.	Long billed	40	65	105
3.	Slender billed	25	15	40
4.	Himalyan Griffon	2	0	2
	TOTAL	**95**	**124**	**219**

An Elephant Rehabilitation and Research Centre has been set up at Bansantour forest in Yamunanagar district. This centre takes up the rehabilitation of the sick, injured and rescued elephants to provide them natural habitat. An amount of Rs. 16 lakh was spent on this centre during the year 2015-16.

The "Conservation and Breeding Centre for Peafowl and Chinkara" has been established in their natural habitat at Jhabua Reserve Forest (Rewari). Peafowl and chinkara will breed naturally in this centre. The expenditure of the project during 20 years will be around Rs. 20 Crores including salary of the staff. An amount of Rs. 24.39 lakh was spent on this centre during the year 2015-16.

The State Forest Policy proposed to create Self Help Groups (SHGs), particularly of women, in rural areas for income generation activities for the people living below poverty line and involve them in conservation of natural resources. SHGs are given proper training to start their micro-enterprises for self-employment and income generation. Total 2487 Village Forest Committees (VFCs) and 2011 SHGs, mostly of women, have been constituted in the state for socio-economic empowerment of the rural areas.

Physical and Financial performance of the department during the year 2015-16 was as under:-

Sr. No.	(A) PLAN	Physical		Financial (Rs. in Lakh)
		Ha.	RKM	
(a) State Schemes				
1.	Development of Agro-Forestry Clonal and Non-Clonal	4657.15	1000.00	3704.76
2.	Special Component Plan for Schedule Castes / Forestry Activity in SC Villages	2571.03	451.00	1769.64

3.	Social & Farm Forestry	2290.65	0.00	2395.50
4.	Green Belt in Urban Areas	0.00	593.39	810.13
5.	Extension Forestry (Rail, Road & Canal) (Plantation to check Pollution)	28.00	2337.36	1034.12
6.	Rehabilitation of Degraded Forests	1302.00	697.50	1313.04
7.	Strip Plantation on Govt. Land	0.00	3060.00	2272.45
8.	Compensatory Afforestation	0.00	0.00	9.40
9.	Desert Control	115.00	0.00	79.78
10.	Revitalization of Institution in Aravali Hills	670.00	0.00	997.23
11.	Schemes without Plantation Target	0.00	0.00	4043.39
	Total	**11633.83**	**8139.25**	**18429.44**
(b) Centrally Sponsored Schemes Plan				
1.	National Afforestation and Forestry / Afforestation Activities by State Forest Development Agency (SFDA) (Central Share 72.36 lac & State Share 216.85 lac)	1769.00	0.00	289.21
2.	Integrated Development of Wild Life Habitats (Wild Life) (Central Share 90.30 lac & State Share 60.16 lac)	0.00	0.00	150.46
3.	Integrated Forest Protection (Central Share 73.77 lac & State Share 49.18 lac)	0.00	0.00	122.95
4.	Strengthening, Expansion and Improvement of Sanctuaries (Central Share 33.21 lac & State Share 96.42 lac)	0.00	0.00	129.63
	Total	**1769.00**	**0.00**	**692.25**
(d) Wild Life Preservation				
	Protection of Wild Life	0.00	0.00	270.14
	Extension of Zoos & Deer Parks	0.00	0.00	303.28
Total		**0.00**	**0.00**	**573.42**
	Plan Total	**13402.83**	**8139.25**	**19695.11**
(B) NON-PLAN				
1.	Direction & Administration (mainly establishment expenditure)	0.00	0.00	10284.57
2.	Plantation & Enumeration	0.00	0.00	777.35
3.	Logging (felling of trees & furniture making)	0.00	0.00	876.86
4.	Communication and Building (specially buildings' maintenance)	0.00	0.00	29.27
5.	Other Charges (back wages payments)	0.00	0.00	63.31
6.	Others (training, uniform & misc.)	0.00	0.00	109.28
7.	Wild Life Preservation	0.00	0.00	780.97
	Non- Plan Total	**0.00**	**0.00**	**12921.61**
	Plan & Non - Plan Total	**13402.83**	**8139.25**	**32616.72**

(C) DRDA & OTHER AGENCIES				
1.	CAMPA-Compensatory Afforestation Fund Management Planning Authority	3282.91	2100.01	3277.84
2.	CADA Project	1936.67	0.00	178.33
3.	Wood-based Industries	750.00	0.00	277.40
	Total	**5969.58**	**2100.01**	**3733.57**
	GRAND TOTAL	**19372.41**	**10239.26**	**36350.29**

Plan & Non Plan Expenditure:

The plan expenditure of the department during the year 2015-16 was Rs. 196.95 Crore whereas the non plan expenditure was Rs. 129.22 Crore. Revenue amounting to Rs. 48.17 Crore was realized from the sale of major and minor forest produce, Rs. 0.42 Crore from sale of plants, Rs. 3.30 Crore from miscellaneous receipts and Rs. 0.39 Crore from wildlife preservation. Thus, the total revenue receipts and expenditure were Rs. 52.28 Crore and Rs. 326.17 Crore respectively. Establishment expenditure was assessed as Rs. 153.05 Crore which was 47% of the total expenditure. Gross expenditure including funds of Rs. 37.33 Crore made available to the department by other agencies like DRDA etc**.** was Rs 363.50 Crore during the year 2015-16.

An amount of Rs. 3.84 Crore was spent on the construction of new buildings, roads and paths. The old buildings, roads and paths were repaired at a cost of Rs. 2.54 Crore Thus, the expenditure on communication and buildings remained Rs. 6.38 Crore during the year out of which expenditure under state scheme was Rs. 5.14 Crore and expenditure under state CAMPA was Rs. 1.24 Crore.

State-owned Forests Out-turn:

Trees having total volume of 122253 Cubic Meter were felled / harvested by Production Divisions of the Department and trees having total volume of 62505 Cubic Meter were felled / harvested by Haryana Forest Development Corporation (HFDC) in the state. Thus, trees having total volume of 184758 Cubic Meter were harvested from state-owned forests during the year 2015-16.

Forests and Wildlife Offences:

Indian Forest Act 1927, Wildlife (Protection) Act 1972 and rules framed their under remained strictly enforced to protect forests and wildlife in the state. The trend of offences for last five years is given below: -

Offences under Indian Forest Act 1927

Year	Pending on 31st March	Recorded during the year	Total	Decided during the year	Undetected cases of the year	Balance at the end of the year
2011-12	10570	8769	19339	11415	65	7859
2012-13	7859	7459	15318	9751	24	5543
2013-14	5543	8026	13569	8476	1	5092
2014-15	5092	7323	12415	7877	122	4416
2015-16	4416	7993	12409	8210	44	4155

Offences under Wild Life Protection Act 1972

Year	Pending on 31st March	Recorded during the year	Total	Decided/Compounded within the year		Balance in the end of the year
				By Department	By Court	
2011-12	169	456	625	518	28	79
2012-13	79	488	567	427	52	88
2013-14	88	398	486	358	20	108
2014-15	108	425	533	311	30	192
2015-16	192	378	570	418	24	128

Monitoring and Evaluation:

The works of the Forest Department largely consist of raising of nurseries, earthwork, tree planting operations, protection of plantations from damage, guarding forest wealth from theft, soil conservation works, etc. The field staff is directly responsible for executing the works but the works require regular and periodic monitoring & evaluation. Monitoring can be either internal or external. The Forest Department has evolved a mechanism for internal monitoring within the department. External monitoring

is sometimes got conducted by the state government. Also, in case of centrally sponsored schemes, monitoring is done by Govt. of India and in case of externally aided projects by the donor agencies.

Adoption of e-Governance:

Management Information System (MIS) and Geographical Information System (GIS), which are significant tools for scientific planning and management, are being developed to improve efficiency in accounts, administration, forest and wildlife management and personnel management. Global Positioning Systems (GPS) are being used for mapping of forest boundaries, fire affected areas and plantation areas in the state. To monitor changes in Forest Tree Cover in the state, satellite imageries are proposed to be used. Decision Support Systems (DSSs) for core forestry functions like Forest Land Management, Forest Offence Management and Nursery Stock Management etc. have been developed with the help of Madhya Pradesh Forest Department. Another DSS on Forest Assets Management System has also been developed by the department.

Two e-Citizen Services namely “Permission for felling of trees from areas closed under Punjab Land Preservation Act, 1900” and “NOC in respect of Reserved Forests / Restricted Forests / PLPA” have been launched by the department. The Block Forest Areas are being got digitized by HARSAC, Hisar.

(Kumar Sunil Gulati)
Addl. Chief Secretary to Govt. of
Haryana, Forest Department.

Chandigarh
Dated

हरियाणा वन विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2015-16 की समीक्षा

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसके लगभग 81 प्रतिशत भू–भाग पर खेती की जाती है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 44,212 वर्ग कि. मी. है जो कि भारतीय संघ के कुल भू–भाग का केवल 1.3 प्रतिशत है। राज्य में प्राकृतिक वनों का अभाव है। राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र 1,748 वर्ग कि. मी. है जो कि इसके भू–भाग का मात्र 3.95 प्रतिशत है। राज्य में सड़कों, रेलों, बांधों तथा नहरों आदि के साथ लगती पट्टियों की भूमि भी वन क्षेत्र में शामिल की गई है तथा इनको भारतीय वन अधिनियम - 1927 के तहत सुरक्षित वन अधिसूचित करवाया जा चुका है।

राज्य में वन एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 6.65 प्रतिशत भाग पर विद्यमान है (एफ.एस.आई., देहरादून द्वारा प्रकाशित भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट–2015 के अनुसार), जबकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में अंकित है कि देश का कम से कम 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन एवं वृक्षावरण के अधीन होना चाहिए। हरियाणा राज्य ने वर्ष 2006 में अपनी राज्य वन नीति तैयार की जिसके अन्तर्गत राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र को चरण बद्ध तरीके से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

राज्य में वनों की कमी को पूरा करने के लिए भू–पट्टियों, सामुदायिक भूमियों एवं खेतों में मानव निर्मित वनों (पौधारोपण) को विकसित किया गया है। राज्य सरकार की वन नीति के प्रावधानों की अनुपालना में वन विभाग, वन एवं वृक्षावरण की गुणवत्ता व मात्रा वृद्धि हेतु अथक प्रयास कर रहा है। पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं, विशेषरुप से कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए राज्य में सफल अनुसंधान कार्यो पर आधारित पौधारोपण किये जा रहे है। वानिकी कार्यकलापों, विशेष रुप से वृक्षारोपणों को राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण की बहाली व सुधार के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

वर्ष 2015-16 में 2.57 करोड़ पौधो के लक्ष्य के विरूद्ध 2.39 करोड़ पौधे (विभागीय पौधारोपण – 1.96 करोड़ वितरित पौधे – 0.43 करोड़) लगाये गये। वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य में पौध वितरण / रोपण लक्ष्य का 22 प्रतिशत रहा। वर्ष के दौरान प्लान स्कीमों का खर्च 196.95 करोड़ रुपए रहा जिसमें अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना /अनुसूचित जाति गांव में वानिकी गतिविधियों का खर्च 17.70 करोड़ रुपए शामिल हैं।

वाहनों के आवागमन के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए व हरियाणा में पारिस्थितिकी का संरक्षण करने के लिये वर्ष 2010-11 से शुरु की गई " राष्ट्रीय/राजकीय उच्च मार्गों के साथ लगने वाली कृषि भूमि पर वानिकी विस्तार" नामक योजना इस वर्ष में भी जारी रही। इस योजना के तहत वन विभाग शैल्टर बैल्ट के रूप में उच्च मार्गों के साथ कृषि भूमि पर पौधारोपण करता है और दो वर्षो तक इसका रखरखाव भी करता है। इन पौधारोपणों की विभाग

और किसानों द्वारा संयुक्त रूप से तीन वर्षो तक सुरक्षा की जाएगी तथा इसके पश्चात इसको किसानों को सौंप दिया जाएगा। अंतिम फसल कटाई के समय पर पूरे उत्पाद का स्वामी किसान होगा। इस प्रकार से उम्मीद की जाती है कि यह स्कीम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, वृक्षावरण बढ़ाने एवं राज्य में किसानों की आय वृद्धि में मददगार होगी। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 1034.12 लाख रुपए खर्च करके 28 है. 2337 आर.के.एम. भूमि पर पौधारोपण किया गया।

वर्ष 2008-09 से कृषि भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और सम्पूर्ण राज्य में वन एवं वृक्षावरण बढ़ाने के लिए, "कृषि वानिकी का विकास–क्लोनल और नॉन क्लोनल" नामक एक योजना शुरू की गई। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की कृषि भूमि पर क्लोनल सफेदे के पौधे लगाना है। यह स्कीम भी राज्य के किसानों की आय वृद्धि और काष्ठ आधारित इकाईयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने में सहयोगी सिद्ध होगी और राज्य में हरित क्षेत्र भी बढ़ेगा। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 3704.76 लाख रुपए खर्च करके 4657.15 है. तथा 1000 आर.के.एम. भूमि पर पौधारोपण किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान सरकारी जंगलों का अनुमानित ग्रोईंग स्टॉक 66 लाख घ.मी. रहा जबकि वर्ष 2014-15 के दौरान यह 69 लाख घ.मी. था। वर्ष 2015-16 के दौरान कोई नया वन बंदोबस्त कार्य नहीं किया गया। मोरनी–पिंजौर वन मण्डल की कार्य योजना तैयार की जा रही है।

औषधीय पौधों के गुणों के प्रति जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में हर्बल पार्क विकसित किए गए हैं। वर्ष के दौरान 10 नए हर्बल पार्क विकसित किए गए। अब तक 58 हर्बल पार्क विकसित किए जा चुके हैं।

राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राज्य में 2 राष्ट्रीय पार्क, 8 वन्यजीव अभयारण्य, 2 संरक्षण आरक्षः तथा 3 लघु चिड़ियाघर है जिनका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

राष्ट्रीय उद्यान

क्र. सं.	राष्ट्रीय उद्यान का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1.	सुलतानपुर	गुड़गांव	05.07.1991	352.17
2.	कलेसर	यमुनानगर	08.12.2003	11570.00

वन्य–प्राणी विहार

क्र. सं.	वन्य–प्राणी विहार का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1.	भिण्डावास	झज्जर	07.05.1986	1016.94
2.	छिलछिला	कैथल	28.11.1986	71.45
3.	नाहड़	रेवाड़ी	30.01.1987	522.25
4.	बीड़ शिकारगाह	पंचकूला	29.05.1987	1896.00
5.	अबूबशहर	सिरसा	27.11.1987	28492.00
6.	खापड़वास	झज्जर	27.03.1991	204.36
7.	कलेसर	यमुनानगर	13.12.1996	13209.00
			13.01.2000	222.65
8.	मोरनी हिल्ज (खोल–हाय–रायतन)	पंचकूला	10.12.2004	5501.88
			07.09.2007	6563.93

संरक्षण आरक्षः

क्र. सं.	संरक्षण आरक्षः का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1.	सरस्वती	कैथल	11.10.2007	11003.00
2.	बीड बड़ा वन	जीन्द	11.10.2007	1036.00

लघु चिड़ियाघर

क्र. सं.	चिड़ियाघर का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)
1.	भिवानी	भिवानी	1982-83	10.97
2.	पिपली	कुरूक्षेत्र	1985-86	27.00
3.	रोहतक	रोहतक	1985-86	41.29

बाम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा पिंजौर के निकट वन विभाग के सहयोग से गिद्धों के संरक्षण एवं पुर्नवास के लिए "गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र" की स्थापना की गई है जो कि पूरे भारत में तेजी से कम हो रहे है। यह केन्द्र अगस्त 2001 में शुरू किया गया तथा यह केन्द्र ब्रिटिश सरकार की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए डार्विन इनिशिएटिव द्वारा पहले पांच साल के लिए वित्त पोषित किया गया और अब इस केन्द्र की गतिविधियां पक्षियों के संरक्षण हेतु रॉयल सोसायटी (आर.एस.पी.बी.) लन्दन द्वारा बी.एन.एच.एस. को उपलब्ध करवाये गये धन से ही समर्थित हैं। गिद्धों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु स्थापित एशिया में यह अपनी तरह का पहला केन्द्र है।

इस केन्द्र में उपलब्ध गिद्धों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	गिद्ध की प्रजाति	वयस्क	किशोर	कुल
1.	White backed	28	44	72
2.	Long billed	40	65	105
3.	Slender billed	25	15	40
4.	Himalyan Griffon	2	0	2
	कुल	**95**	**124**	**219**

यमुनानगर जिले के बनसन्तौर जंगल में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। केन्द्र में बीमार, घायल एवं बचाये गये हाथियों को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जाता है जिससे इन्हें प्राकृतिक आवास मिल सके। इस केन्द्र पर 16 लाख रूपये की राशि वर्ष 2015-16 के दौरान खर्च की गई।

रेवाड़ी जिले के झाबुआ आरक्षित वन क्षेत्र में मोर तथा चिंकारा के लिए संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र में मोर व चिंकारा का प्राकृतिक ढंग से प्रजनन किया जायेगा। 20 वर्ष तक चलने वाली इस परियोजना पर स्टॉफ के वेतन सहित लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस केन्द्र पर 24.39 लाख रूपये की राशि वर्ष 2015-16 के दौरान खर्च की गई।

राज्य वन नीति में विशेष रूप से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के गठन पर बल दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय सजृन गतिविधियों में वृद्धि हो सके और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में शामिल किया जा सके। इन स्वयं सहायता समूहों को लघु–उद्योगों के माध्यम से स्व–रोजगार पाने एवं आय में बढ़ोतरी करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिये कुल 2487 ग्राम वन समितियों एवं विशेषतः महिलाओं के 2011 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

विभागीय भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति वर्ष 2015-16 के दौरान निम्न प्रकार से रहे :–

क्र. सं.	(अ) योजना	भौतिक		वित्तिय (रुपए लाखों में)
		है.	आर.के.एम.	
(क) राज्य स्कीमें				
1.	कृषि वानिकी का कूटक / गैर कूटक विकास	4657.15	1000.00	3704.76
2.	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना / अनुसूचित जाति गांव में वानिकी गतिविधियां	2571.03	451.00	1769.64
3.	सामाजिक तथा कृषि वानिकी	2290.65	0.00	2395.50
4.	शहरी क्षेत्रों में हरी पट्टी	0.00	593.39	810.13
5.	वानिकी विस्तार रेल, सड़क और नहर	28.00	2337.36	1034.12
6.	परिभ्रष्ट वनों का पुनर्वास	1302.00	697.50	1313.04
7.	सरकारी भूमि पर पट्टीदार पौधारोपण	0.00	3060.00	2272.45

8.	प्रतिपूरक वानिकी	0.00	0.00	9.40
9.	मरूस्थल नियंत्रण	115.00	0.00	79.78
10.	अरावली पहाड़ियों पर संस्थाओं का पुनरूत्थान	670.00	0.00	997.23
11.	पौधारोपण लक्ष्य रहित स्कीमें	0.00	0.00	4043.39
जोड़		**11633.83**	**8139.25**	**18429.44**
(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (शेयर बेसिज)				
1.	राष्ट्रीय वनीकरण और वानिकी / राज्य वन विकास एजेंसी द्वारा वनीकरण गतिविधियां (एस. एफ.डी.ए.) द्वारा क्रियान्वित (केन्द्रीय शेयर – 72.36 लाख रुपए तथा राज्य शेयर – 216.85 लाख रुपए)	1769.00	0.00	289.21
2.	वन्यजीव निवास के समन्वित विकास (वन्यजीव) (केन्द्रीय शेयर – 90.30 लाख रुपए तथा राज्य शेयर – 60.16 लाख रुपए)	0.00	0.00	150.46
3.	समेकित वन संरक्षण (केन्द्रीय शेयर – 73.77 लाख रुपए तथा राज्य शेयर – 49.18 लाख रुपए)	0.00	0.00	122.95
4.	वन्य प्राणी विहारों का सुधार, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण (केन्द्रीय शेयर - 33.21 लाख रुपए तथा राज्य शेयर - 96.42 लाख रुपए)	0.00	0.00	129.63
जोड़		**1769.00**	**0.00**	**692.25**
(ग) वन्य–प्राणी परिरक्षण				
1.	वन्य–प्राणी संरक्षण	0.00	0.00	270.14
2.	चिड़ियाघरों व हिरण पार्कों का विस्तार	0.00	0.00	303.28
जोड़		**0.00**	**0.00**	**573.42**
योजना जोड़		**13402.83**	**8139.25**	**19695.11**
(ब) गैर–योजना				
1.	निर्देशन एवं प्रशासन (मुख्यतः स्थापना व्यय)	0.00	0.00	10284.57
2.	पौधारोपण एवं गणना	0.00	0.00	777.35
3.	लोंगिग (वृक्षों की कटाई तथा फर्नीचर बनाना)	0.00	0.00	876.86
4.	संचार एवं भवन (खासतौर पर भवनों की मुरम्मत पर)	0.00	0.00	29.27
5.	अन्य चार्जिज (बकाया राशि भुगतान)	0.00	0.00	63.31
6.	अन्य (प्रशिक्षण, वर्दी एवं मिश्रित)	0.00	0.00	109.28
7.	वन्य–प्राणी परिरक्षण	0.00	0.00	780.97
गैर–योजना जोड़		**0.00**	**0.00**	**12921.61**
योजना तथा गैर–योजना जोड़		**13402.83**	**8139.25**	**32616.72**
(स) डी.आर.डी.ए. तथा अन्य संस्थाएं				
1.	कैम्पा (प्रतिपूरक वानिकी कोष प्रबन्धन पौधारोपण संस्था)	3382.91	2100.01	3277.84
2.	काढा	1936.67	0.00	178.33
3.	काष्ठ आधारित उद्योग	750.00	0.00	277.40
जोड़		**5969.58**	**2100.01**	**3733.57**
कुल –जोड़		**19372.41**	**10239.26**	**36350.29**

योजना तथा गैर योजना खर्च :

वर्ष 2015-16 के दौरान विभागीय योजनागत खर्चा 196.95 करोड़ रुपए था जबकि गैर योजनागत स्कीमों पर 129.22 करोड़ रुपए रहा। मुख्य व लघु वन उपज की बिक्री से 48.17 करोड़ रुपए, पौधों की बिक्री से 0.42 करोड़ रुपए, मिश्रित प्राप्तियों से 3.30 करोड़ रुपए तथा वन्य–प्राणी संरक्षण से 0.39 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए। इस प्रकार विभागीय राजस्व प्राप्तियां व कुल खर्च क्रमशः 52.28 करोड़ रुपए व 326.17 करोड़ रुपए रहा। कुल स्थापना खर्च 153.05 करोड़ रुपए आंका गया जो कि कुल खर्च का 47 प्रतिशत है। वर्ष 2015-16 में डी.आर.डी.ए. इत्यादि अन्य एजेन्सियों से प्राप्त 37.33 करोड़ रुपए की राशि सहित सम्पूर्ण खर्च 363.50 करोड़ रुपए रहा।

नए भवनों, सड़कों व मार्गों के निर्माण पर 3.84 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। पुराने भवनों, सड़कों व मार्गों की मुरम्मत 2.54 करोड़ रुपयों की लागत से की गई। इस प्रकार से वर्ष के दौरान विभाग द्वारा संचार तथा भवनों पर 6.38 करोड़ रुपए खर्च किए और जिसमें स्टेट स्कीमों का खर्चा 5.14 करोड़ रुपए तथा कैम्पा प्रोग्राम का खर्चा 1.24 करोड़ रुपए रहा।

राज्य के सरकारी जंगलों से कटाई

विभागीय उत्पादन मण्डलों द्वारा 122253 घ.मी. तथा हरियाणा वन विकास निगम द्वारा 62505 घ.मी. वृक्षों को काटा गया। इस प्रकार से वर्ष 2015-16 में सरकारी जंगलों से 184758 घ. मी. वृक्षों की कटाई की गई।

वन एवं वन्य–प्राणी अपराध

भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य–प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 तथा इसके अधीन बनाए गए नियम राज्य में वन एवं वन्य–प्राणियों के संरक्षण व सुरक्षा के लिये सख्ती से लागू रहे। पिछले पांच वर्षों के अपराध सम्बन्धी आंकड़ों की समीक्षा निम्न प्रकार रही।

भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत अपराध

वर्ष	31 मार्च को बकाया	वर्ष के दौरान दर्ज हुए	जोड़	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के दौरान जिन मामलों का पता नहीं चला	वर्ष के अन्त में बकाया
2011-12	10570	8769	19339	11415	65	7859
2012-13	7859	7459	15318	9751	24	5543
2013-14	5543	8026	13569	8476	1	5092
2014-15	5092	7323	12415	7877	122	4416
2015-16	4416	7993	12409	8210	44	4155

वन्य–प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अपराध

वर्ष	31 मार्च को बकाया	वर्ष के दौरान दर्ज हुए	जोड़	वर्ष के दौरान निपटान		वर्ष के अन्त में बकाया
				विभाग द्वारा	न्यायालय द्वारा	
2011-12	169	456	625	518	28	79
2012-13	79	488	567	427	52	88
2013-14	88	398	486	358	20	108
2014-15	108	425	533	311	30	192
2015-16	192	378	570	418	24	128

जांच एवं मूल्यांकन

वन विभाग के कार्य मुख्यतः नर्सरी उगाना, अर्थ वर्क, पौधे लगाना, पौधारोपण की देखरेख के दौरान उसका नुकसानों से बचाव करना; वन सम्पदा की चोरी रोकना, भू–संरक्षण कार्य आदि हैं। इन कार्यों को अमल में लाने के लिए क्षेत्रीय अमला सीधे तौर पर जिम्मेवार है, परन्तु इन कार्यों की नियमित तथा सामायिक जांच एवं मूल्यांकन की आवश्यकता है। जांच एवं मूल्यांकन आन्तरिक व बाहरी तौर से किया जा सकता है। वन विभाग ने विभाग के अन्दर ही आन्तरिक मूल्यांकन की प्रणाली विकसित की है। कभी–कभी राज्य सरकार द्वारा बाहरी मूल्यांकन भी करवाया जाता है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के मामलों में मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा तथा बाहरी मदद से चलाई जा रही परियोजनाओं का मूल्याकंन अनुदान देने वाली संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है।

ई– शासन अंगीकार :

लेखा, प्रशासन, वन एवं वन्य जीव तथा कार्मिक प्रबंधन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0आई0एस0) का विकास किया जा रहा है। राज्य में पौधारोपण क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, आग से प्रभावित क्षेत्रों के नक्शे तैयार करने के लिये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी0पी0एस0) का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र के परिवर्तन को आंकने के उद्देश्य से उपग्रहों से प्राप्त इमेजों के उपयोग का प्रस्ताव है। वन भूमि प्रबन्धन, वन अपराध प्रबंधन तथा नर्सरी स्टॉक प्रबंधन आदि मुख्य वानिकी कार्यो हेतु मध्य प्रदेश वन विभाग की सहायता से निर्णय सहायक तंत्रों का विकास किया जा रहा है। वन सम्पति प्रबंधन नामक एक अन्य निर्णय सहायक तन्त्र भी विकसित करवाया जा रहा है।

"पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम, 1900 के तहत बंद क्षेत्रों से पेड़ काटने बारे अनुमति" तथा "आरक्षित वन / प्रतिबंधित वन / पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम के तहत बंद क्षेत्रों बारे अनापति पत्र" नामक दो नागरिक सेवाओं को विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ब्लाक वन क्षेत्रों को हारसैक, हिसार की मदद से *डिजिटाईजड* करवाया जा रहा है।

(कुमार सुनील गुलाटी)
अति. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

चण्डीगढ़
दिनांक

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2015-16

क्र. सं.	भाग	अध्याय	फार्म संख्या	फार्म का विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	एक	एक	16	चराई के लिए बन्द तथा खुला क्षेत्र।	8
			17	राज्य वनों में चराई सम्बन्धी विवरण।	9
2.	एक	दो	-		
3.	एक	तीन	-		
4.	एक	चार	-		
5.	एक	पॉच	-		
6.	एक	छः	-		
7.	दो	एक	7	आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीयकृत, धारा 38, धारा 4 व 5 के अधीन बन्द वन क्षेत्र।	24-34
			8	वन बन्दोबस्त में की गई प्रगति।	36
			9	सीमाओं की हदबन्दी और अनुरक्षण का रिकार्ड।	37
			10	भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षित तथा सर्वेक्षणाधीन वन क्षेत्र।	38
			18	पुनरोत्पादन तथा पौधारोपण की प्रगति।	39-40
8.	दो	दो	11	कार्य योजनाओं में की गई प्रगति।	43
			12	संचार तथा भवन।	44-51
9.	दो	तीन	19	ईमारती लकड़ी और ईंधन का उत्पादन (घन मीटर) में।	60-61
			20	लघु वन उपज का उत्पादन।	62
			21	लकड़ी तथा अन्य उपज का हिसाब जो काटी गई या सरकारी एजैन्सी द्वारा एकत्रित की गई एवं डिपों पर लाई गई स्थानीय दे दी गई या जिसका अन्यथा निपटान किया गया।	63
			22	बिक्री डिपो पर लकड़ी तथा अन्य उपज का मूल्य दर्शाते हुये विवरण पत्र।	64
			23	निष्क्रिय स्टॉक का मूल्य दर्शाते हुये विवरण पत्र।	65-66
10.	दो	चार	—		
11.	दो	पाँच	24, 24-ए, 24-बी	राजस्व तथा व्यय का सारांश।	69-70
			26	राजस्व के सम्बन्ध में प्राप्त और बकाया राजस्व।	71-72
			27	ठेकेदारों और वितरकों के सम्बन्ध में बकाया और देयतायें।	73-74
12.	दो	छः	-		
13.	दो	सात	-		
14.	दो	आठ	-		
15.	दो	नौ	13	वन नियमों का उल्लंघन सम्बन्धी रजिस्टर।	93-96
			14	दावानल से रक्षित वन क्षेत्र।	97
			15	दावानल के मामले।	98-100

भाग एक–अध्याय एक

भूमिका

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसके लगभग 81 प्रतिशत भू–भाग पर खेती की जाती है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 44212 वर्ग कि. मी. है जो कि भारतीय संघ के कुल भू–भाग का केवल 1.3 प्रतिशत है। राज्य में प्राकृतिक वनों का अभाव है। राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र 1748 वर्ग कि. मी. है जो कि इसके भू–भाग का मात्र 3.95 प्रतिशत है। राज्य में सड़कों, रेलों, बांधों तथा नहरों आदि के साथ लगती पट्टियों की भूमि भी वन क्षेत्र में शामिल की गई है तथा इनको भारतीय वन अधिनियम – 1927 के तहत सुरक्षित वन अधिसूचित करवाया जा चुका है।

राज्य में वन एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 6.65 प्रतिशत भाग पर विद्यमान है (एफ. एस. आई., देहरादून द्वारा प्रकाशित भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट-2015 के अनुसार), जबकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में अंकित है कि देश का कम से कम 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन एवं वृक्षावरण के अधीन होना चाहिए। हरियाणा राज्य ने वर्ष 2006 में अपनी राज्य वन नीति तैयार की जिसके अन्तर्गत राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र को वर्तमान 6.65 प्रतिशत से बढ़ाकर चरण बद्ध तरीके से 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

राज्य में वनों की कमी को पूरा करने के लिए भू–पट्टियों, सामुदायिक भूमियों एवं खेतों में मानव निर्मित वनों (पौधारोपण) को विकसित किया गया है। राज्य सरकार की वन नीति के प्रावधानों की अनुपालना में वन विभाग, वन एवं वृक्षावरण की गुणवत्ता व मात्रा वृद्धि हेतु अथक प्रयास कर रहा है। पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं, विशेषरुप से कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए राज्य में सफल अनुसंधान कार्यों पर आधारित पौधारोपण किए जा रहे हैं। वानिकी कार्यकलापों, विशेष रुप से वृक्षारोपणों को राज्य में कियान्वित किया जा रहा है जिससे कि पर्यावरण की बहाली व सुधार के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

वर्ष 2008-09 से कृषि भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और सम्पूर्ण राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए "कृषि वानिकी का विकास–क्लोनल और नॉन क्लोनल" नामक एक योजना शुरु की गई है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की कृषि भूमि पर वाणिज्यिक कीमत वाले क्लोनल सफेदा और पापुलर के पौधे उगाना है। यह योजना राज्य की काष्ठ आधारित इकाईयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। इस योजना के तहत वर्ष 2015-16 में 37.05 करोड़ रु. खर्च किए गए व वर्ष 2016-17 के तहत 25.90 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित किया गया है।

वाहनों के आवागमन के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 2010-11 से "राजकीय/राष्ट्रीय उच्च मार्गों के साथ लगने वाली कृषि भूमि पर वानिकी का विस्तार" नामक एक अन्य योजना शुरु की गई है। शैल्टर बैल्ट के रुप में उच्च मार्गों के साथ कृषि भूमि पर वन विभाग द्वारा पौधारोपण के कार्य किए जा रहे हैं। पौधारोपण के बाद दो वर्षों तक विभाग द्वारा

देखभाल का कार्य किया जाएगा। इस पौधारोपण की विभाग और किसानों द्वारा संयुक्त रुप से तीन वर्षों तक सुरक्षा की जाएगी। तीन वर्षों के बाद पौधारोपण किसानों को सौंप दिया जाएगा। अन्त में फसल का स्वामी किसान होगा। अंतिम पौधारोपण की कटाई के बाद राज्य सरकार शैल्टर बैल्ट पर दोबारा पौधारोपण करके तीन वर्षों तक देखभाल करेगी। वर्ष 2015-16 के दौरान इस परियोजना पर 10.34 करोड़ रुपए खर्च किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान विभागीय स्कीमों व अन्य पौधारोपण कार्यक्रमों के तहत कुल 19372.41 है. व 10239.26 आर.के.एम. क्षेत्र पर पौधारोपण कर विभाग द्वारा 1.96 करोड़ पौधे लगाए गए। इसके अलावा 0.43 करोड़ पौधे आम जनता में मुफत बांटे गए। इस प्रकार से कुल 2.39 करोड़ पौधे वर्ष के दौरान राज्य में लगाए गए। वर्ष 2015-16 के दौरान कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु अनुसूचित जाति कम्पोनेंट का खर्च 17.70 करोड़ रु. रहा व विभागीय प्लान स्कीमों के अन्तर्गत 196.95 करोड़ रुपए वर्ष के दौरान खर्च किए गए। कुल मिलाकर पौधारोपण व ग्रामीण स्तर पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया।

वानिकी अंशभाग के अन्तर्गत विभागीय वार्षिक योजनागत कार्यो का वर्ष 2015-16 का संक्षिप्त, विश्लेषणात्मक विवरण निम्न तालिका के तहत आंका जा सकता हैः–

Budget Allocation & Expenditure (revised) - 2015-16

A. Total Budget	**(In Crore)**		
	Allocation	**Exp.**	**%**
	221.42	**196.95**	**89**
State Plan	203.12	190.03	94
Central Share (4 Schemes)	18.30	6.92	38
Physical Achievement			
Area in Ha.	14293	13402.83	94
Area in RKM	9145	8139.25	89
B. State Schemes including Share Basis (SS)			
Budget	210.25	194.25	92
State Schemes – (11 Schemes)			
Budget	**155.48**	**146.03**	**93**
Area in Ha.	14293	13402.83	94
Area in RKM	9145	8139.25	89
C. Centrally Sponsored Schemes – (4 Schemes)*			
Total Budget	**18.30**	**6.92**	**38**
CSS	11.17	2.70	24
SS	7.13	4.22	59
D. Wild Life Preservation - (2 Schemes)			
Total State Budget	**6.44**	**5.73**	**89**
Protection of Wildlife	3.00	2.70	90
Extension of Zoo & Deer Parks	3.44	3.03	88

*** 1. Strengthning Expansion and improvement of sancturies**	**3.90**	**1.30**	**33**
CSS	2.50	0.33	13
SS	1.40	0.97	69
*** 2. Integrated Development of Wildlife habitats**	**1.65**	**1.50**	**91**
CSS	1.00	0.90	90
SS	0.65	0.60	92

*** 3. Integrated Forest Protection (Now named as Intensification of Forest Management**	**1.95**	**1.23**	**63**
CSS	1.17	0.74	63
SS	0.78	0.49	63
*** 4. National Afforestation and Forestry / Afforestation activitiesby State Forest Development Agency (SFDA)**	**10.80**	**2.89**	**27**
CSS	6.50	0.72	11
SS	4.30	2.17	50

स्वयं सहायता समूह

राज्य वन नीति में विशेष रुप से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के गठन पर बल दिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो सके। इन स्वयं सहायता समूहों को लघु–उद्योगों के माध्यम से स्व–रोजगार पाने व आय में बढ़ोतरी करने हेतु बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिये विशेषतः महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर, 2011 स्वयं सहायता समूह एवं 2487 ग्राम वन समितियों का गठन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों कीं सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो सके।

हर्बल पार्क

हरियाणा राज्य को औषधीय पादप राज्य बनाने के संकल्प के साथ वर्ष 2015-16 में औषधीय उद्यानों की स्थापना पर 468.46 लाख रुपये खर्च किये गए ताकि लोगों में औषधीय पौधों के प्रति जागरुकता बढ़े तथा वह इनकी खेती कर सकें। वर्ष 2016-17 में इस कार्यक्रम पर 123 लाख रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इन उद्यानों तथा पार्कों के मुख्य उद्देश्य हैं; अनुसंधान तथा अध्ययन हेतु औषधीय पौधों का संरक्षण करना; स्वदेशी तथा विदेशी पौधों की प्रजातियों का संरक्षण व विस्तार करने के उद्देश्य से जीनपूल का विकास करना; क्षेत्र के स्थानीय लोगों में औषधीय तथा सुगन्धित पौधों के कृषिकरण व उपयोग को प्रचलित करना; सतत् औषधीय पौधों पर आधारित संसाधनों की स्थापना करना।

हरियाणा के प्रत्येक जिले में औषधीय पौधों के नाम से 2005-06 से 2015-16 तक 4160.93 लाख रुपये की लागत से 58 औषधीय उद्यान/पार्कों का विकास किया जा चुका है। स्थापित औषधीय उद्यानों का विवरण निम्न प्रकार से दर्ज किया जाता है:–

Sr. No.	Name of District	Name of Herbal Park	Location	Area of Herbal Park (in acres)	Status of Land	Year of Establishment
1	2	3	4	5	6	7
1.	Panchkula	Kapur Vatika	DP-244, Mallah Road	25	Protected Forest	2005-06
2.		Thapli Herbal Park	Village Thapli	10	Protected Forest	2011-12
3.		Tikar – Tal Herbal Park	Tikar – Tal	20	Protected Forest	2011-12
4.	Ambala	Harar Vatika	Old Officer's Colony	5	Govt. land	2005-06
5.		Cantt Herbal Park	Ambala Cantt	25	Army land	2009-10
6.	Ambala	Wakf Board Herbal Park	Ambala Cantt.	5	Govt. land	2011-12
7.		Shankar Herbal Park	Khera Village	4	Panchayat Land	2012-13
8.	Yamunanagar	Rudraksh Vatika	Chuharpur Village	184	Reserved Forest	2006-07
9.		Adibadri Herbal Park	Adibadri	10	Panchayat Land	2009-10
10.	Kurukshetra	Arjun Vatika	Rawgarh	8	Protected Forest/	2007-08

					Panchayat Land	
11.	Kaithal	Jamun Vatika	Siwan	25	Reserved Forest	2007-08
12.		Guhna Vatika	Guhna Village	15	Panchayat Land	2011-12
13.	Karnal	Ashok Vatika	Gharaunda	5	Municipal Committee Land	2008-09
14.		Indri Herbal Park	Indri	10	Protected Forest	2011-12
15.	Panipat	Bilva Vatika	Patti Kalyana Village	14	Panchayat Land	2008-09
16.	Sonepat	Amaltas Vatika	HAIC Murthal	8	Govt. land	2008-09
17.		Khanpur Kalan Herbal Park	Khanpur	12	Govt. land	2009-10
18.	Rohtak	Neem Vatika	Samar Gopalpur	42	Govt. land	2008-09
19.	Jhajjar	Putranjiva Vatika	Kamalgarh	8	Panchayat Land	2008-09
20.		Herbal Park Bhindawas	Bhindawas	5	Wildlife Santuary	2009-10
21.	Gurgaon	Anwala Herbal Vatika	Sohna	15	Reserved Forest	2008-09
22.	Faridabad	Ratanjot Vatika	Gurgaon Canal, Faridabad	10	Protected Forest	2008-09
23.	Mahendergarh	Guggal Vatika	Salimabad	35	Reserved Forest	2008-09
24.		Chawan Rishi Vatika	Doshi Village	45	Panchayat Land	2008-09
25.		Faizalipur Herbal Park	Faizalipur Village	17	Panchayat Land	2011-12
26.		Kariya Herbal Park	Kariya Village	16	Panchayat Land	2011-12
27.		Kheri Herbal Park	Kheri Village	17	Panchayat Land	2011-12
28.		Mohalara Herbal Park	Mohalara Village	16	Panchayat Land	2013-14
29.		Blaha Kalan Herbal Park	Blaha Kalan Village	19	Panchayat Land	2013-14
30.		Mahendergarh Herbal Park	Forest Complex, Mahendergarh	5	Govt. Land	2015-16
31.		Bachhod Herbal Park	Bachhod Village	10	Panchayat Land	2014-15
32.		Koka Herbal Park	Koka Village	10	Panchayat Land	2014-15
33.		Kanina Herbal Park	Kanina Village	10	Panchayat Land	2014-15
34.	Rewari	Indira Gandhi Memorial Herbal Park	Devlawas	16	Panchayat Land	2008-09
35.		Gurwara Herbal Park	Gurawara	9	Panchayat Land	2014-15
36.		Rajiv Gandhi Memorial Herbal Park	Masani Barrage, Dharuheda	15	Govt. land	2011-12
37.		Khalilpuri Vatika	Khalilpuri	9	Panchayat Land	2011-12
38.	Rewari	Shaheed Bhagat Singh Herbal Park Kakodia	Kakodia	9	Panchayat Land	2011-12

39.		Netaji Subhash Chander Bose Akeda Vatika	Akeda Village	18	Panchayat Land	2011-12
40.		Mahatma Gandhi Memorial Herbal Park	Karnawas Village	6	Panchayat Land	2011-12
41.		Ramgarh Vatika	Ramgarh Village	4	Panchayat Land	2011-12
42.		Gugodh Vatika	Gugodh Village	6	Panchayat Land	2013-14
43.		Sir Chhotu Ram Herbal Park Ghurkawas	Ghurkawas Village	6	Panchayat Land	2013-14
44.		Pali Herbal Park	Pali Village	12	Panchayat Land	2013-14
45.		Sardar Ballabh Bhai Patel Herbal Park, Gujar Ghatal	Gujar Ghatal Village	37	Panchayat Land	2014-15
46.		Baba Ban Dev Herbal Park, Raipur	Raipur Village	8	Panchayat Land	2014-15
47.		Mirpur Herbal Park	Mirpur University	10	Institutional Land	2014-15
48.		Bhurthala Herbal Park	Bhurthala Village	4	Panchayat Land	2014-15
49.	Mewat	Aloevera Vatika	Sonkh Village	15	Sec. 4&5 of PLPA	2008-09
50.	Hisar	Shatavar Vatika	Bir Hisar	25	Protected Forest	2008-09
51.		Sh. Mitra Sain Arya Herbal Park	Khanda Kheri Village	15	Panchayat Land	2015-16
52.	Bhiwani	Ch. Surender Singh Memorial Herbal Park	Kairu	65	Panchayat Land	2008-09
53.		Ch. Surender Singh Memorial Herbal Park	Tosham	45	Protected Forest	2009-10
54.	Sirsa	Bahera Vatika	Fulkan Village	17	Panchayat Land	2008-09
55.	Fatehabad	Ch. Surender Singh Memorial Herbal Park / Mulethi Vatika	Gilakhera Village	14	Closed u/s.-38 of IFA	2009-10
56.		Er. Kanwar Sain Gupta Herbal Park	Tohana	25	Govt. Land	2015-16
57.	Jind	Chandan Vatika	D.C. Colony, Gohana Road, Jind	16	Govt. Land	2008-09
58.		Kahsoon Herbal Park	Kahsoon	20	Closed U/S-38	2013-14

इको टूरिज्म

लोगों को प्रकृति के करीब लाने के उद्देश्य से, कलेसर के वनों, मोरनी की पहाड़ियों एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में ईको–टूरिज्म परियोजना आरम्भ की गई है।

इस परियोजना में निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई हैं:–

क. सं.	जिले का नाम	नेचर कैम्प का नाम	क्षेत्र (एकड़ में)	सुविधाएं
1.	पंचकूला	थापली	13	14 हटस, डाईनिंग हॉल, कॉनफ्रैंस हॉल, वैदिक स्पा, कीचन तथा बाथरुम
2.	पंचकूला	मोरनी किला	3	3 बड़े कमरे, कीचन तथा बाथरुम। अब यह किला मोरनी वन मण्डल, पिंजौर को स्थानांतरित कर

				दिया गया है।
3.	यमुनानगर	चुहड़पुर	183	5 हटस, डाईनिंग हॉल, कॉनफ्रैंस हॉल, कीचन, इंटरपरटेशन सेंटर तथा बाथरुम
4.		बनसंतौर	9	6 हटस, डाईनिंग हॉल, मीटिंग हॉल, कीचन तथा बाथरुम
5.		कलेसर	2	किचन, डाईनिंग क्षेत्र व टैंटिंग के लिए सुविधा तथा बाथरुम

ये नेचर कैम्प स्थानीय लोगों की सहभागिता, भागीदारी व सहयोग से विकसित किये गये हैं। ईको टूरिज्म परियोजना के द्वारा लोगों को वन, वन्य प्राणियों, पर्यावरण के बारे में जागरुक किया जाता है तथा वनों, वन्य प्राणियों व पर्यावरण को आग से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देकर इनको आग से बचाने के लिए प्रेरित किया जाता है। लोगों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने के साथ ही प्रकृति से लाभ उठाने के लिए जानकारी दी जाती है।

ईको टूरिज्म गतिविधियों के प्रबन्धन व संचालन के लिए ईको टूरिज्म सोसाईटी ऑफ हरियाणा का गठन प्रस्ताव सरकार के द्वारा किया जा चुका है।

ई– शासन अंगीकार :

लेखा, प्रशासन, वन एवं वन्य जीव तथा कार्मिक प्रबंधन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) का विकास किया जा रहा है। राज्य में पौधारोपण क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, आग से प्रभावित क्षेत्रों के नक्शे तैयार करने के लिये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र के परिवर्तन को आंकने के उद्देश्य से उपग्रहों से प्राप्त इमेजों के उपयोग का प्रस्ताव है। वन भूमि प्रबन्धन, वन अपराध प्रबंधन तथा नर्सरी स्टॉक प्रबंधन आदि मुख्य वानिकी कार्यो हेतु मध्य प्रदेश वन विभाग की सहायता से निर्णय सहायक तंत्रों का विकास किया जा रहा है। वन सम्पति प्रबंधन नामक एक अन्य निर्णय सहायक तन्त्र भी विकसित करवाया जा रहा है।

अनुभाग एक – अधिकार एवं सुविधाएं

सरकार के स्तर पर केवल ऐसे लोगों को जलाने की लकड़ी दी जाती है जिनको कार्य योजना एवं वन बन्दोबस्त के अधीन अधिकार प्राप्त होते हैं।

अनुभाग दो – चराई

अनुदेशों अनुसार वन क्षेत्रों में पशु चराई वर्जित है। जिन क्षेत्रों में पशुओं की चराई का अधिकार है, वहां परमिटों द्वारा घास की चराई की अनुमति प्रदान की जाती है।

अनुभाग तीन – झोंपड़ी आदि हेतु वन उपज

वन विभाग झोंपड़ी आदि बनाने के लिए सरकण्डा, पूला, पन्नी आदि को खुली नीलामी द्वारा बेचता है। पंजाब भू–संरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5 में बन्द क्षेत्रों से घास व काना ले जाने का अधिकार हकदारों को है।

अनुभाग चार – कांटेदार झाड़ियां

कांटेदार झाड़ियां प्राकृतिक वन उपज है जिसे जनता अपनी माँग अनुसार स्वयं प्राप्त कर लेती है।

अनुभाग पांच – लघु वन उपज की माँग

हरियाणा राज्य में लघु वन उपज जैसे घास, काना, पूला, पाला, पन्नी, अरण्ड के बीज, वृक्षों की छंगाई, शहद, बॉस इत्यादि होती है। इस प्रकार की वन उपज को वन विभाग खुली नीलामी द्वारा बेचता है। हकदारों को वन उपज निःशुल्क भी दी जाती है। वर्ष के दौरान वनों में चराई से सम्बन्धित विवरण फार्म संख्या 16 व 17 में दर्शाया गया है।

वन फार्म–संख्या–16

(अनुच्छेद 76,78 तथा 79 वन विभाग संहिता सातवां संस्करण)

वर्ष 2015–16 के दौरान चराई के लिए सुरक्षित और आरक्षित वन क्षेत्र

(वर्ग कि. मी. में)

क0स0	जिला	वन मण्डल	चराई के लिए सुरक्षित		चराई के लिए आरक्षित				कुल वन क्षेत्र	विशेष कथन
			सभी पशुओं की चराई के लिए बन्द वन क्षेत्र		सभी पशुओं के लिए		कोंपले खाने वाले पशुओं,ऊँट, भेड़, बकरी के अतिरिक्त सभी पशुओं के लिए			
			समस्त वर्ष	वर्ष का कुछ भाग	समस्त वर्ष	वर्ष का कुछ भाग	समस्त वर्ष	वर्ष का कुछ भाग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मोरनी–पिंजौर	मोरनी–पिंजौर	382.15	0	**0**	0	0	0	382.15	
2	यमुनानगर	यमुनानगर	217.32	0	**0**	0	0	0	217.32	
3	अम्बाला	अम्बाला	52.94	0	**0**	0	0	0	52.94	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	45.18	0	**0**	0	0	0	45.18	
5	कैथल	कैथल	72.16	0	**0**	0	0	0	72.16	
6	रोहतक	रोहतक	45.94	0	**0**	0	0	0	45.94	
7	झज्जर	झज्जर	39.92	0	**0**	0	0	0	39.92	
8	करनाल	करनाल	76.34	0	**0**	0	0	0	76.34	
9	पानीपत	पानीपत	41.53	0	**0**	0	0	0	41.53	
10	सोनीपत	सोनीपत	73.86	0	**0**	0	0	0	73.86	
11	हिसार	हिसार	63.13	0	**0**	0	0	0	63.13	
12	फतेहाबाद	फतेहाबाद	55.51	0	**0**	0	0	0	55.51	
13	सिरसा	सिरसा	48.04	0	**0**	0	0	0	48.04	
14	भिवानी	भिवानी	90.98	0	**0**	0	0	0	90.98	
15	जीन्द	जीन्द	68.50	0	**0**	0	0	0	68.50	
16	गुड़गांव	गुड़गांव	88.99	0	**0**	0	0	0	88.99	
17	फरीदाबाद	फरीदाबाद	70.19	0	**0**	0	0	0	70.19	
18	पलवल	पलवल	29.49	0	**0**	0	0	0	29.49	
19	मेवात	मेवात	78.78	0	**0**	0	0	0	78.78	
20	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	57.26	0	**0**	0	0	0	57.26	
21	रेवाड़ी	रेवाड़ी	49.35	0	**0**	0	0	0	49.35	
योग			**1747.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1747.56**	

वन फार्म संख्या –17

(अनुच्छेद 76,78 व 79 वन विभाग संहिता सातवां संस्करण)

वर्ष 2015–16 के दौरान हरियाणा राज्य में वनों में चराई सम्बन्धित विवरण–पत्र

पूरे दरों पर चराई करने वाले पशुओं की संख्या							रियायती दरों पर चराई करने वाले पशुओं की संख्या					
मण्डल	भैंस	गाय तथा बैल	बकरियाँ तथा भेड़ें	ऊँट	अन्य पशु	प्राप्त शुल्क (रुपये में)	भैंस	गाय तथा बैल	बकरियाँ तथा भेड़ें	ऊँट	अन्य पशु	प्राप्त शुल्क (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
———शून्य———												

निःशुल्क चराई करने वाले पशुओं की संख्या

पशुओं की संख्या बन्दोबस्त अधीन हक द्वारा							बन्दोबस्त के अधीन रहते हुए सरकार की स्वेच्छा से अथवा अन्य						
मण्डल	भैंस	गाय तथा बैल	बकरियाँ तथा भेड़ें	ऊँट	अन्य पशु	प्राप्त शुल्क (रुपये में)	भैंस	गाय तथा बैल	बकरियाँ तथा भेड़ें	ऊँट	अन्य पशु	प्राप्त शुल्क (रुपये में)	कुल राजस्व (रूपये में)
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
———शून्य———													

भाग एक–अध्याय दो

अनुभाग–एक व दो

आमोद प्रमोद की महत्ता (शिविर स्थान एवं विश्राम गृह)

वन विभाग हरियाणा के अधीन चालू हालात में निम्नांकित विश्राम गृह हैः–

क्र. सं.	विश्राम गृह का नाम	स्थान व जिला जहां विश्राम गृह स्थित है	विश्राम गृह का परमिट जारीकर्ता	कार्यालय का दूरभाष नं.
1.	प्रीतम पुरा	प्रीतम पुरा, दिल्ली	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा	0172-2563988
2.	वन विश्राम गृह करनाल	करनाल, जिला करनाल	वन मण्डल अधिकारी, करनाल	0184-2241417
3.	पिंजौर विश्राम गृह	पिंजौर, जिला पंचकूला	वन मण्डल अधिकारी, अनुसंधान मण्डल, पिंजौर	01733-230518
4.	ओ.टी.ए. विश्राम गृह			
5.	झुम्पा, विश्राम गृह			
6.	लालमुनियां	मोरनी, जिला पंचकूला	वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर	01733-230537
7.	चिकन	चिकन मोरनी, जिला पंचकूला	वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर	01733-230537
8.	स्काई लार्क	मोरनी, जिला पंचकूलां		
9.	डारपुर	डारपुर, जिला यमुनानगर	वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर	01732-237821
10.	कलेसर	कलेसर, जिला यमुनानगर	वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर	01732-237821
11.	आदिबद्री	आदिबद्री, जिला यमुनानगर	वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर	01732-237821
12.	सरस्वती स्योंसर	स्योंसर, जिला कैथल	वन मण्डल अधिकारी, कैथल	01746-228095
13.	वन विश्राम गृह हिसार	वन कालोनी हिसार, जिला हिसार	वन मण्डल अधिकारी, हिसार	01662-259232
14.	नाहड़	नाहड़, जिला रेवाड़ी	वन मण्डल अधिकारी, रेवाड़ी	01274-254568
15.	झाबुआ	झाबुआ, जिला रेवाड़ी	वन मण्डल अधिकारी, रेवाड़ी	01274-254568
16.	नारनौल (चिंकारा)	नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़	वन मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ़	01285-220229
17.	गोलवा	गोलवा, जिला महेन्द्रगढ़	वन मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ़	01285-220229
18.	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़ जिला महेन्द्रगढ़		

अनुभाग – तीन – शिविर सुविधा

वन विभाग द्वारा सुलतानपुर झील वन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क व पथ बनाए गये हैं। महेन्द्रगढ़ मण्डल के आरक्षित वनों के आसपास ही वन विश्राम गृह है। शिविर सुविधा का अलग से प्रबन्ध नहीं है। झाबुआ आरक्षित वन क्षेत्र में वाच टावर भी उपलब्ध है।

अनुभाग–चार – वन्य–प्राणी संरक्षण

वन विभाग हरियाणा के वन्य–प्राणी विंग का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखने के लिए वन्य– प्राणियों का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास करना है। वर्ष के दौरान वन्य–प्राणियों की सुरक्षा के लिए वन्य–प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम लागू रहे। अक्तूबर 1991 से सभी प्रकार के वन्य–प्राणियों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अप्रैल, 2003 से वन्य–प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन हुए हैं, जिससे वन्य–प्राणियों के संरक्षण को बढ़ावा मिला है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा के प्रति उत्तरदायी रहते हुए अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य–प्राणी) एवं मुख्य वन्य–प्राणी वार्डन हरियाणा, पंचकूला अपने अधीनस्थ स्टाफ की सहायता से वन्य–प्राणियों के संरक्षण तथा उनके आश्रय स्थलों के विकास हेतु हरियाणा राज्य में वर्षभर उत्तरदायी रहे।

शिकार सम्बन्धी अपराध

वर्ष के दौरान राज्य में वन्य–प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम वर्ष 1974 को सख्ती से लागू किया गया। वन्य–प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 में हुये संशोधनों के फलस्वरुप इसके अंर्तगत 1974 में बनाए गए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव सरकार को भेजा हुआ है।

वर्ष के दौरान राज्य में पकड़े गये केसों तथा उनके निपटान का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहा :–

क. विभागीय कार्य

1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया केस	192
2.	वर्ष के दौरान पकड़े गये केस	378
3.	कुल केस	570
4.	वर्ष के दौरान विभिन्न अदालतों में नये दायर किये गये केस	24
5.	वर्ष के दौरान विभागीय तौर पर निपटाये गये केस	418
6.	मुआवजा राशि जो वसूल की गई (रुपए लाखों में)	8.80
7.	वर्ष के अन्त में बकाया केस	128

ख. अदालती कार्य

1.	अदालत में पिछले वर्ष के बकाया केस	48
2.	अदालत में नये दायर किये गये केस	24
3.	कुल केस	72
4.	अदालत द्वारा निपटाये गये केस	15
5.	वर्ष के अन्त में अदालत में बकाया केस	57
6.	अदालत द्वारा वसूल किया गया जुर्माना (रुपए लाखों में)	1.18

गत पांच वर्षो के शिकार सम्बन्धी केसों का आंकलन निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः–

क्र. सं.	वर्षवार केसों का विवरण विभागीय कार्यवाही	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया केस	169	79	88	108	192
2.	वर्ष के दौरान पकडे गये कुल केस	456	488	398	425	378
3.	अदालत में नये दायर किये गये केस	28	52	20	30	24
4.	कुल निपटान	518	427	358	311	418
5.	मुआवजा की वसूल की गई राशि (रुपएं)	808752	754900	799494	987929	879985
6.	बकाया केस	79	88	108	192	128
7.	अदालत में पिछला बकाया	60	56	91	70	48
8.	अदालत में नये दायर किये गये केस	28		20	30	24
9.	**कुल केस**	**88**	**108**	**111**	**100**	**72**
10.	अदालत द्वारा निपटाये गये केस	32		41	52	15
11.	अदालत द्वारा वसूल किया गया जुर्माना (रुपए लाखों में)	0.62	0.41	00	0.67	1.18
12.	अदालत में बकाया केस	56	91	70	48	57

राजस्व

वन्य–प्राणी विंग का मुख्य कार्य वन्य–प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ उनका विकास करके प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखने में सहयोग देना है। अतः वन्य–प्राणी विंग से राजस्व का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। फिर भी वर्ष के दौरान इस विंग का राजस्व 39.32 लाख रुपये रहा इस विंग का नान–प्लान व्यय 780.97 लाख रुपये व प्लान व्यय, 730.03 लाख रुपये तथा 123.48 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 853.51 लाख रुपये रहा। इस प्रकार वर्ष 2015-16 के दौरान वन्य–प्राणी संरक्षण पर कुल व्यय 1634.48 लाख रुपये रहा।

जन साधारण व स्कूलों के छात्र–छात्राओं को वन्य–प्राणियों में रूचि पैदा करने के लिए राज्य में स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों तथा चिड़ियाघरों से एन्ट्री फीस के रुप में प्राप्त राजस्व का गत पांच वर्षो का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
एन्ट्री फीस राजस्व (रुपए लाखों में)	16.74	31.06	37.72	34.65	39.32

राष्ट्रीय उद्यान, वन्य–प्राणी विहार तथा संरक्षण आरक्षः

राज्य के वन क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अन्तर्गत आता है। राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान, 8 वन्य–प्राणी विहार, 2 संरक्षण आरक्षः तथा 3 लघु चिड़ियाघर है। वर्ष के दौरान वन्य– प्राणियों की सुरक्षा, संर्वधन तथा बढ़ोतरी के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण साधन के रूप में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य–प्राणी विहार तथा संरक्षण आरक्षः राज्य में स्थापित रहे :–

हरियाणा के संरक्षित क्षेत्र

राष्ट्रीय उद्यान

राष्ट्रीय उद्यान का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)	पाये जाने वाले पशु पक्षी
1. कलेसर	यमुनानगर	08.12.2003	11570.00	तेंदुआ, भालू, साम्भर, गोरल, कक्कड़ तथा जंगली सुअर
2. सुलतानपुर	गुड़गांव	05.07.1991	352.17	स्थानीय पक्षी तथा प्रवासी जल पक्षी, बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
कुल क्षेत्र			**11922.17**	

वन्य–प्राणी विहार

वन्य–प्राणी विहार का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)	पाए जाने वाले पशु पक्षी
1. भिण्डावास	झज्जर	07.05.1986	1016.94	बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
2. छिलछिला	कैथल	28.11.1986	71.45	बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
3. नाहड़	रेवाड़ी	30.01.1987	522.25	काला हिरण, नील गाय, काला तथा भूरा तीतर आदि
4. बीड़ शिकारगाह	पंचकूला	29.05.1987	1896.00	चीतल, जंगली सुअर व जंगली मुर्गा आदि
5. अबूबशहर	सिरसा	27.11.1987	28492.00	काला हिरण, मोर आदि

6. खापड़वास	झज्जर	27.03.1991	204.36	बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
7. कलेसर	यमुनानगर	13.12.1996	13209.00	तेन्दुआ, भालू, साम्भर, गोरल, कक्कड़, जंगली सुअर, भूरा तीतर आदि
		13.01.2000	222.65	
8. मोरनी हिल्ज (खोल–हाय–रायतन)	पंचकूला	10.12.2004	5501.88	तेन्दुआ, भालू, साम्भर, गोरल, कक्कड़, जंगली सुअर, भूरा तीतर आदि
		07.09.2007	6563.93	
कुल क्षेत्र			**57700.46**	

संरक्षण आरक्षः

संरक्षण आरक्षः का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)	पाए जाने वाले पशु पक्षी
1. सरस्वती	कैथल	11.10.2007	11003.00	काला हिरण, पाड़ा, हिरण व जंगली सुअर आदि
2. बीड बडा वन	जीन्द	11.10.2007	1036.00	नील गाय, बन्दर तथा खरगोश आदि
कुल क्षेत्र			**12039.00**	

लघु चिड़ियाघर

चिड़ियाघर का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)	पाए जाने वाले पशु पक्षी
1. भिवानी	भिवानी	1982-83	10.97	दरियाई घोड़ा, तेन्दुआ, भालू, चीतल, साम्भर, चिंकारा, बन्दर, खरगोश, मगरमच्छ व पक्षी आदि
2. पिपली	कुरूक्षेत्र	1985-86	27.00	शेर, काला हिरण, बन्दर, खरगोश, घड़ियाल व पक्षी आदि
3. रोहतक	रोहतक	1985-86	41एकड़ 2 कनाल 7 मरला	शेर, तेन्दुआ, काला हिरण, बन्दर, खरगोश, घड़ियाल व पक्षी आदि
कुल क्षेत्र			**78.97 एकड़ 2 कनाल 7 मरला**	

हिरण पार्क

हिरण पार्क का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)	वन्य– प्राणियों की मुख्य प्रजातियां
1. धांसू	हिसार	1985	42	काला हिरण, नील गाय व चीतल आदि

प्रजनन केन्द्र

प्रजनन केन्द्र का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)	वन्य– प्राणियों की मुख्य प्रजातियां
1. चिंकारा कैरू	भिवानी	1985-86	128.44	चिंकारा
2. मगरमच्छ भौर सैयदां	कुरूक्षेत्र	1981-82	16.00	मगरमच्छ
3. फीजैंट मोरनी	पंचकूला	1991-92	2.50	लाल जंगली मुर्गा व कलीज
4. गिद्ध प्रजनन केन्द्र, पिंजौर	पंचकूला	2001	5.00	गिद्ध
5. मोर व चिंकारा, झाबुआ	रेवाड़ी	2011	80.00	मोर व चिंकारा

वन्य–प्राणी विंग के अधीन सभी राष्ट्रीय प्राणी विहारों के चारों तरफ पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकीय संवेदनशील आंचल के रूप में संरक्षण और सुरक्षा प्रतिरक्षण का

प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा हुआ है। भारत सरकार द्वारा केवल सुलतानपुर उद्यान के साथ लगते 5 कि.मी. क्षेत्र को इको–सैंसटिव जोन घोषित करने बारे फाईनल अधिसूचना जारी हो चुकी है।

योजनायें

नान प्लान योजनाएं

वर्ष के दौरान निम्नलिखित नान प्लान स्कीमें क्रियान्वित रहीं:–

क्र. सं.	स्कीम का नाम	ओरिजनल ग्रांट (रुपये लाखों में)	रिवाईजड ग्रांट (रुपये लाखों में)	कुल खर्चा (रुपये लाखों में)
1.	नारमल बजट	851.00	916.00	673.56
2.	फिजैण्ट ब्रीडिंग सैन्टर, मोरनी	23.10	21.90	17.06
3.	प्रोटैक्शन ऑफ वाईल्ड लाईफ इन मल्टीपल यूज एरियाज	83.70	92.50	59.71
4.	काला तीतर कम्पलैक्स, अबूबशहर का विकास	13.30	14.24	12.00
5.	चौबीसी का चबूतरा मैहम का विकास	16.00	18.10	12.86
6.	नाहड वन्य–प्राणी विहार का विकास	8.65	8.33	5.78
योग		**995.75**	**1071.07**	**780.97**

उपरोक्त नान प्लान स्कीमों के अन्तर्गत फिजैण्ट ब्रीडिंग सैन्टर मोरनी व बेरवाला, बर्ड़ सफारी बेरवाला, लघु चिड़ियाघरों पिपली, भिवानी व रोहतक का रखरखाव भी किया गया।

प्लान योजनाएं

वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्लान स्कीमें क्रियान्वित रहीं :–

(क) राज्य योजनाएं

क्र. सं.	स्कीम का नाम	ओरिजनल ग्रांट (रुपये लाखों में)	रिवाईजड ग्रांट (रुपये लाखों में)	कुल व्यय (रुपये लाखों में)
1.	प्रोटैक्शन आफ वाईल्ड लाईफ इन मल्टीपल यूज एरियाज।	300.00	300.00	270.14
2.	एक्सटेंशन ऑफ जू एण्ड डियर पार्कस	350.00	344.00	303.28
3.	स्ट्रैन्थनिग एक्सपैंशन एण्ड इम्प्रूवमैण्ट ऑफ वाईल्ड लाईफ सैन्चूरीज एण्ड नैशनल पार्कस।	140.00	140.00	96.42
4.		50.00	65.00	60.19
योग		**840.00**	**849.00**	**730.03**

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

क्र. सं.	स्कीम का नाम	ओरिजनल ग्रांट (रुपये लाखों में)	रिवाईजड ग्रांट (रुपये लाखों में)	वास्तविक खर्च (रुपये लाखों में)
1.	स्ट्रैन्थनिग एक्सपैंशन एण्ड इम्प्रूवमैण्ट ऑफ वाईल्ड लाईफ सैन्चूरीज एण्ड नैशनल पार्कस।	250.00	44.51	33.21
2.	ईन्टीग्रेटीड डिवेलपमैंट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैबिटेट	0.00	100.00	90.27
योग		**250.00**	**144.51**	**123.48**
कुल योग		**1090.00**	**993.51**	**853.51**

प्रचार

मास अक्तूबर 2015 का प्रथम सप्ताह हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समस्त राज्य में वन्य–प्राणी सुरक्षा सप्ताह के रुप में मनाया गया। सुरक्षा सप्ताह के दौरान वन्य–प्राणी स्टाफ द्वारा वन्य–प्राणियों से होने वाले लाभों की जानकारी दी गई। किसान भाईयों से भी अनुरोध किया गया कि फसलों पर कीटनाशक दवाईयों का कम से कम प्रयोग करें ताकि वन्य– प्राणियों को नुक्सान न हो। इसके साथ–साथ लोगों को वन्य– प्राणियों के संरक्षण में सरकार का सहयोग करने की अपील भी की गई।

वन्य–प्राणी सुरक्षा सप्ताह के संबंध में राज्य स्तरीय समापन समारोह का आयोजन भारत यात्रा केन्द्र, भौण्डसी में दिनांक 02.10.2015 को किया गया। समारोह में माननीय नरबीर सिंह, वन एवं पर्यावरण मंत्री, हरियाणा सरकार श्री अमित झा, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वन विभाग, श्री सी.आर. जोतरीवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, डा. श्रीमती अमरिन्द्र कौर, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य–प्राणी विंग) एवं मुख्य वन्य–प्राणी वार्डन, हरियाणा तथा अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय नरवीर सिंह, वन एवं पर्यावरण मंत्री, हरियाणा सरकार ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों तथा जन समूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमें धरा पर प्राकृतिक संतुलन कायम रखने के लिए हर हालात में वन्य– प्राणियों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन्होंने वन्य– प्राणियों की संख्या में आई गिरावट के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे ज्यादा से ज्यादा फलदार पेड़–पौधे लगाएं तथा वनों की सघनता बढ़ाएं। जंगल में वन्य– प्राणियों के लिए पानी की उचित व्यवस्था करें जिससे वन्य– प्राणियों को भोजन और पानी जंगल के अंदर ही उपलब्ध हो जाए और वे आवासीय क्षेत्रों की तरफ भटक कर न आएं। आवासीय क्षेत्रों में भटक कर आए खतरनाक वन्य–प्राणियों से निपटने के पुख्ता इंतजाम करें ताकि जनता में अफरा–तफरी न फैले। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे वन्य–प्राणियों के संरक्षण व संवर्धन का संकल्प लें और ज्यादा से ज्यादा पेड़–पौधे लगाएं ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण और समुचित प्राकृतिक संतुलन दे सकें।

श्री सी. आर. जोतरीवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा ने मुख्य अतिथि, गणमान्य व्यक्तियों तथा जनसमूह का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे देश में अनेकों प्रकार की भौगोलिक विविधताओं के कारण हमारा देश जैव विविधता का धनी है। इसी प्रकार की भौगोलिक विविधताओं के कारण हरियाणा राज्य भी जैव विविधता के मामले में धनी है। वन्य जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन जरुरी है क्योंकि ये इस धरा पर जीवन के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। प्रकृति ने हर प्रजाति के लिए कोई न कोई कार्य निश्चित किया है। अगर वह प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो उस द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं हो पाता जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। प्रदेश में वन्य–प्राणियों के संरक्षण व संर्वधन हेतु कई कदम उठाए गए हैं जिनमें प्राकृतिक वास स्थलों में उचित प्रजातियों का वृक्षारोपण, राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य–प्राणी विहारों में अनुकुल वातावरण उपलब्ध करवाना, चिड़ियाघरों, हिरण पार्कों, संरक्षण व प्रजनन केन्द्रों की स्थापना, वन्य–प्राणी विंग को सुदृढ़ करना प्रमुख है। अंत में उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे वन्य जीव संरक्षण में वन विभाग का सहयोग करें।

अन्य गतिविधियां

लघु चिड़ियाघर

वन्य–प्राणियों के प्रति समझ, ज्ञान व प्यार बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में स्थापित पिपली (कुरुक्षेत्र), भिवानी व रोहतक चिड़ियाघरों की देख रेख की गई।

फीजैन्ट प्रजनन केन्द्र

मोरनी व बेरवाला में दो फीजैन्ट प्रजनन केन्द्र हैं जिनमें वित्तिय वर्ष 2015-16 में पक्षियों की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

लाल जंगली मुर्गे की लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने के लिए बेरवाला में प्रजनन केन्द्र स्थापित किया गया। बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री की सहायता से लाल जंगली मुर्गे, कलिज फिजैन्ट व हिल मैना की लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से प्रजनन का कार्य आरम्भ किया गया है और उनके सुझाव अनुसार बेरवाला व मोरनी में रखे गए कुछ लाल जंगली मुर्गे, कलिज फीजैन्ट व हिल मैना माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा जंगल में छोड़ दिया गया तथा शेष को लघु चिड़ियाघर, पिपली में स्थानांतरण कर दिया गया।

बर्ड सफारी

पंचकूला–मोरनी सड़क पर बेरवाला गांव के पास 250 हैक्टेयर क्षेत्र में बर्ड सफारी की देखरेख की गई है। यह पक्षी प्रेमियों के ज्ञान में वृद्धि करता है।

मोर एवं चिंकारा ब्रिडिंग केन्द्र

राज्य में मोर एवं चिंकारा ब्रिडिंग केन्द्र की स्थापना 18.04.2010 को माननीय वन, पर्यटन एंव वित्त मंत्री, हरियाणा सरकार के कर कमलों द्वारा झाबुआ जिला रेवाड़ी में की गई। इस केन्द्र में मोर एवं चिंकारा का प्राकृतिक ढंग से प्रजनन किया जा रहा है। केन्द्र में वित्तिय वर्ष 2015-16 में पक्षियों की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

क.सं.	पक्षी का नाम	नर	मादा	बच्चे	कुल
1.	मोर	8	26	5	**39**
2.	चिंकारा	3	15	2	**20**
कुल		**11**	**41**	**7**	**59**

20 वर्ष तक चलने वाली इस परियोजना पर स्टाफ के वेतन सहित लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है व उक्त हेतु वर्ष 2015-16 में 24.39 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। वित्त वर्ष 2016-17 में 25.00 लाख रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान है।

गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र

पर्यावरण को साफ–सुथरा रखने में गिद्धों का बड़ा भारी योगदान है क्योंकि ये मरे हुए मवेषियों को खाकर पर्यावरण में दुर्गंध तथा बीमारी फैलने से बचाते है। गिद्धों की कम होती संख्या को बढ़ाने हेतु हरियाणा में बाम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से पिंजौर के नजदीक गिद्धों की सुरक्षा व पुनर्वास के लिए वन विभाग के साथ मिलकर एक गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र की बीड़ शिकारगाह, जिला पंचकूला में स्थापना की गई है। यह देश का अपनी तरह का पहला गिद्ध प्रजनन केन्द्र है। ब्रिटेन की डारविन इनिशिएटिव संस्था द्वारा इस परियोजना के लिए वित्तिय सहायता दी गई। गिद्ध प्रजनन प्रोजैक्ट का कार्यकाल 15 वर्ष का है जो सितम्बर 2019 तक का है। वित्तिय वर्ष 2015-16 में इस केन्द्र में गिद्धों की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	गिद्ध की प्रजाति	वयस्क	किशोर	कुल
1.	White Backed	28	44	**72**
2.	Long Billed	40	65	**105**
3.	Slender Billed	25	15	**40**
4.	Himalyan Griffon	2	0	**2**
	Total	**95**	**124**	**219**

भारत सरकार द्वारा उक्त परियोजना में विभिन्न कार्य करवाने के लिए वर्ष 2008-09 में 43.60 लाख रुपए का प्रोजैक्ट स्वीकृत किया गया था। वित्तिय वर्ष 2015-16 तक भारत सरकार द्वारा प्रोजैक्ट हेतु जारी 43.60 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

हाथी पुनर्वास केन्द्र

यमुनानगर जिले के बनसंतौर जंगल में भारत सरकार की सहायता से हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। यह देश का अपनी प्रकार का एक पहला केन्द्र होगा जिसमें घायल, बीमार एवं लोगों द्वारा अवैध रूप से रखे गये हाथियों को रखा जाएगा। वित्तिय वर्ष 2015-16 में इस केन्द्र में हाथियों की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

नर	मादा	कुल
0	3	**3**

वर्ष 2015-16 में 16.00 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है तथा वर्ष 2016-17 में 319.00 लाख रूपये की राशि का अुनमान भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

भाग एक–अध्याय तीन

वन महोत्सव

वन अनादिकाल से ही हमारी संस्कृति, सभ्यता, धार्मिक आस्थाओं व कला से जुड़े हुए हैं। ज्ञात रहे, वनों के महत्व से हमारे ऋषि–मुनि बहुत ही अच्छी तरह से परिचित रहे है तभी उन्होंने वनों के प्रसार के लिए वन संवर्द्धन को धार्मिक कर्म–काण्डों से जोड़ा ताकि लोग इनके संरक्षण व संवर्द्धन में पूर्ण रूचि लें। इस प्रकार से वन आदिकाल से ही हमारी संस्कृति व सभ्यता का अटूट हिस्सा रहे हैं। कई पेड़–पौधों जैसे कि बरगद, पीपल, केला, बेलपत्र, आंवला व तुलसी की पूजा आज भी की जाती है। यह सर्वविदित हैं कि इस धरा पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में वनों की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। वन न केवल भोजन, इमारती, लकड़ी, ईंधन, चारे व बहुमूल्य औषधियों के स्त्रोत हैं, बल्कि ये पर्यावरण व प्राकृतिक सन्तुलन बनाए रखने में भी कारगर भूमिका निभाते हैं। वन पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं तथा प्राण–वायु आक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये धरती के हरे फेफड़े हैं। वन भूमि–कटाव को रोकते हैं तथा प्राकृतिक आपदाओं में कमी लाने में सहायक होते हैं। अतः वन वातावरण में मौजूद कार्बन डाई–आक्साइड गैस को सोखकर ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन की विकराल रूप धारण कर रही समस्या को कम करने में अत्याधिक सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

वन वन्य–प्राणियों की आश्रयस्थली होने के साथ–साथ जैव विविधता के बाग भी हैं। भूमि पर पाई जाने वाली पेड़–पौधों व जीव–जन्तुओं की 80 प्रतिशत से अधिक प्रजातियां वनों में ही पाई जाती हैं। वन औषधीय पेड़–पौधों के भण्डार हैं। वनों के बगैर इस धरा पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

आबादी बढ़ने के साथ–साथ हमारी वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी, चारे व अन्य वन उपज की मांग बढ़ रही है। भूमि का अत्याधिक उपयोग कृषि, उद्योगीकरण, शहरीकरण, रेलवे लाईनों व सड़कों के लिए होने के कारण हमारे वन क्षेत्र में काफी कमी हुई है।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष के दौरान वृक्ष–आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु वन संरक्षण एवं संर्वधन निम्न योजनाएं शुरु की गई हैंः–

1. 'हर घर हरियाली' योजना के तहत आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक घर को हरा–भरा बनाने हेतु मात्र एक रुपए की रियायती दर पर पौधे उपलब्ध करवाना तथा योजना के तहत बहु–उद्देशीय स्वदेशी प्रजातियां जैसे नीम, बड़, पीपल, पिलखन, आँवला, हरड़, बहेड़ा, तुन, शहतूत, लसौड़ा व बेरी आदि के रोपण पर जोर।
2. चालु वित्त वर्ष में राज्य में तीन करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य तथा प्रजाति संरक्षण हेतु स्वदेशी प्रजातियों के रोपण पर भी जोर।
3. कृषि–वानिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध करवाना।
4. मोरनी में विश्व स्तरीय औषधीय उद्यान बनाने की प्रक्रिया शुरु की गई है जिससे दिव्य जड़ी–बूटियों से सजे–धजेंगी मोरनी की पहाड़ियां।
5. स्थानीय लोगों को वन एवं पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने हेतु राज्य में 2011 स्वयं सहायता समूहों एवं 2487 ग्राम वन समितियों का गठन।
6. खेतों की जमीन को सेम से बचाने हेतु विशेष वृक्षारोपण का शुभारम्भ।
7. राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदूषण कम करने हेतु साथ लगती किसानों की जमीन पर मुफ्त वृक्षारोपण।

लोगों में वनों के बारे में जागरूकता व लगाव पैदा करने के उद्देश्य से 'वन महोत्सव' के पवित्र त्यौहार का शुभारम्भ वर्ष 1950 में तत्कालीन केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री श्री के. एम. मुन्शी द्वारा किया गया था तभी से ही हर वर्ष वन महोत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष 66$^{वाँ}$ राज्य स्तरीय वन महोत्सव एवं तरू दिवस दिनांक 14 जुलाई, 2015 को अनाज मण्डी, छछरौली, जिला यमुनानगर में माननीय वित्त, वन एवं पर्यावरण मन्त्री कैप्टन अभिमन्यु की अध्यक्षता में मनाया गया। इस समारोह में माननीय मुख्यमन्त्री, हरियाणा मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के रुप में शोभायमान रहे।

वन महोत्सव एवं तरू दिवस के दौरान वन विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2015-16 में लगाए गए पौधों व उनकी सफलता प्रतिशत का विवरण निम्न प्रकार से रहा हैः–

मण्डल	पौधे लगाए गए			सफल पौधे			सफलता प्रतिशत
	फलदार	अन्य	योग	फलदार	अन्य	योग	
मोरनी–पिंजौर	68	382	**450**	56	359	**415**	92
अम्बाला	57	443	**500**	45	405	**450**	90
यमुनानगर	100	168	**268**	100	168	**268**	100
कुरुक्षेत्र	3560	7440	**11000**	3382	7068	**10450**	95
कैथल	155	800	**955**	130	750	**880**	92
सोनीपत	0	2000	**2000**	0	1580	**1580**	79
पानीपत	0	5500	**5500**	0	5400	**5400**	98
रोहतक	4290	10560	**14850**	4250	10500	**14750**	99
करनाल	40	38	**78**	31	30	**61**	78
गुडगांव	10	190	**200**	8	152	**160**	80
महेन्द्रगढ़	245	352	**597**	85	170	**255**	43
मेवात	7	25	**32**	4	20	**24**	75
पलवल	0	313	**313**	0	219	**219**	70
हिसार	2	53	**55**	2	43	**45**	90
फतेहाबाद	24	342	**366**	15	221	**236**	87
रेवाड़ी सामु.वा.	1395	340155	**341550**	1060	256094	**257154**	75
भिवानी	0	2950	**2950**	0	2400	**2400**	81
सिरसा	1029	3416	**4445**	1061	2715	**3776**	85
जीन्द	0	650	**650**	0	650	**650**	100
योग	**10982**	**375777**	**386759**	**10229**	**288944**	**299173**	

वर्ष के दौरान मुफ्त वितरित किए गए पौधे, बेचे गए पौधे व वास्तविक आंकड़ों अनुसार प्राप्त राजस्व का विवरण निम्न प्रकार से रहा हैः–

परिमण्डल	मुफ्त दिये गए पौधे (लाखों में)	बेचे गए पौधे (लाखों में)	बेचे गए पौधों से प्राप्त राजस्व (लाखों में)
वन संरक्षक, उत्तरी, पंचकूला	2.77	7.29	7.65
वन संरक्षक, मध्य, रोहतक	1.84	9.10	17.34
वन संरक्षक, दक्षिणी, गुड़गांव	3.61	7.06	6.64
वन संरक्षक, पश्चिमी, हिसार	2.03	8.68	10.30
वन संरक्षक, सामु. वा., अम्बाला	0.04	0.08	0.08
वन संरक्षक सामु.वा., हिसार	0.00	0.00	0.00
योग	**10.29**	**32.21**	**42.01**

'काष्ठ आधारित उद्योग' योजना के तहत बेचे गए पौधों से प्राप्त राजस्व को पुनः नर्सरियों में पौधे उगाने हेतु खर्च किया जा रहा है तथा उक्त स्कीम के तहत बेचे गए पौधों से प्राप्त 'राजस्व' को वास्तविक आंकड़ों में नहीं दर्शाया गया है।

भाग एक–अध्याय चार

वायु वेग से भू–कटाव

फसलों को वायु वेग से होने वाली हानि से बचाने के लिये आवश्यक है कि खेतों की मेड़ों व मरुभूमि पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाये जायें ताकि वायु वेग से होने वाली हानि को रोका जा सके। हरियाणा के महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद तथा भिवानी जिलों के कुछ भागों में मरुभूमि हैं जो कि पड़ोसी राज्य राजस्थान की सीमा के साथ लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान से आने वाली शुष्क हवायें अपने साथ रेत लाती हैं और इन जिलों की उपजाऊ भूमि को मरुभूमि में बदलने का कार्य करती रही है। इससे इन क्षेत्रों में शरद ऋतु में कोहरा व धुन्ध पड़ती है जिसके फलस्वरूप वन उपज पर कुप्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के कुप्रभावों से बचने हेतु इन क्षेत्रों में पौधारोपण कार्यक्रम जारी रखना होगा।

वर्ष 2015-16 में वायु वेग से भू–कटाव को रोकने के लिये विभाग द्वारा मरुस्थल नियन्त्रण स्कीम के तहत 79.78 लाख रुपये खर्च कर 115 है. क्षेत्र पर पौधारोपण किया गया। पिछले पांच वर्षों में किए गए पौधारोपण एवं उन पर किए गए खर्च का अवलोकन निम्नांकित सारणी के तहत किया जा सकता है :–

वर्ष	प्राप्त भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य (रुपए लाखों में)
	है.	आर.के.एम.	
2011-12	187	-	100
2012-13	165	-	92
2013-14	40	-	50
2014-15	94	-	60
2015-16	115	-	79.78
योग	**601**	**-**	**381.78**

वायु वेग से होने वाले भू–कटाव को रोकने हेतु निरन्तर पौधारोपण कार्यक्रम जारी रखने होगें ताकि राज्य में आर्थिक विकास हो व इसकी भौगोलिक परिस्थितियों पर भी कुप्रभाव न पड़े।

भाग एक–अध्याय पांच

भू–संरक्षण तथा बाढ़

शिवालिक क्षेत्र के पंचकूला, अम्बाला तथा यमुनानगर जिलों में बरसाती पानी व बाढ़ से भू–कटाव की समस्या बनी रहती है। बरसाती नदी नाले उपजाऊ भूमि को काफी हानि पहुंचाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में भू–संरक्षण हेतु Soil Conservation on Watershed Basis including Choe Training Scheme के तहत 402.68 लाख रुपये खर्च किए गये। पिछले पांच वर्षो के खर्च का विवेचन निम्न तालिका में अंकित सूचना के मध्यनजर किया जा सकता है :–

वर्ष	वित्तीय लक्ष्य (रु. लाखों में)
2011-12	99.92
2012-13	328.25
2013-14	210.09
2014-15	240.00
2015-16	402.68
योग	**1280.94**

भू–संरक्षण तथा बाढ़ नियंत्रण हेतु पौधारोपण व इसके रख–रखाव सम्बन्धी कार्यक्रम जारी रखने होगें ताकि पर्यावरण सन्तुलन बना रहे व भौगोलिक परिस्थितियों पर भी कुप्रभाव न पड़े।

भाग एक–अध्याय छः

जल आपूर्ति

हरियाणा राज्य का दक्षिण–पश्चिमी भाग अधिकतर शुष्क एवं रेतीला है। उत्तरी पहाड़ियों की यमुना तथा घग्गर दो प्रमुख नदियां हैं। घग्गर ऐसी नदी है, जो कि राज्य के कुछ भागों से गुजरती है तथा हरियाणा एवं पंजाब राज्य की सीमा भी बनाती है।

दक्षिणी भाग में कृष्णावती, साहिबी व दोहान ऐसी नदियां हैं जिनमें वर्षा ऋतु में ही पानी आता है व कभी–कभी इन नदियों में बाढ़ भी आ जाती है जिसके कारण पौधारोपण को हानि होती है। इनके साथ–साथ दक्षिणी भाग में जे.एल.एन. गुड़गांव नहर तथा आगरा नहर है जिनसे दक्षिणी हरियाणा के पौधारोपण की सिंचाई की जाती है।

विभागीय टयूबवैलों द्वारा पौधारोपित क्षेत्रों की सिंचाई का कार्य पूर्ण रूप से न हो पाने के कारण राज्य में पौधों की सिंचाई करने का कार्य तालाबों, नालों व जमीदारों के ट्यूबवैलों से पानी खरीदकर, ट्रैक्टर व टैंकरों की मदद से पानी पहुंचा कर किया जाता है।

विभागीय नर्सरियों में पानी की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 148 टयूबवैल लगाए हुए हैं। चालू वर्ष में समय–समय पर पौधारोपण की सिंचाई हेतु विभाग में उपलब्ध निम्न मशीनरी प्रयोग में लाई गई :–

वाटर टेंकर-154, डीज़ल ईंजन-267, बिजली की मोटरें-96, स्प्रिंकलर सैट-42, मोनो ब्लॉक मोटरज़-1, मोनो ब्लॉक ईंजन-28, समर्सिबल सैट-32, पम्पिंग सैट-42, केंटर-1, होन्डा पम्प सैट-17, मिट्टी के तेल से चलने वाले ईंजन 16 एवं होन्डा ईंजन-6, जनरेटर-6, वॉटर टेंक-11 तथा डीज़ल पम्प-7 है।

पिछले पांच वर्षो के दौरान नहरी पानी देने हेतु सिंचाई विभाग हरियाणा को बुक एडजस्टमैन्ट के मार्फ़त दी गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	सिंचाई विभाग को दी गई राशि (लाखों में)
2011-12	220
2012-13	220
2013-14	220
2014-15	220
2015-16	220
योग	**1100**

विभागीय नर्सरियों में पानी की आवश्यकता को पूर्ण करने सम्बन्धी प्रयास जारी रखने होगें।

भाग दो–अध्याय एक

राज्य में वनों का गठन

क्षेत्रीय वन मण्डल अधिकारियों से प्राप्त वन क्षेत्र सम्बन्धी फार्म संख्या-7 व विभागीय नायब तहसीलदार शाखा द्वारा रिकार्ड आधारित सत्यापन उपरांत राज्य में अधिसूचित वन 174755.97 है. क्षेत्र पर फैले हुए हैं जिनका मण्डल व जिलावार डैटा / सूचना का विवरण वन फार्म संख्या-7 में दर्शाया गया है। राज्य के अधिसूचित वनों के डैटा का एक नजर में अवलोकन निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः–

वर्ष 2015-16 राज्य अधिसूचित वन क्षेत्र				
क्रं. सं.	वन क्षेत्र प्रकार			वन क्षेत्र (है. में)
1.	आरक्षित वन			24963.38
2.	सुरक्षित वन	i) संहत वन खण्ड ii) सड़कें iii) रेल iv) नहरें v) बांध	35051.43 33741.76 6987.85 40763.75 2183.62	118728.41
3.	अवर्गीयकृत वन			974.56
4.	भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 38 के अधीन बन्द वन क्षेत्र।			1464.84
5.	पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5 के अधीन बन्द वन क्षेत्र।			28624.78
कुल वन क्षेत्र				**174755.97**

वन संरक्षण अधिनियम-1980

वन संरक्षण अधिनियम की धारा-2 के तहत चालू वर्ष 2015-16 में 538.55 है. वन भूमि क्षेत्र को गैरवानिकी कार्यों के लिए उपयोग में लाया गया है तथा जिसकी वास्तविक स्थिति / स्टेटस वन अधिनियम-1980 के तहत वन क्षेत्र के रूप में ही रहेगी। इस भूमि का जिलावार विवरण वन फार्म संख्या-7 के बाद अंकित है।

अनुभाग–दो (वन बन्दोबस्त–वन फार्म संख्या-8)

वर्ष के दौरान वन बन्दोबस्त का कोई कार्य नहीं हुआ है।

अनुभाग–तीन (सीमाओं की हदबन्दी–वन फार्म संख्या-9)

वर्ष के दौरान राज्य में वन सीमाओं की कुल लम्बाई 8638.82 कि. मी. रही।

अनुभाग–चार (वन सर्वेक्षण–वन फार्म संख्या-10)

वर्ष के दौरान वन सर्वेक्षण का कोई कार्य नहीं हुआ है।

अनुभाग–पांच (पुनरोत्पादन तथा पौधारोपण–वन फार्म संख्या-18)

वर्ष 2015-16 के दौरान विभागीय फोरेस्ट्री बजट से प्लान स्कीमों के तहत है. 13402.83 तथा 8139.25 आर.के.एम. क्षेत्र पर पौधारोपण करवाया गया। पौधारोपण पर कुल वर्कस का खर्च 148.91 करोड़ रुपये रहा।

वन फार्म संख्या-7

वर्ष 2015.16 के दौरान आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीयकृत, धारा 38 तथा धारा 4 व 5 के अधीन बन्द वन क्षेत्र (है. में)

आरक्षित वन

क0 स0	मण्डल	जिला	वर्ष के आरम्भ में अर्थात 01.04.2015 को वन क्षेत्र	वर्ष के दौरान जोड़ा गया वन क्षेत्र	वर्ष के दौरान छोड़ा गया वन क्षेत्र	पुनः जांच के कारण एवं स्थान्तरण के कारण जोड़ा/छोड़ा गया वन क्षेत्र	वर्ष के अन्त में अर्थात 31.03.2016 को वन क्षेत्र	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी–पिंजौर	पंचकूला	8628.72				8628.72	
2	अम्बाला	अम्बाला	197.78				197.78	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	6872.05				6872.05	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	1835.76				1835.76	
5	कैथल	कैथल	3714.03				3714.03	
6	करनाल	करनाल	386.58	4.25			390.83	4.25 है. वन क्षेत्र पुनः जांच के कारण जोड़ा गया है।
7	पानीपत	पानीपत	0				0.00	
8	सोनीपत	सोनीपत	0				0.00	
9	रोहतक	रोहतक	0				0.00	
10	झज्जर	झज्जर	0				0.00	
11	पलवल	पलवल	138.60				138.60	
12	मेवात	मेवात	16.19				16.19	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	1662.01				1662.01	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	559.48				559.48	
15	गुड़गांव	गुड़गांव	214.89				214.89	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	175.63				175.63	
17	भिवानी	भिवानी	139.27				139.27	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	0.00				0.00	
19	हिसार	हिसार	0.00				0.00	
20	जीन्द	जीन्द	414.40				414.40	
21	सिरसा	सिरसा	3.74				3.74	0
योग			**24959.13**	**4.25**	**0.00**	**0.00**	**24963.38**	

सुरक्षित वन/संहत खण्ड वन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	24449.57				24449.57	
2	अम्बाला	अम्बाला	337.75				337.75	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	8452.14	239.98	24.46		8667.66	फतेहगढ़ जंगल अवर्गीयकृत वन से सुरक्षित वन घोषित होने के कारण बढ़ा है।
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	30.55				30.55	
5	कैथल	कैथल	87.04				87.04	
6	करनाल	करनाल	3.68				3.68	
7	पानीपत	पानीपत	15.81				15.81	
8	सोनीपत	सोनीपत	0.00				0.00	
9	रोहतक	रोहतक	41.20	18.00			59.20	तिलयार झील का क्षेत्र अवर्गीयकत वन से सुरक्षित वन घोषित होने के कारण बढ़ा है।
10	झज्जर	झज्जर	491.00				491.00	
11	पलवल	पलवल	37.78	9.40			47.18	हथिनी बाही का अवर्गीयकृत वन से सुरक्षित वन घोषित होने के कारण बढ़ा है।
12	मेवात	मेवात	14.64				14.64	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	8.35				8.35	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	34.46				34.46	
15	गुड़गांव	गुड़गांव	175.62				175.62	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	0.00				0.00	
17	भिवानी	भिवानी	5.57				5.57	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	38.44				38.44	
19	हिसार	हिसार	562.51				562.51	
20	जीन्द	जीन्द	22.40				22.40	
21	सिरसा	सिरसा	0.00				0.00	
योग			**34808.51**	**267.38**	**24.46**	**0.00**	**35051.43**	

सड़कें – सुरक्षित वन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	668.29	29.45	13.20		684.54	अम्बाला मण्डल से 29ण्45 है. प्राप्त हुआ है तथा 13ण्20 है. अम्बाला मण्डल को दिया गया है।
2	अम्बाला	अम्बाला	2309.28	13.20	29.45		2293.03	मोरनी मण्डल से 13ण्20 है. प्राप्त हुआ है तथा 29ण्45 है. मोरनी मण्डल को दिया गया है।
3	यमुनानगर	यमुनानगर	1693.80				1693.80	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	1250.70				1250.70	
5	कैथल	कैथल	1542.23				1542.23	
6	करनाल	करनाल	2136.91				2136.91	
7	पानीपत	पानीपत	967.90				967.90	
8	सोनीपत	सोनीपत	2128.88				2128.88	
9	रोहतक	रोहतक	1335.26				1335.26	
10	झज्जर	झज्जर	1294.16				1294.16	
11	पलवल	पलवल	1462.04				1462.04	
12	मेवात	मेवात	729.20				729.20	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	1213.92				1213.92	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	1548.44				1548.44	
15	गुड़गांव	गुड़गांव	1010.26				1010.26	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	670.72				670.72	
17	भिवानी	भिवानी	2884.72				2884.72	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	2563.38				2563.38	
19	हिसार	हिसार	2410.53				2410.53	
20	जीन्द	जीन्द	1884.27				1884.27	
21	सिरसा	सिरसा	2036.87				2036.87	
योग			**33741.76**	**42.65**	**42.65**	**0.00**	**33741.76**	

रेलें – सुरक्षित वन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	125.56				125.56	
2	अम्बाला	अम्बाला	397.96				397.96	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	173.23				173.23	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	149.09				149.09	
5	कैथल	कैथल	274.31				274.31	
6	करनाल	करनाल	260.19				260.19	
7	पानीपत	पानीपत	295.00				295.00	
8	सोनीपत	सोनीपत	331.44				331.44	
9	रोहतक	रोहतक	505.50				505.50	
10	झज्जर	झज्जर	146.57				146.57	
11	पलवल	पलवल	0.00				0.00	
12	मेवात	मेवात	0.00				0.00	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	235.22				235.22	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	269.64				269.64	
15	गुड़गांव	गुड़गांव	142.00				142.00	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	0				0.00	
17	भिवानी	भिवानी	675.00				675.00	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	331.74				331.74	
19	हिसार	हिसार	715.60				715.60	
20	जीन्द	जीन्द	1402.80				1402.80	
21	सिरसा	सिरसा	557.00				557.00	
योग			**6987.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6987.85**	

नहरें – सुरक्षित वन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	0.00				0.00	
2	अम्बाला	अम्बाला	371.29				371.29	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	2747.86				2747.86	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	940.37				940.37	
5	कैथल	कैथल	1555.76				1555.76	
6	करनाल	करनाल	4624.05				4624.05	
7	पानीपत	पानीपत	2734.47				2734.47	
8	सोनीपत	सोनीपत	4608.00				4608.00	
9	रोहतक	रोहतक	1917.99				1917.99	
10	झज्जर	झज्जर	1762.19				1762.19	
11	पलवल	पलवल	1165.71				1165.71	
12	मेवात	मेवात	288.48				288.48	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	847.44				847.44	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	1322.65				1322.65	
15	गुड़गांव	गुड़गांव	200.83				200.83	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	598.95				598.95	
17	भिवानी	भिवानी	5181.78				5181.78	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	2533.95				2533.95	
19	हिसार	हिसार	2441.99				2441.99	
20	जीन्द	जीन्द	2913.59				2913.59	
21	सिरसा	सिरसा	2006.40				2006.40	
योग			**40763.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40763.75**	

बान्ध – सुरक्षित वन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	19.77		11.83		7.94	अम्बाला मण्डल को स्थानान्तरण के कारण छोड़ा गया है।
2	अम्बाला	अम्बाला	65.56	11.83			77.39	मोरनी मण्डल से प्राप्त होने के कारण जोड़ा गया है।
3	यमुनानगर	यमुनानगर	57.39				57.39	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	311.08				311.08	
5	कैथल	कैथल	42.94				42.94	
6	करनाल	करनाल	109.59				109.59	
7	पानीपत	पानीपत	89.49				89.49	
8	सोनीपत	सोनीपत	317.74				317.74	
9	रोहतक	रोहतक	198.00				198.00	
10	झज्जर	झज्जर	42.42				42.42	
11	पलवल	पलवल	17.64				17.64	
12	मेवात	मेवात	150.46				150.46	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	97.68				97.68	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	117.51				117.51	
15	गुड़गांव	गुड़गांव	90.50				90.50	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	64.05				64.05	
17	भिवानी	भिवानी	9.78				9.78	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	23.70				23.70	
19	हिसार	हिसार	176.75				176.75	
20	जीन्द	जीन्द	31.57				31.57	
21	सिरसा	सिरसा	150.00				150.00	
योग			**2183.62**	**11.83**	**11.83**	**0.00**	**2183.62**	

कुल योग – सुरक्षित वन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	25263.19	29.45	25.03	0.00	25267.61	
2	अम्बाला	अम्बाला	3481.84	25.03	29.45	0.00	3477.42	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	13124.42	239.98	24.46	0.00	13339.94	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	2681.79	0.00	0.00	0.00	2681.79	
5	कैथल	कैथल	3502.28	0.00	0.00	0.00	3502.28	
6	करनाल	करनाल	7134.42	0.00	0.00	0.00	7134.42	
7	पानीपत	पानीपत	4102.67	0.00	0.00	0.00	4102.67	
8	सोनीपत	सोनीपत	7386.06	0.00	0.00	0.00	7386.06	
9	रोहतक	रोहतक	3997.95	18.00	0.00	0.00	4015.95	
10	झज्जर	झज्जर	3736.34	0.00	0.00	0.00	3736.34	
11	पलवल	पलवल	2683.17	9.40	0.00	0.00	2692.57	
12	मेवात	मेवात	1182.78	0.00	0.00	0.00	1182.78	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	2402.61	0.00	0.00	0.00	2402.61	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	3292.70	0.00	0.00	0.00	3292.70	
15	गुड़गांव	गुड़गांव	1619.21	0.00	0.00	0.00	1619.21	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	1333.72	0.00	0.00	0.00	1333.72	
17	भिवानी	भिवानी	8756.85	0.00	0.00	0.00	8756.85	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	5491.21	0.00	0.00	0.00	5491.21	
19	हिसार	हिसार	6307.38	0.00	0.00	0.00	6307.38	
20	जीन्द	जीन्द	6254.63	0.00	0.00	0.00	6254.63	
21	सिरसा	सिरसा	4750.27	0.00	0.00	0.00	4750.27	
योग			**118485.49**	**321.86**	**78.94**	**0.00**	**118728.41**	

अवर्गीयकृत वन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	8.39				8.39	
2	अम्बाला	अम्बाला	0.00				0.00	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	348.72		239.98		108.74	अवर्गीयकृत वन से सुरक्षित वन घोषित होने के कारण कम हुआ है।
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	0.00				0.00	
5	कैथल	कैथल	0				0.00	
6	करनाल	करनाल	24.52				24.52	
7	पानीपत	पानीपत	0.00				0.00	
8	सोनीपत	सोनीपत	0.00				0.00	
9	रोहतक	रोहतक	375.40		18		357.40	तिलयार झील का क्षेत्र अवर्गीयकृत वन से सुरक्षित वन घोषित होने के कारण कम हुआ है।
10	झज्जर	झज्जर	45.04				45.04	
11	पलवल	पलवल	101.66		9.4		92.26	हथिनी बाही का अवर्गीयकृत वन से सुरक्षित वन घोषित होने के कारण घटा है।
12	मेवात	मेवात	39.66				39.66	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	28.19				28.19	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	0.14				0.14	
15	गुड़गांव	गुड़गांव	2.56				2.56	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	0				0.00	
17	भिवानी	भिवानी	2.20				2.20	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	54.03				54.03	
19	हिसार	हिसार	5.75				5.75	
20	जीन्द	जीन्द	172.68				172.68	
21	सिरसा	सिरसा	33.00				33.00	
योग			**1241.94**	**0.00**	**267.38**	**0.00**	**974.56**	

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 38 के अधीन बन्द वन क्षेत्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	0.00				0.00	
2	अम्बाला	अम्बाला	0.00	6.07			6.07	गांव उगाड़ा का नया क्षेत्र बन्द होने के कारण बढ़ा है।
3	यमुनानगर	यमुनानगर	0.00				0.00	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	0.00				0.00	
5	कैथल	कैथल	0.00				0.00	
6	करनाल	करनाल	77.68		1.90		75.78	गांव मुस्सेपुर का 1ण्90 है. वन क्षेत्र पुनः चैक करने पर कम हुआ है।
7	पानीपत	पानीपत	50.18				50.18	
8	सोनीपत	सोनीपत	0.00				0.00	
9	रोहतक	रोहतक	0				0.00	
10	झज्जर	झज्जर	0.00				0.00	
11	पलवल	पलवल	0.00				0.00	
12	मेवात	मेवात	206.80				206.80	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	544.72				544.72	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	112.14				112.14	
15	गुड़गांव	गुड़गांव	238.15				238.15	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	0.00				0.00	
17	भिवानी	भिवानी	200.00				200.00	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	5.60				5.60	
19	हिसार	हिसार	0				0.00	
20	जीन्द	जीन्द	8.00				8.00	
21	सिरसा	सिरसा	17.40				17.40	
योग			**1460.67**	**6.07**	**1.90**	**0.00**	**1464.84**	

पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5 के अधीन बन्द वन क्षेत्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	4466.03		156.21		4309.82	अम्बाला मण्डल को स्थानान्तरण के कारण छोड़ा गया है।
2	अम्बाला	अम्बाला	1456.92	156.21			1613.13	मोरनी मण्डल से प्राप्त होने के कारण छोड़ा गया है।
3	यमुनानगर	यमुनानगर	1411.13				1411.13	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	0.00				0.00	
5	कैथल	कैथल	0.00				0.00	
6	करनाल	करनाल	8.10				8.10	
7	पानीपत	पानीपत	0.00				0.00	
8	सोनीपत	सोनीपत	1057.45		1057.45		0.00	वन क्षेत्र पुनः जांच के कारण छोड़ा गया है।
9	रोहतक	रोहतक	221.00				221.00	
10	झज्जर	झज्जर	210.40				210.40	
11	पलवल	पलवल	25.20				25.20	
12	मेवात	मेवात	6432.33				6432.33	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	1088.52				1088.52	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	970.57				970.57	
15	गुड़गांव	गुड़गांव	6824.85				6824.85	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	5509.73				5509.73	
17	भिवानी	भिवानी	0.00				0.00	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	0.00				0.00	
19	हिसार	हिसार	0.00				0.00	
20	जीन्द	जीन्द	0.00				0.00	
21	सिरसा	सिरसा	0.00				0.00	
योग			**29682.23**	**156.21**	**1213.66**	**0.00**	**28624.78**	

कुल वन क्षेत्र – समस्त वन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	38366.33	29.45	181.24	0.00	38214.54	
2	अम्बाला	अम्बाला	5136.54	187.31	29.45	0.00	5294.40	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	21756.32	239.98	264.44	0.00	21731.86	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	4517.55	0.00	0.00	0.00	4517.55	
5	कैथल	कैथल	7216.31	0.00	0.00	0.00	7216.31	
6	करनाल	करनाल	7631.30	4.25	1.90	0.00	7633.65	
7	पानीपत	पानीपत	4152.85	0.00	0.00	0.00	4152.85	
8	सोनीपत	सोनीपत	8443.51	0.00	1057.45	0.00	7386.06	
9	रोहतक	रोहतक	4594.35	18.00	18.00	0.00	4594.35	
10	झज्जर	झज्जर	3991.78	0.00	0.00	0.00	3991.78	
11	पलवल	पलवल	2948.63	9.40	9.40	0.00	2948.63	
12	मेवात	मेवात	7877.76	0.00	0.00	0.00	7877.76	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	5726.05	0.00	0.00	0.00	5726.05	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	4935.03	0.00	0.00	0.00	4935.03	
15	गुड़गांव	गुड़गांव	8899.66	0.00	0.00	0.00	8899.66	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	7019.08	0.00	0.00	0.00	7019.08	
17	भिवानी	भिवानी	9098.32	0.00	0.00	0.00	9098.32	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	5550.84	0.00	0.00	0.00	5550.84	
19	हिसार	हिसार	6313.13	0.00	0.00	0.00	6313.13	
20	जीन्द	जीन्द	6849.71	0.00	0.00	0.00	6849.71	
21	सिरसा	सिरसा	4804.41	0.00	0.00	0.00	4804.41	
योग			**175829.46**	**488.39**	**1561.88**	**0.00**	**174755.97**	

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृत प्रस्तावों का जिला एवं श्रेणी वार सारांश

(01.04.2015 से 31.03.2016)

क. सं.	जिला	परिवर्तित किया गया कुल क्षेत्रफल (हैं)	काटे गये वृक्षों की कुल संख्या (नं.)	प्रस्तावों की कुल संख्या (नं.)	परिवर्तित करने का प्रयोजन/उददेश्य							
					सिंचाई	हुडडा	सड़के	जन स्वास्थ्य	आप्टिकल फाइबर	हस्तांतरण	पैट्रोल पम्प	अन्य/रेलवे
					क्षेत्र	क्षेत्र	क्षेत्र	क्षेत्र	क्षेत्र	क्षेत्र	क्षेत्र	क्षेत्र
1	पंचकूला	8.6505	31	10	0.00	0.00	0.0000	0.3192	6.2555	0.1978	0.0000	1.8780
2	अम्बाला	23.8666	1822	22	0.00	0.00	4.1880	0.0000	18.1803	1.4208	0.0160	0.0615
3	यमुनानगर	113.7524	20191	20	0.00	0.00	1.8166	0.0000	6.2470	0.0360	0.1858	105.4670
4	कैथल	4.5053	701	9	0.00	0.00	1.9300	0.0000	1.7700	0.7472	0.0371	0.0210
5	कुरुक्षेत्र	15.9149	295	18	0.00	0.00	0.0000	0.1700	13.9787	1.6160	0.0187	0.1315
6	रोहतक	12.1494	1220	7	0.00	0.00	7.1380	0.0000	0.0000	0.0000	0.0224	4.9890
7	पानीपत	0.1297	15	9	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1297	0.0000
8	सोनीपत	8.6705	1545	8	0.00	0.00	8.4618	0.0000	0.0000	0.1863	0.0224	0.0000
9	करनाल	7.0895	844	21	0.00	0.00	0.6150	0.0000	3.5550	2.4512	0.1670	0.3013
10	झज्जर	12.6682	701	12	0.00	0.00	11.2900	0.6500	0.0000	0.6212	0.1060	0.0010
11	हिसार	193.1283	39665	16	0.00	0.00	186.6119	0.0000	4.5300	1.7401	0.1910	0.0553
12	सिरसा	20.0958	430	21	0.00	0.00	2.8384	0.7300	15.2131	0.2376	0.0439	1.0328
13	भिवानी	9.5552	1424	17	0.00	0.00	0.8009	0.0000	2.2950	6.3274	0.1130	0.0189
14	जीन्द	0.7302	57	6	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.3510	0.3328	0.0464	0.0000
15	फतेहाबाद	2.6033	179	12	0.00	0.00	0.0000	0.0470	1.9980	0.4864	0.0470	0.0249
16	गुड़गांव	19.6011	629	14	0.00	0.00	0.8840	2.1252	3.3000	0.0000	0.0478	13.2441
17	फरीदाबाद	3.1239	459	2	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0106	3.1133
18	रेवाड़ी	22.1960	5176	17	0.00	0.00	14.2435	0.0000	0.0000	0.1395	0.1271	7.6859
19	महेन्द्रगढ़	5.7651	444	19	0.00	0.00	0.0000	0.3500	1.1700	0.3220	0.1475	3.7756
20	पलवल	1.1271	117	11	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1705	0.9566
21	मेवात	53.2312	527	12	0.00	0.00	10.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.1645	42.1767
कुल		**538.5542**	**76472**	**283**	**0.00**	**0.0000**	**251.7081**	**4.3914**	**78.8436**	**16.8623**	**1.8144**	**184.9344**

वन फार्म संख्या 8

वर्ष 2015–16 के दौरान वन बन्दोबस्त में की गई प्रगति (क्षेत्र वर्ग कि. मी. में)

				वर्ष के दौरान लागत				
मण्डल	वन का नाम	वर्ष के दौरान अन्तिम तौर पर निपटाए गये	वर्ष के आरम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान लिया गया क्षेत्र	वन लेखे में	अन्य लेखे में	अन्तिम तौर पर निपटाये गये क्षेत्र के प्रति वर्ग कि0 मी0 भूमि की पूर्ण लागत	बन्दोबस्त सम्बन्धी सरकारी अधिसूचना क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
———शून्य———								

वन फार्म संख्या - 9

(अनुच्छेद 76,78 व 79 वन विभाग संहिता सातवां संस्करण)

सीमाओं की हदबन्दी और अनुरक्षण का रिकार्ड वर्ष 2015–16 (लम्बाई कि. मी. में)

क.स.	मण्डल	वर्ष के दौरान उन सीमाओं की लम्बाई जिनकी नये सिरे से हदबन्दी की गई	पहले से वर्तमान उन सीमाओं की लम्बाई जिनकी मुरम्मत की गई	वर्ष के अन्त में अभी हदबन्दी की जाने वाली सीमाओं की लम्बाई (कि. मी. में)	वर्ष के अन्त में कृत्रिम तौर पर अंकित सीमाओं की कुल लम्बाई	ऐसी प्राकृतिक सीमाओं की लम्बाई जिनको कृत्रिम तौर पर निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है	वर्ष के अन्त में सीमाओं की कुल लम्बाई (कि. मी. में)	वर्ष के दौरान नये कार्यों पर खर्च (लाखों में)	हदबन्दी मुरम्मत पर खर्च (लाखों में)	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मोरनी पिंजौर				0.00		0.00			
2	अम्बाला				0.00		0.00			
3	यमुनानगर			3.20	732.20	2170.08	2905.48			
4	कुरुक्षेत्र				288.00		288.00			
5	कैथल				4112.73		4112.73			
6	करनाल				130.00		130.00			
7	पानीपत				0.00		0.00			
8	सोनीपत				126.57		126.57			
9	रोहतक				0.00		0.00			
10	झज्जर				0.00		0.00			
11	गुड़गांव				377.13		377.13			
12	फरीदाबाद				135.26		135.26			
13	पलवल				2.20		2.20			
14	मेवात				169.21		169.21			
15	महेन्द्रगढ़				226.00		226.00			
16	रेवाड़ी				108.89		108.89			
17	भिवानी				18.75		18.75			
18	हिसार				15.15		15.15			
19	फतेहाबाद				11.25		11.25			
20	सिरसा				0.88		0.88			
21	जीन्द				11.32		11.32			
योग		**0.00**	**0.00**	**3.20**	**6465.54**	**2170.08**	**8638.82**	**0.00**	**0.00**	

वन फार्म संख्या – 10

(अनुच्छेद 76,78 व 79 वन विभाग संहिता सातवां संस्करण)

वर्ष 2015–16 के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सम्बन्धित और सर्वेक्षणाधीन वन क्षेत्र दर्शाने वाला विवरण पत्र

राज्य	स्थलाकृतिक सर्वेक्षित क्षेत्र जिसका खर्च वन विभाग द्वारा किया जाता है।						ऐसे सामान्य सर्वेक्षण जिनके लिये खर्च वन विभाग द्वारा नही किया जाता ।					
	पिछला		वर्ष का		वर्ष के दौरान लागत	वर्ष के अन्त तक जोड़ (रुपये)	पिछला		वर्ष का		सीमा सर्वेक्षण	
	,4''1	,2''1	,4''2	,2''2			,2''1	,2''1	,2''1	,2''1	पिछला	वर्ष का
	मी0	मी0	मी0	मी0			मी0	पैमाने	मी0	पैमाने		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

———शून्य———

सर्वेक्षित कुल क्षेत्र	शेष क्षेत्र जिसका सर्वेक्षण किया जाना है	फार्म 7 के अनुसार कुल क्षेत्र	विशेष कथन
14	15	16	17

———शून्य———

वर्ष के दौरान वन सर्वेक्षण नहीं करवाया गया।

वन फार्म संख्या - 18

पुनरोत्पादन तथा पौधारोपण की प्रगति वर्ष **2015-16**

मण्डल/परिमण्डल का नाम	खासतौर पर प्राकृतिक पौधारोपण	क्षेत्र जो वर्ष के दौरान पौधारोपण किया गया		कुल क्षेत्र		रिजनरेशन, देखभाल तथा अन्य कार्यो आदि पर खर्च (रुपयो में) (केवल प्लान स्कीमों का कुल कार्यो पर खर्च)	प्रशासन एवं निर्देशन पर कुल खर्चा (केवल प्लान स्कीम)	कुल खर्चा (केवल प्लान स्कीम) (7+8)
	Ha	Ha	RKM	Ha	RKM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मोरनी–पिंजौर		910.00	300.00	910.00	300.00	166323330	13148129	179471459
अम्बाला		459.00	417.00	459.00	417.00	40430133	9827396	50257529
यमुनानगर		860.03	215.00	860.03	215.00	85196016	14455860	99651876
कुरुक्षेत्र		360.00	325.00	360.00	325.00	39000514	9115887	48116401
कैथल		277.00	322.50	277.00	322.50	36228620	8991991	45220611
उत्तरी परिमण्डल, पंचकूला		0.00	0.00	0.00	0.00	0	3473154	3473154
रोहतक		200.00	415.00	200.00	415.00	37556300	10241329	47797629
झज्जर		421.50	438.50	421.50	438.50	45319317	6951193	52270510
करनाल		295.00	430.00	295.00	430.00	40471440	8670322	49141762
पानीपत		350.00	445.00	350.00	445.00	44816033	4476452	49292485
सोनीपत		470.00	459.00	470.00	459.00	48444919	6850377	55295296
मध्य परिमण्डल, रोहतक		0.00	0.00	0.00	0.00	53143	2469564	2522707
गुड़गांव		166.00	147.89	166.00	147.89	58826739	7893427	66720166
पलवल		279.00	308.00	279.00	308.00	28726227	13244669	41970896
मेवात		516.00	220.00	516.00	220.00	99270210	21728130	120998340
फरीदाबाद		240.00	326.36	240.00	326.36	42279888	8993118	51273006
रेवाड़ी		321.50	245.00	321.50	245.00	42265978	12637844	54903822
महेन्द्रगढ़		332.50	242.00	332.50	242.00	86472730	9347819	95820549
दक्षिणी परिमण्डल, गुड़गांव		0.00	0.00	0.00	0.00	49938	1167737	1217675
भिवानी		755.00	332.00	755.00	332.00	51162088	25790655	76952743
हिसार		475.65	376.00	475.65	376.00	64900957	7996876	72897833
फतेहाबाद		295.50	390.00	295.50	390.00	40666295	12588874	53255169
सिरसा		356.00	418.00	356.00	418.00	45105094	7551541	52656635
जीन्द		406.00	367.00	406.00	367.00	34360600	6914087	41274687
पश्चिमी परिमण्डल, हिसार		0.00	0.00	0.00	0.00	1917359	3329380	5246739
प्रशिक्षण परिमण्डल, पिंजौर		0.00	0.00	0.00	0.00	52340	0	52340

मण्डल/परिमण्डल का नाम	खासतौर पर प्राकृतिक पौधारोपण	क्षेत्र जो वर्ष के दौरान पौधारोपण किया गया		कुल क्षेत्र		रिजनरेशन, देखभाल तथा अन्य कार्यो आदि पर खर्च (रुपयो में) (केवल प्लान स्कीमों का कुल कार्यो पर खर्च)	प्रशासन एवं निर्देशन पर कुल खर्चा (केवल प्लान स्कीम)	कुल खर्चा (केवल प्लान स्कीम) (7+8)
	Ha	Ha	RKM	Ha	RKM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्रशिक्षण मण्डल, पिंजौर		0.00	0.00	0.00	0.00	4297518	1964673	6262191
प्रशिक्षण मण्डल, सोहना		0.00	0.00	0.00	0.00	2691900	5143814	7835714
अनुसंधान परिमण्डल, पिंजौर		0.00	0.00	0.00	0.00	23342	0	23342
अनुसंधान मण्डल, पिंजौर		0.00	0.00	0.00	0.00	10236085	727513	10963598
कार्य योजना परिमण्डल, गुड़गांव		0.00	0.00	0.00	0.00	219903	529362	749265
बीज मण्डल, पिंजौर		0.00	0.00	0.00	0.00	17724622	1956364	19680986
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला		0.00	0.00	0.00	0.00	40284919	34221327	74506246
प्रचार एवं शिक्षा परिमण्डल, पंचकूला		0.00	0.00	0.00	0.00	6119107	3658963	9778070
उत्पादन, कुरुक्षेत्र		0.00	0.00	0.00	0.00	315000	11510	326510
उत्पादन, हिसार		0.00	0.00	0.00	0.00	326461	96652	423113
उत्पादन, करनाल		0.00	0.00	0.00	0.00	2829476	200000	3029476
उत्पादन, यमुनानगर		0.00	0.00	0.00	0.00	923352	233146	1156498
उत्पादन परिमण्डल, करनाल		0.00	0.00	0.00	0.00	139843	0	139843
मुख्य वन संरक्षक, सामु. वा., पंचकूला		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
इको टूरिज्म मण्डल, पंचकूला		0.00	0.00	0.00	0.00	7828190	656021	8484211
इको टूरिज्म, गुडगांव		0.00	0.00	0.00	0.00	2134287	0	2134287
जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, हिसार		0.00	0.00	0.00	0.00	72932	3621695	3694627
जांच एवं मूल्यांकन परिमण्डल करनाल		0.00	0.00	0.00	0.00	46500	2404630	2451130
जांच एवं मूल्यांकन मण्डल करनाल		0.00	0.00	0.00	0.00	56450	1834711	1891161
सामु. वा. परिमण्डल, अम्बाला		0.00	0.00	0.00	0.00	171348	5518404	5689752
सामु. वा. परिमण्डल, हिसार		0.00	0.00	0.00	0.00	174999	8679122	8854121
सामु. वा., अम्बाला		1017.26	135.00	1017.26	135.00	36652173	7946140	44598313
सामु. वा., कुरुक्षेत्र		949.89	115.00	949.89	115.00	34890653	9030618	43921271
सामु. वा., पानीपत		865.00	150.00	865.00	150.00	33364440	14147776	47512216
सामु. वा., हिसार		625.00	258.00	625.00	258.00	36984413	16014974	52999387
सामु. वा., भिवानी		654.60	180.00	654.60	180.00	33139328	15374621	48513949
सामु. वा., रेवाड़ी		235.40	131.00	235.40	131.00	16837718	14426875	31264593
सामु. वा. फरीदाबाद		310.00	31.00	310.00	31.00	10067071	8742478	18809549
वन्य प्राणी विंग		0.00	0.00	0.00	0.00	10655911	58000	10713911
योग	**0.00**	**13402.83**	**8139.25**	**13402.83**	**8139.25**	**1489104149**	**395055200**	**1884159349**

PLANTATION PROGRESS

(2010-11 to 2015-16)

Sr. No.	Year	2406 - Forestry Group State Schemes/Sector								2402 - Soil Conservation Schemes/Sector		Forest Deptt.'s Budgetary Heads Sector (A) (All Head-schemes Total)		Other Sector (B) DRDA & Other Agencies Schemes Total		Grand Total (A+B)
		State Sector		Joint Sector (Sharebasis)		Full Centrally Sponsored Schemes		Total								
		Ha	RKM (1 Ha= 3.3 RKM)	Ha	RKM (1 Ha= 3.3 RKM)	Ha	RKM (1 Ha= 2 RKM)	Ha	RKM	Ha	RKM (1 Ha= 3.3 RKM)	Ha	RKM	Ha	RKM (1 Ha= 3.3 RKM)	Or say in Ha.
1	2010-11	10332.00	6011.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10332.00	6011.05	135.00	0.00	10467.00	6011.05	6461.36	2299.04	**19447**
2	2011-12	10404.00	9098.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10404.00	9098.85	340.00	0.00	10744.00	9098.85	2466.26	2009.40	**16576**
3	2012-13	13799.86	7715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13799.86	7715.00	165.00	0.00	13964.86	7715.00	4410.50	3392.38	**21741**
4	2013-14	18881.00	6591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18881.00	6591.00	40.00	0.00	18921.00	6591.00	2367.50	2192.38	**23950**
5	2014-15	15745.50	8922.00	0.00	0.00	2967.00	0.00	18712.50	8922.00	94.00	0.00	18806.50	8922.00	1616.00	2371.00	**23845**
6	2015-16	11518.83	8139.25	1769.00	0.00	0.00	0.00	13287.83	8139.25	115.00	0.00	13402.83	8139.25	5969.58	2100.01	**22475**

भाग दो–अध्याय दो

अनुभाग–एकः प्रबन्ध का विनिमय

वर्ष के दौरान वन संसाधनों के प्रबंधन एवं सतत विकास हेतु राज्य के मोरनी–पिंजौर वन मण्डल की कार्य योजना तैयार की जा रही है। वर्ष के दौरान स्वीकृत कार्य योजनाओं के अधीन 1363.99 वर्ग कि. मी. वन क्षेत्र रहा।

अनुभाग–दोः यातायात तथा भवन

वर्ष के दौरान नये भवनों, सड़कों व पथों के निर्माण पर 384.21 लाख रुपये खर्च किये गये। इसके अतिरिक्त पुराने भवनों, सड़कों व मार्गों की मुरम्मत पर 254.00 लाख रुपये खर्च किये गये। अतः वर्ष के दौरान संचार तथा भवनों पर कुल खर्च 638.21 लाख रुपये रहा जिसमें से 514.08 लाख रूपये स्टेट स्कीमों का खर्च रहा तथा 124.13 लाख रूपये अन्य स्कीम (कैम्पा) का खर्चा शामिल है।

अनुभाग–तीनः वन उपज की निकासी

राज्य में वन उपज की निकासी का कार्य मुख्यतः विभागीय उत्पादन परिमण्डल, पंचकूला तथा हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला नामक दो संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है जिनका लकड़ी कटाई / निकासी सम्बन्धी पूर्ण विवरण भाग दो अध्याय तीन में अंकित है। कार्य योजनाओं, संचार तथा भवनों सम्बन्धी प्रगति का विवरण फार्म संख्या 11 व 12 में दर्शाया गया है।

वन फार्म संख्या 11

(अनुच्छेद 76,77 और 79 वन विभाग संहिता सातवां संस्करण)

कार्य योजनाओं में की गई प्रगति वर्ष 2015–16

वर्ग कि. मी.

क. सं.	मण्डल का नाम	स्वीकृत कार्ययोजनाओं के अधीन क्षेत्र			वर्ष के अन्त में वास्तविक क्षेत्र	कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत जो कि खाना 10 में दिखाया गया है	तैयार की जा रही योजनाएं	तैयार न की जा रही योजनायें		खाना नं0 5,7,8 तथा 9 का जोड़	परिशोधित			वर्ष के दौरान कार्य योजनाओं पर खर्च (रू0 लाखों में)
		वर्ष के आरम्भ में क्षेत्र	वर्ष के दौरान जोड़ा गया क्षेत्र	वर्ष के दौरान निकाला गया क्षेत्र				अब अपेक्षित हैं	जो अपेक्षित नहीं हैं		नियत अथवा अपेक्षित	वर्ष के अन्त में चालू	वर्ष के दौरान परिशोधित कार्य योजनायें जो मंजूर हुई	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मोरनी–पिंजौर	0			0.00					0.00				
2	अम्बाला	42.49			42.49	100				42.49				
3	यमुनानगर	217.56			217.56	100				217.56				
4	कुरुक्षेत्र	45.46			45.46	100				45.46				
5	कैथल	72.16			72.16	100				72.16				
6	करनाल	77.00			77.00	100				77.00				
7	पानीपत	41.53			41.53	100				41.53				
8	सोनीपत	74.65			74.65	100				74.65				
9	रोहतक	45.94			45.94	100				45.94				
10	झज्जर	39.02			39.02	100				39.02				
11	गुड़गांव	88.98			88.98	100				88.98				
12	फरीदाबाद	70.22			70.22	100				70.22				
13	पलवल	29.78			29.78	100				29.78				
14	मेवात	95.74			95.74	100				95.74				
15	रेवाड़ी	50.76			50.76	100				50.76				
16	महेन्द्रगढ़	57.26			57.26	100				57.26				
17	हिसार	63.13			63.13	100				63.13				
18	फतेहाबाद	42.31			42.31	100				42.31				
19	भिवानी	94.22			94.22	100				94.22				
20	सिरसा	48.04			48.04	100				48.04				
21	जीन्द	67.74			67.74	100				67.74				
योग		**1363.99**	**0**	**0.00**	**1363.99**	**100**	**0**	**0**	**0**	**1363.99**	**0**	**0**	**0**	

वन फार्म संख्या-12

अनुच्छेद 70, 76, व 79 वन विभाग संहिता सातवां संस्करण

वर्ष 2015–16 के दौरान संचार और भवन दर्शाने वाला विवरण पत्र

(खर्च रुपयों में) (लम्बाई कि0मी0 में)

क. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष के दौरान नये कार्यों पर खर्च					सड़क तथा पथ			
							छकड़ों के लिए सड़क		अश्व पथ	
		मुख्यालय भवनों पर	विश्राम गृहों पर	अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए भवनों पर	अन्य भवनों पर	कुल खर्च	लम्बाई	खर्च	लम्बाई	खर्च
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मोरनी–पिंजौर	0	0	1800000	0	1800000	0	0	0	0
2	यमुनानगर	0	0	1800000	0	1800000	0	0	0	0
3	अम्बाला	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कैथल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	उत्तरी परिमण्डल, पंचकूला	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	रोहतक	0	0	1757560	0	1757560	0	0	0	0
8	झज्जर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	करनाल	0	0	380497	0	380497	0	0	0	0
10	पानीपत	546768	0	1428499	0	1975267	0	0	0	0
11	सोनीपत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मध्य परिमण्डल, रोहतक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	गुड़गांव	984000	0	0	7094421	8078421	0	0	0	0
14	फरीदाबाद	0	0	0	442601	442601	0.09	392400	0	0
15	पलवल	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0
16	मेवात नूंह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	महेन्द्रगढ़	0	0	1110061	1872980	2983041	0	0	0	0
18	रेवाड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	दक्षिणी परिमण्डल, गुडगांव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	हिसार	0	720000	1030220	0	1750220	0	0	0	0
21	फतेहाबाद	0	0	50000	0	50000	0	0	0	0
22	सिरसा	216826	0	999274	0	1216100	0	0	0	0
23	भिवानी	5941850	0	0	0	5941850	0	0	0	0
24	जीन्द	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	2065554	0	0	0	2065554	0	0	0	0
26	प्रचार एवं शिक्षा परिमण्डल, पंचकूला	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	अनुसंधान मण्डल, पिंजौर	0	0	1039015	330186	1369201	0	0	0	0
28	कार्य योजना परिमण्डल गुड़गांव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	प्रशिक्षण मण्डल सोहना	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0
30	ईको टूरिज्म, गुड़गांव	0	0	0	951779	951779	0	0	0	0
31	प्रशिक्षण मण्डल, पिंजौर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	उत्पादन, करनाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	उत्पादन, यमुनानगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	उत्पादन, कुरूक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	उत्पादन, हिसार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	उत्पादन परिमण्डल करनाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	प्र.मु.व.सं. कार्यालय, पंचकूला	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, हिसार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल करनाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	जांच एवं मूल्यांकन परिमण्डल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	वन संरक्षक सामु. वा., अम्बाला	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	सामु. वा. हिसार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	सामु. वा. रेवाड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	सामु. वा. फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	सामु. वा. भिवानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	सामु. वा. कुरूक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	सामु. वा. अम्बाला	0	0	0	1544000	1544000	0	0	0	0
48	सामु. वा. पानीपत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	वन्य प्राणी मण्डल, रोहतक					0				
50	वन्य प्राणी मण्डल, हिसार	975744	0	0	0	975744	0	0	0	0
51	वन्य प्राणी मण्डल, पंचकूला	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	वन्य प्राणी मण्डल, गुड़गावं	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		**10730742**	**720000**	**11395126**	**13435967**	**36281835**	**0.09**	**392400**	**0**	**0**

क. सं.	कार्यालय का नाम	अन्य		पथों तथा सड़कों की		अन्य कार्यों पर किया गया खर्च	नये कार्यों पर कुल खर्च	वर्ष के दौरान की गई मुरम्मतें	
		लम्बाई	खर्च	कुल लम्बाई	कुल खर्च			मुख्यालय भवनों पर	विश्राम गृहों पर
	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	मोरनी–पिंजौर	0	0	0	0	0	1800000	0	1674901
2	यमुनानगर	0	0	0	0	0	1800000	0	0
3	अम्बाला	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कैथल	0	0	0	0	0	0	0	0
6	उत्तरी परिमण्डल, पंचकूला	0	0	0	0	0	0	0	0
7	रोहतक	0	0	0	0	0	1757560	0	0
8	झज्जर	0	0	0	0	0	0	0	0
9	करनाल	0	0	0	0	0	380497	0	0
10	पानीपत	0	0	0	0	0	1975267	0	0
11	सोनीपत	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मध्य परिमण्डल, रोहतक	0	0	0	0	0	0	0	0
13	गुड़गांव	0	0	0	0	0	8078421	1000000	0
14	फरीदाबाद	0	0	0.09	392400	0	835001	1100000	0
15	पलवल	0	1250231	0	1250231	0	2250231	0	0
16	मेवात नूंह	0	0	0	0	0	0	0	200000
17	महेन्द्रगढ़	0	0	0	0	0	2983041	0	400000
18	रेवाड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0
19	दक्षिणी परिमण्डल, गुडगांव	0	0	0	0	0	0	0	0
20	हिसार	0	0	0	0	0	1750220	0	0
21	फतेहाबाद	0	0	0	0	0	50000	0	0
22	सिरसा	0	0	0	0	0	1216100	0	0
23	भिवानी	0	0	0	0	0	5941850	0	0
24	जीन्द	0	0	0	0	0	0	0	0

	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25	पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	0	0	0	0	0	2065554	0	0
26	प्रचार एवं शिक्षा परिमण्डल, पंचकूला	0	0	0	0	0	0	0	0
27	अनुसंधान मण्डल, पिंजौर	0	496358	0	496358	0	1865559	0	0
28	कार्य योजना परिमण्डल गुड़गांव	0	0	0	0	0	0	0	0
29	प्रशिक्षण मण्डल सोहना	0	0	0	0	0	200000	0	0
30	ईको टूरिज्म, गुड़गांव	0	0	0	0	0	951779	0	0
31	प्रशिक्षण मण्डल, पिंजौर	0	0	0	0	0	0	0	0
32	उत्पादन, करनाल	0	0	0	0	0	0	194917	0
33	उत्पादन, यमुनानगर	0	0	0	0	0	0	2000000	0
34	उत्पादन, कुरूक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	200000	0
35	उत्पादन, हिसार	0	0	0	0	0	0	199695	0
36	उत्पादन परिमण्डल करनाल	0	0	0	0	0	0	0	0
37	प्र.मु.व.सं. कार्यालय, पंचकूला	0	0	0	0	0	0	8695324	0
38	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, हिसार	0	0	0	0	0	0	0	0
39	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल करनाल	0	0	0	0	0	0	0	0
40	जांच एवं मूल्यांकन परिमण्डल करनाल	0	0	0	0	0	0	46781	0
41	वन संरक्षक सामु.वा., अम्बाला	0	0	0	0	0	0	0	0
42	सामु. वा. हिसार	0	0	0	0	0	0	712273	0
43	सामु. वा. रेवाड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0
44	सामु. वा. फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0
45	सामु. वा. भिवानी	0	0	0	0	0	0	0	0
46	सामु. वा. कुरूक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0
47	सामु. वा. अम्बाला	0	0	0	0	0	1544000	0	0
48	सामु. वा. पानीपत	0	0	0	0	0	0	0	0
49	वन्य प्राणी मण्डल, रोहतक	0	0	0	0	0	0	0	0
50	वन्य प्राणी मण्डल, हिसार	0	0	0	0	0	975744	1012991	0
51	वन्य प्राणी मण्डल, पंचकूला	0	0	0	0	0	0	0	0
52	वन्य प्राणी मण्डल, गुड़गावं	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		**0**	**1746589**	**0.09**	**2138989**	**0**	**38420824**	**15161981**	**2274901**

क. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष के दौरान की गई मुरम्मतें			सड़कें तथा मार्ग					
					छकड़ों के लिये सड़कें		अश्व पथ		अन्य	
		अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये भवनों पर	अन्य भवनों पर	किया गया कुल खर्च	लम्बाई	लागत	लम्बाई	लागत	लम्बाई	लागत
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	मोरनी–पिंजौर	0	0	1674901	0	0	0	0	0	0
2	यमुनानगर	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0
3	अम्बाला	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कैथल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	उत्तरी परिमण्डल, पंचकूला	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	रोहतक	0	209612	209612	0	0	0	0	0	0
8	झज्जर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	करनाल	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0
10	पानीपत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	सोनीपत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मध्य परिमण्डल, रोहतक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	गुड़गांव	0	0	1000000	0.19	400000	0	0	0	0
14	फरीदाबाद	0	0	1100000	0	0	0	0	0	0
15	पलवल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेवात नूंह	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
17	महेन्द्रगढ़	0	0	400000	0	0	0	0	0	0
18	रेवाड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	दक्षिणी परिमण्डल, गुडगांव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	हिसार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	फतेहाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
22	सिरसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	भिवानी	20160	72695	92855	0	0	0	0	0	0
24	जीन्द	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	प्रचार एवं शिक्षा परिमण्डल, पंचकूला	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
27	अनुसंधान मण्डल, पिंजौर	2484436	0	2484436	0	0	0	0	0	0
28	कार्य योजना परिमण्डल गुड़गांव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	प्रशिक्षण मण्डल सोहना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ईको टूरिज्म, गुड़गांव	0	982547	982547	0	0	0	0	0	0
31	प्रशिक्षण मण्डल, पिंजौर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	उत्पादन, करनाल	0	2499959	2694876	0	0	0	0	0	0
33	उत्पादन, यमुनानगर	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0
34	उत्पादन, कुरूक्षेत्र	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
35	उत्पादन, हिसार	0	0	199695	0	0	0	0	0	0
36	उत्पादन परिमण्डल करनाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	प्र0मु0व0सं0 कार्यालय, पंचकूला	0	0	8695324	0	0	0	0	0	0
38	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, हिसार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल करनाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	जांच एवं मूल्यांकन परिमण्डल करनाल	0	0	46781	0	0	0	0	0	0
41	वन संरक्षक सामु0वा0, अम्बाला	69367	0	69367	0	0	0	0	0	0
42	सामु. वा. हिसार	0	0	712273	0	0	0	0	0	0
43	सामु. वा. रेवाड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	सामु. वा. फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	सामु. वा. भिवानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	सामु. वा. कुरुक्षेत्र	0	200000	200000	0	0	0	0	0	0
47	सामु. वा. अम्बाला	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	सामु. वा. पानीपत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	वन्य प्राणी मण्डल, रोहतक	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0
50	वन्य प्राणी मण्डल, हिसार	60101	235709	1308801	0	0	0	0	0	0
51	वन्य प्राणी मण्डल, पंचकूला	373300	0	373300	0	0	0	0	0	0
52	वन्य प्राणी मण्डल, गुड़गावं	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		**3362364**	**4200522**	**24999768**	**0.19**	**400000**	**0**	**0**	**0**	**0**

क. सं.	कार्यालय का नाम	मार्गों अथवा सड़कों की		अन्य कार्यों पर किया गया खर्च	किया गया कुल खर्च	विशेष कथन
		कुल लम्बाई	कुल खर्च			
	30	31	32	33	34	35
1	मोरनी–पिंजौर	0.00	0		3474901	
2	यमुनानगर	0.00	0		1950000	
3	अम्बाला	0.00	0		0	
4	कुरुक्षेत्र	0.00	0		0	
5	कैथल	0.00	0		0	
6	उत्तरी परिमण्डल, पंचकूला	0.00	0		0	
7	रोहतक	0.00	0		1967172	
8	झज्जर	0.00	0		0	
9	करनाल	0.00	0		405497	कैम्पा स्कीम के रू0 380497 कुल खर्च में शामिल है
10	पानीपत	0.00	0		1975267	कैम्पा स्कीम के रू0 1975267 कुल खर्च में शामिल है
11	सोनीपत	0.00	0		0	
12	मध्य परिमण्डल, रोहतक	0.00	0		0	
13	गुड़गांव	0.19	400000		9478421	कैम्पा स्कीम के रू0 3192000 कुल खर्च में शामिल है
14	फरीदाबाद	0.00	0		1935001	
15	पलवल	0.00	0		2250231	कैम्पा स्कीम के रू0 1000000 कुल खर्च में शामिल है
16	मेवात नूंह	0.00	0		200000	
17	महेन्द्रगढ़	0.00	0		3383041	कैम्पा स्कीम के रू0 1224641 कुल खर्च में शामिल है
18	रेवाडी	0.00	0		0	
19	दक्षिणी परिमण्डल, गुडगांव	0.00	0		0	
20	हिसार	0.00	0		1750220	
21	फतेहाबाद	0.00	0		50000	
22	सिरसा	0.00	0		1216100	
23	भिवानी	0.00	0		6034705	कैम्पा स्कीम के रु. 4640000 कुल खर्च में शामिल है
24	जीन्द	0.00	0		0	
25	पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	0.00	0		2065554	

	30	31	32	33	34	35
26	प्रचार एवं शिक्षा परिमण्डल, पंचकूला	0.00	0		100000	
27	अनुसंधान मण्डल, पिंजौर	0.00	0		4349995	
28	कार्य योजना परिमण्डल गुड़गांव	0.00	0		0	
29	प्रशिक्षण मण्डल सोहना	0.00	0		200000	
30	ईको टूरिज्म, गुड़गांव	0.00	0		1934326	
31	प्रशिक्षण परिमण्डल, पिंजौर	0.00	0		0	
32	उत्पादन, करनाल	0.00	0		2694876	
33	उत्पादन, यमुनानगर	0.00	0		2000000	
34	उत्पादन, कुरूक्षेत्र	0.00	0		200000	
35	उत्पादन, हिसार	0.00	0		199695	
36	उत्पादन परिमण्डल करनाल	0.00	0		0	
37	प्र0मु0व0सं0 कार्यालय, पंचकूला	0.00	0		8695324	
38	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, हिसार	0.00	0		0	
39	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल करनाल	0.00	0		0	
40	जांच एवं मूल्यांकन परिमण्डल करनाल	0.00	0		46781	
41	वन संरक्षक सामु0वा0, अम्बाला	0.00	0		69367	
42	सामु. वा. हिसार	0.00	0		712273	
43	सामु. वा. रेवाड़ी	0.00	0		0	
44	सामु. वा. फरीदाबाद	0.00	0		0	
45	सामु. वा. भिवानी	0.00	0		0	
46	सामु. वा. कुरूक्षेत्र	0.00	0		200000	
47	सामु. वा. अम्बाला	0.00	0		1544000	
48	सामु. वा. पानीपत	0.00	0		0	
49	वन्य प्राणी मण्डल, रोहतक	0.00	0		80000	
50	वन्य प्राणी मण्डल, हिसार	0.00	0		2284545	
51	वन्य प्राणी मण्डल, पंचकूला	0.00	0		373300	
52	वन्य प्राणी मण्डल, गुड़गावं	0.00	0		0	
योग		**0.19**	**400000**	**0**	**63820592**	कैम्पा स्कीम के रू0 12412405 कुल खर्च में शामिल है

भाग दो–अध्याय तीन

हरियाणा राज्य के गठन के समय सरकारी क्षेत्रों में खड़े वृक्षों की कटाई ठेकेदारों के माध्यम से करवाई जाती थी, क्योंकि विभागीय कटाई को कोई विशेष महत्व प्राप्त नहीं था और ना ही कटाई को वैज्ञानिक फोरेस्टरी में शामिल किया जाता था। ठेकेदारी प्रणाली को समाप्त करने तथा वनों की कटाई वैज्ञानिक ढंग से करने के उद्देश्य से वर्ष 1967 में विभागीय कटाई का कार्यक्रम एक प्रयोग के तौर पर वन राजिक क्षेत्रीय के अधीन जिला करनाल में प्रारम्भ किया गया। इसके अगले वर्ष 1968 में कार्य योजना एवं अनुसंधान मण्डल के अधीन उत्पादन रेंज कलेसर का सृजन किया गया। बाद में यह रेंज वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला के अधीन कर दी गई। आरम्भ में केवल थिनिंग (छंटाई) इत्यादि का कार्य इस रेंज द्वारा किया गया तथा वर्ष 1973 में इसे पूर्ण उत्पादन वन मण्डल में परिवर्तित कर दिया गया तथा उसी वर्ष काष्ठ निर्माण परिमण्डल का भी सृजन किया गया, जिसका मुख्यालय चण्डीगढ में रखा गया। इसके साथ–साथ अन्य उत्पादन रेंज तथा उत्पादन मण्डल भी बनाए गए। बाद में काष्ठ निर्माण परिमण्डल का नाम उत्पादन परिमण्डल रखा गया तथा इसका मुख्यालय पंचकूला में निर्धारित किया गया।

हरियाणा वन विकास निगम भी सरकारी जंगलों से कटाई के अतिरिक्त किसानों, पंचायतों व अन्य संस्थाओं के वृक्षों की कटाई/निकासी का कार्य राज्य में करता है। हरियाणा राज्य में सरकारी जंगलों से कटाई/निकासी सम्बन्धी कार्य मूलतः दो संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है व जिनकी राज्य वनों से वन उत्पाद सम्बन्धी निकासी/कटाई हेतु जिलावार कार्य क्षेत्र बांट वर्षभर निम्नलिखित रही हैः–

वन विकास निगम हरियाणा के अम्बाला, कुरूक्षेत्र, रोहतक, गुड़गांव, जीन्द व हिसार नामक 6 क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय है। जिनको राज्य के 10 जिलों, अम्बाला, रोहतक, झज्जर, जीन्द, हिसार, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, रेवाड़ी व करनाल की क्षेत्रीय रेंज इन्द्री के सरकारी जंगलो का वन क्षेत्र कटाई / निकासी सम्बन्धी कार्य हेतु आंबटित है।

1. वन विकास निगम द्वारा कटाई (HFDC Logging)

पिछले पांच वर्षो के दौरान हरियाणा वन विकास निगम द्वारा केवल मात्र विभागीय सरकारी जंगलों से काटे गये वृक्षों का आयतन / लोगिंग डेटा निम्न प्रकार से आंका जा सकता हैः–

प्रजातिवार काटे गए वृक्षों का आयतन (घन मीटर में)								
वर्ष	प्रजाति	क्षेत्रीय प्रबंधक						
		अम्बाला	कुरुक्षेत्र	गुड़गांव	रोहतक	जीन्द	हिसार	योग
2011-12	सफेदा	10178	5573	1220	525	3357	1275	22128
	अन्य	2899	1421	3211	2543	3847	1248	15169
	योग	**13077**	**6994**	**4431**	**3068**	**7204**	**2523**	**37297**
2012-13	सफेदा	10696	8505	1664	125	1807	5022	27819
	अन्य	3233	2497	374	4284	1152	2701	14241
	योग	**13929**	**11002**	**2038**	**4409**	**2959**	**7723**	**42060**
2013-14	सफेदा	4910	6843	9670	6428	144	201	28196
	अन्य	2395	1913	4773	4921	75	90	14167
	योग	**7305**	**8756**	**14443**	**11349**	**219**	**291**	**42363**
2014-15	सफेदा	16336	5817	1776	4900	8641	2145	39615
	अन्य	1745	663	6490	3260	3120	2076	17354
	योग	**18081**	**6480**	**8266**	**8160**	**11761**	**4221**	**56969**
2015-16	सफेदा	18855	4313	3439	8516	1045	2092	38260
	अन्य	2556	2746	5029	3414	2155	8345	24245
	योग	**21411**	**7059**	**8468**	**11930**	**3200**	**10437**	**62505**
पिछले पांच वर्षो का विश्लेषण	सफेदा	60975	31051	17769	20494	14994	10735	156018
		39%	20%	11%	13%	10%	7%	100%
	अन्य	12828	9240	19877	18422	10349	14460	85176
		15%	11%	23%	22%	12%	17%	100%
	कुल योग	**73803**	**40291**	**37646**	**38916**	**25343**	**25195**	**241194**
		30%	**17%**	**16%**	**16%**	**11%**	**10%**	**100%**

2. उत्पादन विंग (Production Circle/Wing): इस समय उत्पादन परिमण्डल के अधीन 4 उत्पादन मण्डल, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल तथा हिसार व 10 उत्पादन रेंज तथा 2 सॉ–मिल्ज रेंजे कार्य कर रही है। राज्य के सरकारी वनों से कटाई/निकासी सम्बन्धी कार्य विभागीय उत्पादन परिमण्डल के वन मण्डल अधिकारियों (हरियाणा वन विकास निगम पंचकूला के निर्धारित क्षेत्र को छोड़कर) द्वारा किया जा रहा है। राज्य में सरकारी जंगलों से वन उत्पाद की कटाई/निकासी सम्बन्धी कार्य प्राईवेट कम्पनियों के माध्यम से न होकर विभागीय संस्थागत अमले के सुपरविजन में ठेकेदारों के माध्यम से करवाया जा रहा है। हरियाणा राज्य का भौगोलिक क्षेत्र मुख्यतः मैदानी है। अतः साधारण कटाई के तहत ही कार्य किये जा रहे हैं।

कटाई/निकासी आंबटनः विभागीय उत्पादन परिमण्डल पंचकूला के कार्य का संचालन/निरीक्षण वन संरक्षक उत्पादन, करनाल के माध्यम से अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन, पंचकूला के अधीन किया जा रहा है। राज्य के 11 जिलों के सरकारी जंगलो की कटाई/निकासी का कार्य विभागीय उत्पादन वन मण्डलों को निम्न प्रकार से आंबटित रहा है।

क्र. सं.	मण्डल	रेंज	जिलावार क्षेत्राधिकार
1.	यमुनानगर	जगाधरी	यमुनानगर
		पिंजौर	पंचकूला
		यमुनानगर सा–मिल	
2.	कुरूक्षेत्र	पिपली	कुरूक्षेत्र
		पेहवा	कैथल
3.	करनाल	करनाल	करनाल (इन्द्री रेंज छोडकर), पानीपत
		सोनीपत	सोनीपत
		महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
		करनाल सा–मिल	
4.	हिसार	भिवानी	भिवानी
		फतेहाबाद	फतेहाबाद
		सिरसा	सिरसा

Value Addition:

आरा मशीन- Saw Mill

राज्य में विभागीय दो सॉ–मिल्ज है, एक जगाधरी सा–मिल जिला यमुनानगर में तथा दूसरी मंगलपुर सा–मिल जिला करनाल में है। जिनका कार्यभार स्वतंत्र रूप से एक–एक रेंज अधिकारी को अलग–अलग से दिया गया है ताकि फर्नीचर इत्यादि बनाने का कार्य सुचारू रूप से हो सके। इसके अतिरिक्त कुरूक्षेत्र सा–मिल का प्रबन्धन वन विकास निगम हरियाणा द्वारा किया जा रहा है।

सोलर किलन- Solar Kiln

एफ.आर.आई., देहरादून द्वारा डिजाईन किया गया एक Solar Wood Seasoning Kiln जगाधरी सा–मिल में स्थापित है। यह मुख्यतः सौर उर्जा का प्रयोग करता है व खासतौर से सफेदे की लकड़ी की Seasoning हेतु लाभप्रद रहा है।

Production Circle Logging:

विभागीय उत्पादन वन मण्डलों द्वारा पिछले 5 वर्षो में सरकारी जगलों से काटे गये वृक्षों के आयतन का विवेचन निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः–

A. Felling volume (in cum) of Production Divisions					
Year	**Yamunanagar**	**Kurukshetra**	**Karnal**	**Hisar**	**Total**
2011-12	16606	13804	25841	1710	57961
2012-13	13923	15818	23457	5889	59087
2013-14	9188	7460	25810	2667	45125
2014-15	9862	14517	21239	12932	58550
2015-16	20107	33988	22057	46101	122253
Total	**69686**	**85587**	**118404**	**69299**	**342976**
%age	20	25	35	20	100

Species wise logging data:

प्रजातिवार की गई कटाई का आंकलन निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः–

B. Species wise Felling (in cum)							
Year	**Eucalyptus**	**Shisham**	**Kikar**	**Chir**	**Khair**	**Misc.**	**Total Vol.**
2011-12	40484	3955	4696	855	699	7272	57961
2012-13	34952	5479	6744	1113	582	10217	59087
2013-14	26810	2988	6165	2162	299	6701	45125
2014-15	40033	2307	6447	589	73	9101	58550
2015-16	73749	6074	15185	1176	129	25940	122253
Total	**216028**	**20803**	**39237**	**5895**	**1782**	**59231**	**342976**
%age	63	6	11	2	1	17	100

Dead Dry and Green felling data

डैड ड्राई व ग्रीन वृक्षों की कटाई का आंकलन निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः–

C. Dead Dry and Green Felling (in Cu. M.)					
Year	**Green**	**Dead/Dry**	**Total**	**Green %**	**DD %**
2011-12	38126	19835	57961	66	34
2012-13	28996	30091	59087	49	51
2013-14	22030	23095	45125	49	51
2014-15	35024	23526	58550	60	40
2015-16	67074	55179	122253	55	45
Total	**191250**	**151726**	**342976**	**56**	**44**

Wood Marketing Strategy Impacts - Price Trends:

पिछले 5 वर्षों के वन उत्पादों सम्बन्धी दरों का विवेचन भी निम्न प्रकार से रहा हैः–

D. *Price Trends of Round Timber					
Species	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
Eucalyptus	6736	7796	7103	5913	5103
Shisham	12095	13004	13122	12312	11842
Kikar	6264	7155	7027	6299	5793
Miscellaneous	4938	5271	4770	4850	4014
Price Trends of G-1 (Girth 26 cms to 59 cms)					
Species	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
Eucalyptus	2071	2194	2411	2074	1949
Shisham	2107	2203	2341	2249	2000
Kikar	2381	2447	2862	2669	2377
Miscellaneous	1865	1992	1998	1861	1644
Price Trends of G-2 (below 26 cms)					
Species	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
Eucalyptus	686	726	867	800	842
Shisham	643	705	847	807	709
Kikar	678	838	922	824	846
Miscellaneous	555	655	638	624	560
***Price in Rs.**					

Sales and Proceeds:

पिछले 5 वर्षों के दौरान सेल व प्रोसीड का प्रजातिवार आंकलन निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः–

E. Sale Proceed Analysis							
Sr. No.	**Species**	**Grade**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	Eucalyptus	**Above"**	7501	8402	7821	6684	5719
		Below"	6319	7334	6741	5303	4593
		H&D	4540	5682	5662	4729	4179
		RT	**6736**	**7796**	**7103**	**5913**	**5103**
		G-I	2071	2194	2411	2074	1949
		G-II	686	726	867	800	842
2.	Shisham	**Above"**	17315	18776	20330	20360	18374
		Below"	7635	8920	8702	8557	8814
		H&D	8469	9148	9044	9307	9992
		RT	**12095**	**13004**	**13122**	**12312**	**11842**
		G-I	2107	2223	2341	2249	2000
		G-II	643	705	847	807	709
3.	Kikar	**Above"**	7348	8588	8283	7991	7512
		Below"	6258	7084	7099	6668	6042
		H&D	5386	6582	6547	5911	5488
		RT	**6264**	**7155**	**7027**	**6299**	**5793**
		G-I	2381	2447	2862	2669	2377
		G-II	678	838	922	824	846
4.	Khair	**Above"**	19728	26854	30084	28507	28849
		Below"	16064	21479	24469	22918	23023
		H&D	7190	10681	10905	10000	14000
		RT	**15765**	**20942**	**24005**	**21708**	**23053**
		G-I	3503	5266	5950	5998	7605
		G-II	1285	1239	1273	683	1126
5.	Chir	**Above"**	7448	7071	7452	6601	4008
		Below"	0	0	0	0	0
		H&D	4679	4225	4523	5100	2031
		RT	**6088**	**5240**	**5890**	**5625**	**2918**
		G-I	2043	1780	2155	1655	700
		G-II	0	0	625	0	0
6.	A. Thus	**Above"**	0	0	0	0	2547
		Below"	0	0	0	0	1959
		H&D	0	0	0	0	2189
		RT	**0**	**0**	**0**	**0**	**2305**
		G-I	0	0	0	0	0
		G-II	0	0	0	0	0
7.	Miscellaneous	**Above"**	5992	6184	5443	5534	4707
		Below"	4694	5220	5006	4984	4043
		H&D	3526	4515	3873	4219	3540
		RT	**4938**	**5271**	**4770**	**4850**	**4014**
		G-I	1865	1952	1998	1861	1644
		G-II	555	655	638	624	560

Out-Turn Trend Analyses:

वर्ष के दौरान हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला द्वारा 62505 घ. मी. आयतन तथा विभागीय उत्पादन परिमण्डल, पंचकूला द्वारा 122253 घ. मी. आयतन काटा गया। इस प्रकार वर्ष के दौरान सरकारी वनों से कुल 184758 घ. मी. उत्पाद की कटाई/निकासी की गई।

पिछले पांच वर्षो में सरकारी जंगलों से काटे गये आयतन का Trends आंकलन निम्न प्रकार से रहा है:–

क्र. सं.	वर्ष	विंग		आयतन (घ. मी.)
		उत्पादन (Production)	हरियाणा वन विकास निगम (HFDC)	कुल योग
1.	2011-12	57961	37297	95258
2.	2012-13	59087	42060	101147
3.	2013-14	45125	42363	87488
4.	2014-15	58550	56969	115519
5.	2015-16	122253	62505	184758
योग		**342976**	**241194**	**584170**
%age		**59**	**41**	**100**

Agency wise Felling Data:

राज्य के सरकारी जंगलों से एजेंसी वाईज की गई कटाई से प्राप्त ANNUAL OUT-TURN TRENDS का अवलोकन भी निम्न प्रकार से किया जा सकता है:–

AGENCY- WISE LOGGING TREND
MAJOR FOREST PRODUCE OUT-TURN FROM STATE-OWNED FORESTS IN HARYANA
Year : 2011-12 to 2015-16

Year / Production Agency	Standing Volume Felled (in Cu.M.)	Conversion Obtained (in Cu. M.)						Total Out-turn (in Solid cum)
		Round Timber (in Solid cum)	Grade - I (Girth 26 cms to 59 cms)	Grade - II (below 26 cms)	Stumps		Fuelwood in solid cum after conversion of G-I/G-II/ Stumps (G-I*5/12+ G-II*2/12+ Stumps cum*1/4)	
					Qty. (Nos.)	Stumps (Stacked cum) (4 Stumps= 1 Stm3)		
Forest Deptt. (A)	57961	31120	16523	8592	4069	1017	8571	39691
HFDC (B)	37297	19457	9901	6012	9719	2430	5735	25192
2011-12 (A+B)	**95258**	**50577**	**26424**	**14604**	**13788**	**3447**	**14306**	**64883**
Forest Deptt. (A)	59087	31116	16260	6995	3403	851	8154	39270
HFDC (B)	42060	21127	10038	5429	12311	3078	5857	26984
2012-13 (A+B)	**101147**	**52243**	**26298**	**12424**	**15714**	**3929**	**14011**	**66254**
Forest Deptt. (A)	45125	23354	10565	4541	2215	554	5297	28651
HFDC (B)	42363	20432	11782	7323	12953	3238	6939	27371
2013-14 (A+B)	**87488**	**43786**	**22347**	**11864**	**15168**	**3792**	**12236**	**56022**
Forest Deptt. (A)	58550	32451	14899	7533	1940	485	7585	40036
HFDC (B)	56969	29468	20074	12154	10824	2706	11066	40534
2014-15 (A+B)	**115519**	**61919**	**34973**	**19687**	**12764**	**3191**	**18651**	**80570**
Forest Deptt. (A)	122253	65596	32554	13679	13630	3408	16696	82292
HFDC (B)	62505	33985	19730	12239	42337	10584	12907	46892
2015-16 (A+B)	**184758**	**99581**	**52284**	**25918**	**55967**	**13992**	**29603**	**129184**

*** HFDC – Haryana Forest Development Corporation**

लघु वन उपज की निकासी

पिछले पांच वर्षो में लघु वन उपज से प्राप्त राजस्व का उपजवार सारांश रूपयों में निम्न प्रकार से रहा है:–

क्रं. सं.	वर्ष	लघु वन उपज (रुपए में)				
		घास पाला, पूला व काना	भाभड़ घास	बांस	अन्य	कुल योग
1.	2011-12	2324297	303695	2142	145391	2775525
2.	2012-13	1403188	242881	2529	274800	1923398
3.	2013-14	1093441	363056	1830686	123550	3410733
4.	2014-15	1083229	374314	2388	383885	1843816
5.	2015-16	1700750	205920	896	417600	2325166
योग		**7604905**	**1489866**	**1838641**	**1345226**	**12278638**

अतः सरकारी जंगलो से वर्ष 2015-16 का वन उपज निकासी सम्बन्धी पूर्ण विवरण फार्म संख्या 19, 20, 21 व 22 में तथा निष्क्रिय स्टॉक सम्बन्धित विवरण फार्म संख्या 23 में दर्शाया गया है।

मुख्य प्रजातिवार ग्रोईंग स्टॉक वर्ष 2015-16

क. सं.	जिला	चीड़		साल		खैर		शीशम		कीकर		सफेदा		विविध		योग	
		वृक्ष (नं. में)	वाल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वाल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वाल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वाल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वाल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वाल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वाल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वाल्यूम (घ. मी. में)
1	पंचकूला	97575	91325	0	0	1061008	141926	16486	4000	16545	4304	96755	51669	2011371	367914	3299740	661138
2	अम्बाला	0	0	0	0	1821	361	22837	12548	14603	11029	284052	204468	35219	11484	358532	239888
3	यमुनानगर	360	340	492559	319622	1351345	188317	255414	98476	16526	15576	375652	257889	2722757	754065	5214613	1634286
4	कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	38183	13999	107599	15549	739472	306805	325130	51070	1210384	387423
5	कैथल	0	0	0	0	0	0	25931	5946	32937	10586	840928	364608	528311	73429	1428107	454569
वन संरक्षक उत्तरी, पंचकूला		**97935**	**91665**	**492559**	**319622**	**2414174**	**330603**	**358851**	**134968**	**188210**	**57044**	**2336859**	**1185439**	**5622788**	**1257963**	**11511376**	**3377304**
6	रोहतक	0	0	0	0	0	0	3562	1623	24001	12446	119340	110643	40942	20050	187845	144762
7	झज्जर	0	0	0	0	0	0	4259	1202	28166	13604	93763	79712	97093	34562	223281	129080
8	करनाल	0	0	0	0	0	0	21720	7954	47426	15837	419420	216628	118938	46944	607504	287362
9	पानीपत	0	0	0	0	0	0	11480	2552	14763	5568	128166	74518	32953	12382	187362	95020
10	सोनीपत	0	0	0	0	0	0	7943	4002	22800	7346	232897	124592	63063	25188	326703	161128
वन संरक्षक मध्य, रोहतक		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48964**	**17332**	**137156**	**54801**	**993586**	**606093**	**352989**	**139126**	**1532695**	**817352**

क. सं.	जिला	चीड़		साल		खैर		शीशम		कीकर		सफेदा		विविध		योग	
		वृक्ष (नं. में)	वाल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वाल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वाल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वाल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वाल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वाल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वाल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वाल्यूम (घ. मी. में)
11	गुड़गांव	0	0	0	0	0	0	1665	1524	6795	4448	37455	23030	76348	20809	122263	49811
12	फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	2720	1588	7680	2566	23422	27134	42723	23273	76545	54561
13	पलवल	0	0	0	0	0	0	2158	1621	10353	3043	76947	71635	34296	18393	123754	94692
14	मेवात नूह	0	0	0	0	0	0	1228	1019	14574	4695	30165	15521	29941	10360	75908	31595
15	रेवाडी	0	0	0	0	0	0	2656	1826	21599	14966	40673	10445	156718	51785	221646	79022
16	महेन्द्रगढ़	0	0	0	0	0	0	1536	764	23479	18522	636	1140	604970	148392	630621	168818
वन संरक्षक दक्षिणी, गुड़गांव		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11963**	**8342**	**84480**	**48240**	**209298**	**148904**	**944996**	**273011**	**1250737**	**478498**
17	हिसार	0	0	0	0	0	0	19278	7023	104508	83739	205565	91398	165932	72897	495283	255057
18	फतेहाबाद	0	0	0	0	0	0	49522	20099	67896	57117	218757	110396	169376	70141	505551	257753
19	भिवानी	0	0	0	0	0	0	7275	2921	68976	54758	96466	48681	713849	313047	886566	419406
20	सिरसा	0	0	0	0	0	0	103618	59598	154259	177115	341553	190848	233924	262508	833354	690070
21	जीन्द	0	0	0	0	0	0	31757	10337	113809	37127	798227	234363	177649	38925	1121442	320752
वन संरक्षक पश्चिमी, हिसार		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211450**	**99978**	**509448**	**409855**	**1660568**	**675686**	**1460730**	**757519**	**3842196**	**1943037**
कुल योग		**97935**	**91665**	**492559**	**319622**	**2414174**	**330603**	**631228**	**260621**	**919294**	**569939**	**5200311**	**2616122**	**8381503**	**2427618**	**18137004**	**6616191**
प्रतिशत			1		5		5		4		9		40		37		100

वन फार्म संख्या –19

अनुच्छेद 76,78 व 79 वन विभाग संहिता सातवां संस्करण

वर्ष 2015–16 के दौरान इमारती लकड़ी और ईंधन का उत्पादन घ. मी. और समापन एजैन्सी

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	असम इमारती लकड़ी					असम इमारती लकड़ी पोल्ज					चीरी अथवा चकोर इमारती लकड़ी				
		सरकार	केता	निःशुल्क	हकदार	योग	सरकार	केता	निःशुल्क	हकदार	योग	सरकार	केता	निःशुल्क	हकदार	योग
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	यमुनानगर उत्पादन मण्डल	12062	0	0	0	12062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	हिसार उत्पादन मण्डल	23298	0	0	0	23298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कुरुक्षेत्र उत्पादन मण्डल	19200	0	0	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	करनाल उत्पादन मण्डल	11036	0	0	0	11036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	क्षे.प्रं. अम्बाला (व.वि.नि.0)	11734	0	0	0	11734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	क्षे.प्रं. कुरुक्षेत्र (व.वि.नि.0)	3940	0	0	0	3940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	क्षे.प्रं. रोहतक (व.वि.नि.0)	6072	0	0	0	6072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	क्षे.प्रं. हिसार (व.वि.नि.0)	6223	0	0	0	6223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	क्षे.प्रं. गुड़गांव (व.वि.नि.0)	4026	0	0	0	4026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	क्षे.प्रं. जीन्द (व.वि.नि.0)	1990	0	0	0	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**99581**	**0**	**0**	**0**	**99581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

क्र. सं.	उत्पादन मण्डल	विविध					कुल इमारती लकड़ी				
		सरकार	केता	निःशुल्क	हकदार	योग	सरकार	केता	निःशुल्क	हकदार	योग
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	यमुनानगर उत्पादन मण्डल	0	0	0	0	0	12062	0	0	0	12062
2	हिसार उत्पादन मण्डल	0	0	0	0	0	23298	0	0	0	23298
3	कुरुक्षेत्र उत्पादन मण्डल	0	0	0	0	0	19200	0	0	0	19200
4	करनाल उत्पादन मण्डल	0	0	0	0	0	11036	0	0	0	11036
5	क्षे.प्रं. अम्बाला (व.वि.नि.)	0	0	0	0	0	11734	0	0	0	11734
6	क्षे.प्रं. कुरुक्षेत्र (व.वि.नि.)	0	0	0	0	0	3940	0	0	0	3940
7	क्षे.प्रं. रोहतक (व.वि.नि.)	0	0	0	0	0	6072	0	0	0	6072
8	क्षे.प्रं. हिसार (व.वि.नि.)	0	0	0	0	0	6223	0	0	0	6223
9	क्षे.प्रं. गुड़गांव (व.वि.नि.)	0	0	0	0	0	4026	0	0	0	4026
10	क्षे.प्रं. जीन्द (व.वि.नि.)	0	0	0	0	0	1990	0	0	0	1990
	योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99581**	**0**	**0**	**0**	**99581**

क्र. सं.	उत्पादन मण्डल	ईंधन (ग्रेड 11) 26 सें. मी. से कम					पल्पवुड (ग्रेड 1) 26 सें. मी. से 59 सें. मी. तक					ईंधन (ग्रेड 1) 26 सें. मी. से 59 सें. मी.					Stumps No.
		सरकार	केता	निःशुल्क	हकदार	योग	सरकार	केता	निःशुल्क	हकदार	योग	सरकार	केता	निःशुल्क	हकदार	योग	
	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	यमुनानगर उत्पादन मण्डल	3521	0	0	0	3521	5111	0	0	0	5111	1527	0	0	0	1527	1
2	हिसार उत्पादन मण्डल	3607	0	0	0	3607	3109	0	0	0	3109	5547	0	0	0	5547	11099
3	कुरुक्षेत्र उत्पादन मण्डल	3757	0	0	0	3757	11537	0	0	0	11537	1195	0	0	0	1195	2250
4	करनाल उत्पादन मण्डल	2794	0	0	0	2794	3780	0	0	0	3780	748	0	0	0	748	280
5	क्षे.प्रं. अम्बाला (व.वि.नि.0)	5174	0	0	0	5174	5894	0	0	0	5894	756	0	0	0	756	25114
6	क्षे.प्रं. कुरुक्षेत्र (व.वि.नि.0)	968	0	0	0	968	1139	0	0	0	1139	700	0	0	0	700	901
7	क्षे.प्रं. रोहतक (व.वि.नि.0)	2181	0	0	0	2181	2190	0	0	0	2190	730	0	0	0	730	200
8	क्षे.प्रं. हिसार (व.वि.नि.0)	1589	0	0	0	1589	659	0	0	0	659	3198	0	0	0	3198	12783
9	क्षे.प्रं. गुड़गांव (व.वि.नि.0)	1386	0	0	0	1386	987	0	0	0	987	1393	0	0	0	1393	3065
10	क्षे.प्रं. जीन्द (व.वि.नि.0)	941	0	0	0	941	828	0	0	0	828	1256	0	0	0	1256	274
योग		**25918**	**0**	**0**	**0**	**25918**	**35234**	**0**	**0**	**0**	**35234**	**17050**	**0**	**0**	**0**	**17050**	**55967**

<u>**वन फार्म संख्या-20**</u>

वर्ष 2015-16 के दौरान लघु वन उपज की बिक्री का ब्यौरा (रुपयों में)

क. सं.	उपज का विवरण	सरकारी एजैन्सी द्वारा		केताओं द्वारा		निःशुल्क		हकदारों द्वारा		जोड़	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	बांस (नं0)		896							0	896
2	घास		1700750							0	1700750
3	भाभड़ घास		205920							0	205920
4	फल		5500							0	5500
5	अन्य		412100							0	412100
	योग	0	**2325166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2325166**

वन फार्म संख्या–21

वर्ष 2015–16 के दौरान लकड़ी तथा अन्य उपज का हिसाब जो काटी गई या सरकारी एजैन्सी द्वारा एकत्रित की गई एवं डिपो पर लाई गई, स्थानीय दे दी गई अथवा जिसका अन्यथा निपटान किया गया।

उत्पादन मण्डल	उपज का विवरण	वनों तथा बिक्री डिपो में वर्ष के आरम्भ में शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	योग	वर्ष के दौरान निपटान की गई	वनों तथा बिक्री डिपो में वर्ष के अन्त में शेष
1	2	3	4	5	6	7
यमुनानगर	टिम्बर	4710	12062	16772	14531	2241
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	239	5111	5350	5343	7
	बालन (बुआईलर साईज़)	193	1527	1720	1353	367
	बालन (थिन साईज़)	205	3521	3726	3499	227
हिसार	टिम्बर	1010	23298	24308	15127	9181
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	0	3109	3109	3109	0
	बालन (बुआईलर साईज़)	142	5547	5689	5689	0
	बालन (थिन साईज़)	9	3607	3616	2562	1054
कुरूक्षेत्र	टिम्बर	2920	19200	22120	19001	3119
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	1620	11537	13157	12297	860
	बालन (बुआईलर साईज़)	36	1195	1231	1102	129
	बालन (थिन साईज़)	14	3757	3771	3337	434
करनाल	टिम्बर	4431	11036	15467	10825	4642
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	1238	3780	5018	3394	1624
	बालन (बुआईलर साईज़)	119	748	867	631	236
	बालन (थिन साईज़)	670	2794	3464	2223	1241
परिमण्डल	टिम्बर	13071	65596	78667	59484	19183
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	3097	23537	26634	24143	2491
	बालन (बुआईलर साईज़)	490	9017	9507	8775	732
	बालन (थिन साईज़)	898	13679	14577	11621	2956
	कुल	**17556**	**111829**	**129385**	**104023**	**25362**

नोटः– टिम्बर घन मीटर में, बालन व पल्पवुड स्टैक्ड घन मीटर में एवं बांस नम्बरों में दर्शाया गया है तथा Stumps Out-turn को शामिल नहीं किया गया है।

वन फार्म संख्या–22

वर्ष 2015–16 के दौरान बिक्री डिपो पर लकड़ी तथा अन्य उपज का मूल्य दर्शाते हुये विवरण पत्र

उत्पादन मण्डल	लकड़ी तथा अन्य उपज का विवरण	वर्ष के आरम्भ में हस्तगत		वर्ष के अन्त में हस्तगत		मूल्य में अन्तर			
						वर्ष के हक में		वर्ष के विरूद्व	
		मात्रा (घ. मी. में)	मूल्य (रुपए में)	मात्रा (घ. मी. में)	मूल्य (रुपए में)	मात्रा (घ. मी. में)	मूल्य (रुपए में)	मात्रा (घ. मी. में)	मूल्य (रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
यमुनानगर	टिम्बर	4710	30272888	2241	18235020	12062	65508722	14531	77546590
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	239	398063	7	6886	5111	9348019	5343	9739196
	बालन (बुआईलर साईज)	193	639317	367	923274	1527	2947110	1353	2663153
	बालन (थिन साईज़)	205	316736	227	131857	3521	2545683	3499	2730562
हिसार	टिम्बर	1010	7204760	9181	50592770	23298	123712380	15127	80324370
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	0	0	0	0	3109	5621072	3109	5621072
	बालन (बुआईलर साईज)	142	268380	0	0	5547	8687296	5689	8955676
	बालन (थिन साईज़)	9	4473	1054	584448	3607	2001885	2562	1421910
कुरुक्षेत्र	टिम्बर	2920	16284840	3119	15226958	19200	94297495	19001	95355377
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	1620	3795660	860	1775040	11537	23812368	12297	25832988
	बालन (बुआईलर साईज़)	36	85788	129	266772	1195	2471156	1102	2290172
	बालन (थिन साईज़)	14	12054	434	437472	3757	3792774	3337	3367356
करनाल	टिम्बर	4431	31423158	4642	32695984	11036	57238076	10825	55965250
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	1238	2783368	1624	3432478	3780	6371394	3394	5722284
	बालन (बुआईलर साईज़)	119	104988	236	293906	748	1199149	631	1010231
	बालन (थिन साईज़)	670	540741	1241	933221	2794	1928573	2223	1536093
परिमण्डल	टिम्बर	13071	85185640	19183	116750732	65596	340756673	59484	309191587
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	3097	6977091	2491	5214404	23537	45152853	24143	46915540
	बालन (बुआईलर साईज़)	490	1098473	732	1483952	9017	15304711	8775	14919232
	बालन (थिन साईज़)	898	874004	2956	2086998	13679	10268915	11621	9055921
	कुल	**17556**	**94135208**	**25362**	**125536086**	**111829**	**411483152**	**104023**	**380082280**

नोटः– टिम्बर घन मीटर में, बालन व पल्पवुड स्टैक्ड घन मीटर में दर्शाया गया है।

वन फार्म संख्या 23

वर्ष 2015-16 के दौरान निष्क्रिय व सक्रिय स्टॉक का मूल्य दर्शाते हुए विवरण पत्र

क.सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष के आरम्भ में		वर्ष के अन्त में		मूल्य में अन्तर	
		संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	वर्ष के हक में	वर्ष के विरूद्ध
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोरनी पिंजौर	2870	2091874	2873	3583716	1701029	209187
2	अम्बाला	525	3593969	525	3593969	791283	791283
3	यमुनानगर	4378	2814137	4378	2673431	0	140706
4	कुरुक्षेत्र	1821	3162214	1827	2927193	90000	325021
5	कैथल	207	2280752	211	2130257	77580	228075
6	उत्तरी परिमण्डल पंचकूला	924	471448	924	447876	0	23572
7	रोहतक	1424	3927420	1450	3741066	206388	392742
8	झज्जर	7755	7853418	9558	9701937	2633861	785342
9	करनाल	1570	1002521	1575	1693357	791088	100252
10	पानीपत	721	2773751	747	3222715	726339	277375
11	सोनीपत	1287	5627717	3397	8178102	3113157	562772
12	मध्य परिमण्डल रोहतक	460	879560	443	965591	177994	91963
13	गुड़गांव	2409	3343546	2412	3051142	41950	334354
14	फरीदाबाद	742	1647519	788	2777547	1294778	164750
15	पलवल	1392	3472097	1414	3276887	152000	347210
16	मेवात नूह	1963	5036363	1968	5086608	553882	503637
17	रेवाड़ी	2261	7120826	2261	6408743	0	712083
18	महेन्द्रगढ़	6653	7553942	7627	8164712	1379821	769051
19	दक्षिणी परिमण्डल गुड़गांव	1025	1710203	1042	1790162	250979	171020
20	भिवानी	3888	3659113	3534	4256015	1129240	532338
21	हिसार	3682	7619856	3616	7394182	727329	953003
22	फतेहाबाद	4935	2610116	4953	2557951	92100	144265
23	सिरसा	3453	6651145	3456	6277714	147230	520661
24	जीन्द	43400	5129704	43400	4497538	0	632166
25	पश्चिमी परिमण्डल हिसार	1062	1024241	1062	879000	0	145241

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष के आरम्भ में		वर्ष के अन्त में		मूल्य में अन्तर	
		संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	वर्ष के हक में	वर्ष के विरूद्ध
1	2	3	4	5	6	7	8
26	मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा–II, गुरुग्राम	94	795352	132	1136775	420958	79535
27	अनुसंधान मण्डल, पिंजौर	604	4562586	604	4106327	0	456259
28	प्रचार एवं शिक्षा परिमण्डल, पंचकूला	994	1995856	994	1854880	105845	246821
29	प्रशिक्षण मण्डल, पिंजौर	567	5814190	567	5232771	0	581419
30	प्रशिक्षण मण्डल सोहना	2724	3326642	2436	2777136	293788	843294
31	बीज मण्डल पिंजौर	316	1201097	313	2395126	1314138	120109
32	कार्य योजना परिमण्डल, गुड़गांव	265	903367	272	514560	46523	435330
33	जांच एवं मूल्यांकन परिमण्डल करनाल	115	517437	109	527479	46015	35973
34	जांच एंव मूल्यांकन मण्डल, हिसार	62	845997	68	791606	72509	126900
35	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, करनाल	65	1039869	67	1038601	52665	53933
36	उत्पादन कुरूक्षेत्र	116	619870	117	693594	131578	57854
37	उत्पादन करनाल	7216	1627772	6606	1487160	0	140612
38	उत्पादन यमुनानगर	5706	4488024	5726	4604166	497624	381482
39	उत्पादन हिसार	7079	669201	7009	620505	14150	62846
40	उत्पादन परिमण्डल करनाल	358	209487	312	189712	0	19775
41	प्र.मु.व.सं. कार्यालय, पंचकूला	1405	40747131	1392	37023028	3755736	7479839
42	सामुदायिक वानिकी, भिवानी	384	1513514	292	1177506	0	336008
43	सामुदायिक वानिकी, रेवाड़ी	449	1713854	449	1542469	0	171385
44	सामुदायिक वानिकी, फरीदाबाद	167	1022735	168	1520429	599967	102273
45	सामुदायिक वानिकी हिसार	365	1338293	259	1273625	2300	66968
46	सामु. वा. परिमण्डल हिसार	271	551626	252	665842	324261	210045
47	सामुदायिक वानिकी अम्बाला	399	925808	444	1185164	380076	120720
48	सामुदायिक वानिकी पानीपत	81	1205380	89	1242814	102844	65410
49	सामुदायिक वानिकी कुरुक्षेत्र	1495	1657990	1348	1681381	170956	147565
50	सामु0 वानिकी पमिण्डल, अम्बाला	197	948058	179	832512	10656	126202
52	अति0प्र0मु0व0सं0 वन्य प्राणी वार्डन, पंचकूला	188	2214791	191	2239840	135789	110740
53	वन्य प्राणी मण्डल, पंचकूला	458	7191202	502	7259137	488937	421002
54	वन्य प्राणी मण्डल, रोहतक	695	2098687	729	3289215	1461850	271322
55	वन्य प्राणी मण्डल, हिसार	1375	4227955	1489	5637670	2203880	794165
56	वन्य प्राणी मण्डल, गुड़गांव	790	2704160	800	3173234	908012	438938
योग		**135807**	**191735383**	**139356**	**196991675**	**29619085**	**24362793**

राज्य में सरकारी जंगलों से कटाई/निकासी सम्बन्धी कार्य दो संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, एक उत्पादन परिमण्डल पंचकूला (विभागीय उत्पादन विंग) व दूसरा हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला हैं। यंत्रीकृत/मैकेनाईजड लोगिंग का कार्य हरियाणा में न के बराबर है व राज्य का क्षेत्र मैदानी होने पर साधारण कटाई के तहत ही कार्य किये जा रहे है।

वर्ष 2006 से सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबन्ध के मध्यनजर उत्पादन मण्डलों तथा हरियाणा वन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा सरकारी जंगलों से प्रत्येक वर्ष गिरे पड़े व सुखे वृक्षों की कटाई को प्राथमिकता दी जाती रही है तथा आपातकालीन कटाई के तहत खड़े वृक्षों की कटाई भी करवाई जाती हैं। रूपांतरण (conversion) उपरान्त टिम्बर, बालन व पल्पवुड का उत्पादन खुली निलामी (open auctions) के तहत बेचा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य में प्लाई उद्योग व अन्य लकड़ी सम्बन्धी उद्योग पनपने लगे है।

Marketing Strategies:

सफेदे की लकड़ी का सदुपयोग करने के लिए यमुनानगर, पिपली तथा करनाल में वन विभाग ने सफेदे से कुर्सियॉ, मेज, डायनिंग टेबल, सोफा सैट, चौखट तथा अन्य सामान बनाने का कार्य शुरु किया हुआ है। सफेदे की लकड़ी के अलावा शीशम तथा कीकर की लकड़ी का फर्नीचर भी बनाया जा रहा है। राज्य में विभाग द्वारा बनाये जा रहे सामान की सेल शीघ्रता से बढ़ रही है व अच्छा–खासा राजस्व राज्य के खजाने के लिए जुटाया जा रहा है।

Wood Supply:

उत्पादन परिमण्डल हरियाणा, राज्य की लगभग सभी चीनी मिलों के अलावा लोक निर्माण विभाग, हरियाणा को भी ईंधन की लकड़ी दे रहा है, जिसका पिछले पांच वर्षों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

इकाई : घन मीटर

वर्ष	लोक निर्माण विभाग		चीनी मिल		अन्य सरकारी विभाग	
	टिम्बर	ईंधन	टिम्बर	ईंधन	टिम्बर	ईंधन
2011-12	0.00	2554.75	0.00	90.00	0.00	00
2012-13	0.00	2603.30	0.00	80.50	0.00	00
2013-14	0.00	2078.45	0.00	616.00	0.611	00
2014-15	0.00	1330.50	0.00	929.00	00	00
2015-16	0.00	982.00	0.00	0.00	0	0

स्थाई आरा मशीन व कार्यशाला योजना

सरकारी वन क्षेत्रों में खड़े वृक्षों की कटाई के साथ–साथ जिला स्तर पर राजस्व बढ़ाने व व्यवसायिक स्तर बढ़ाने हेतु स्थाई आरा मशीनों तथा कार्यशालाओं की संख्या में वृद्धि कर सरकारी खजाने के लिए और अधिक धन राशि जुटाने हेतु आगामी वर्षो की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी विभागों के लिए फर्नीचर और अन्य लकड़ी के उत्पादों की आपूर्ति हेतु वन विभाग, हरियाणा को अनुमोदित स्रोत के रूप में घोषित किया जा चुका है व राज्य में अन्य प्रबंधनों हेतु भी अनुमोदित स्रोत उद्घोषित करवाने के प्रयास जारी है। पिछले 5 वर्षो में स्थाई आरा मशीनों से प्राप्त राजस्व व खर्च सम्बन्धी विवरण निम्न प्रकार से आंका जा सकता हैः–

स्थाई आरा मशीनों पर खर्च व प्राप्त राजस्व

वर्ष	खर्च (रु.लाखों में)			प्राप्त राजस्व (रु.लाखों में)		
	यमुनानगर	करनाल	कुल खर्च	यमुनानगर	करनाल	योग
2011-12	13.00	8.20	21.20	144.52	80.23	224.75
2012-13	30.62	15.80	46.42	71.31	29.48	100.79
2013-14	03.47	0.00	03.47	86.11	29.51	115.62
2014-15	146.44	176.49	322.93	51.51	93.20	144.71
2015-16	0.00	0.22	0.22	40.35	46.57	86.92
योग	**193.53**	**200.71**	**394.24**	**393.80**	**278.99**	**672.79**

Revenue/ Income Generation:

विभागीय उत्पादन विंग के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, वन संरक्षक कार्यालय व उत्पादन मण्डलों द्वारा पिछले पांच वर्षो में मोटे तौर पर किया गया कुल खर्च तथा प्राप्त राजस्व का विवरण निम्न प्रकार से आंका जा सकता हैः–

Abstract of Production Wing/Circle

वर्ष	निर्देशन तथा प्रशासन पर खर्च (रु. करोड़ों में)	वर्कस पर खर्च (रु. करोड़ों में)	कुल खर्च (रु. करोड़ों में)	प्राप्त राजस्व (रु. करोड़ों में)
2011-12	6.40	4.49	10.89	27.76
2012-13	6.97	5.18	12.15	29.76
2013-14	6.24	4.26	10.50	22.13
2014-15	6.89	6.14	13.03	22.26
2015-16	7.40	13.22	20.62	37.76
योग	**33.90**	**33.29**	**67.19**	**139.67**
%age	**50**	**50**	**100**	

भाग दो–अध्याय पांच

वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त राजस्व तथा व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहा है :–

फार्म संख्या -24

वर्ष 2015-16 में प्राप्त राजस्व का सारांश

(रुपए में)

क्र. सं.	उप शीर्ष	0406-वन	0435- भू–संरक्षण	योग
1.	मुख्य वन उपज	479404066	0	479404066
2.	लघु वन उपज	2325166	0	2325166
3.	पौधे बेचना	4201351	0	4201351
4.	अन्य राजस्व	16288841	25254	16314095
5.	कम्पनसेट्री राजस्व	16684029	0	16684029
कुल प्राप्ति		**518903453**	**25254**	**518928707**
6.	कटौती / वापसी	0	0	0
7.	प्राप्त राजस्व	**518903453**	**25254**	**518928707**
8.	वन्य प्राणी विंग	3931682	0	3931682
कुल प्राप्त राजस्व		**522835135**	**25254**	**522860389**

फार्म संख्या- 24 ए

वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष 2406 वन के अधीन व्यय का सारांश

(रुपए में)

क्र. सं.	उप शीर्ष	नान प्लान	प्लान	योग
1.	निर्देशन तथा प्रशासन	883539222	395055200	1278594422
2.	शिक्षण तथा प्रशिक्षण	0	19987061	19987061
3.	वन संरक्षण तथा भू संरक्षण के अन्तर्गत पौधारोपण	72078940	131304346	203383286
4.	वन संसाधन सर्वेक्षण	0	1428638	1428638
5.	पौधारोपण	4500000	1239656952	1244156952
6.	वन उपज की निकासी	87686176	0	87686176
7.	संचार तथा भवन	2926532	48481655	51408187
8.	अन्य व्यय	4583408	0	4583408
9.	अन्य चार्जिज	10928066	0	10928066
योग (फोरेस्ट्री)		**1066242344**	**1835913852**	**2902156196**
10.	वन्य प्राणी विंग निर्देशन तथा प्रशासन पर व्यय	76463435	30520009	106983444
11.	टोटल वर्क्स पर व्यय	1633360	54831239	56464599
योग (वन्य प्राणी विंग)		**78096795**	**85351248**	**163448043**

फार्म संख्या 24-बी

वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष 2402 के अधीन व्यय का सांराश

(रुपए में)

क्र. सं.	उप शीर्ष	नान प्लान	प्लान	योग
1.	निर्देशन तथा प्रशासन	144918220	0	144918220
2.	पौधारोपण	1156181	48245497	49401678
3.	अन्य	1747454	0	1747454
योग		**147821855**	**48245497**	**196067352**

व्यय

(रुपए में)

विवरण	2406- वन		2402	योग
	वन्य प्राणी विंग	फौरेस्ट्री विंग	भूमि संरक्षण	
नार्मल तथा नान प्लान	78096795	1066242344	147821855	**1292160994**
प्लान	85351248	1835913852	48245497	**1969510597**
योग	**163448043**	**2902156196**	**196067352**	**3261671591**

पिछले पांच वर्षो का आय तथा व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहा है :–

(रुपए में)

वर्ष	आय	व्यय		
		नान प्लान	प्लान	कुल
2011-12 (फौरेस्ट्री)	392651823	735759184	1365015549	**2100774733**
2011-12 (वन्य प्राणी विंग)	3105989	48477000	62119000	**110596000**
योग 2011-12	**395757812**	**784236184**	**1427134549**	**2211370733**
2012-13 (फौरेस्ट्री)	409339654	878539699	1619556320	**2498096019**
2012-13 (वन्य प्राणी विंग)	3771814	58992249	63514033	**122506282**
योग 2012-13	**413111468**	**937531948**	**1683070353**	**2620602301**
2013-14 (फौरेस्ट्री)	355656876	916299787	1554867090	**2471166877**
2013-14 (वन्य प्राणी विंग)	3465206	65313172	65743308	**131056480**
योग 2013-14	**359122082**	**981612959**	**1620610398**	**2602223357**
2014-15 (फौरेस्ट्री)	387301520	1163215869	1834811447	**2998027316**
2014-15 (वन्य प्राणी विंग)	3825361	74745000	71842000	**146587000**
योग 2014-15	**391126881**	**1237960869**	**1906653447**	**3144614316**
2015-16 (फौरेस्ट्री)	518928707	1214064199	1884159349	**3098223548**
2015-16 (वन्य प्राणी विंग)	3931682	78096795	85351248	**163448043**
योग 2015-16	**522860389**	**1292160994**	**1969510597**	**3261671591**

विभागीय वन फार्म संख्या 26 में कार्यालय वाईज प्राप्त राजस्व तथा बकाया राजस्व का विवरण दर्शाया गया है एवं वन फार्म संख्या 27 में ठेकेदारों तथा वितरकों के सम्बन्ध में बकाया और देयताएं दर्शाई गई हैं।

वन फार्म सख्या - 26

वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त राजस्व तथा बकाया राजस्व

	कार्यालय का नाम	वर्ष के आरम्भ में बकाया राजस्व	वर्ष के दौरान बिक्री और अन्य राजस्व का मूल्य	जोड़	वर्ष के दौरान राजस्व की वसूली	वर्ष के अन्त में राजस्व की देय बकाया
	1	2	3	4	5	6
	मोरनी–पिंजौर	507976	1457562	1965538	1645547	319991
	यमुनानगर	0	2838135	2838135	2838135	0
	अम्बाला	974160	46760134	47734294	46760134	974160
	कुरुक्षेत्र	0	783377	783377	783377	0
	कैथल	0	2238391	2238391	2238391	0
	उत्तरी परिमण्डल, पंचकूला	0	12432	12432	12432	0
	रोहतक	4300	9062109	9066409	9062109	4300
	झज्जर	64260	8670576	8734836	8670576	64260
	सोनीपत	343025	347541	690566	347541	343025
	पानीपत	0	1064872	1064872	1064872	0
	करनाल	0	14963648	14963648	14963648	0
	मध्य परिमण्डल, रोहतक	0	49521	49521	49521	0
	गुड़गांव	32582	3348843	3381425	3348843	32582
	फरीदाबाद	153473	2873554	3027027	2873554	153473
	महेन्द्रगढ़	598527	1275955	1874482	1275955	598527
	रेवाड़ी	146422	6592394	6738816	6592394	146422
	पलवल	0	3496187	3496187	3496187	0
	मेवात नूंह	247751	608616	856367	608616	247751
	दक्षिणी परिमण्डल, गुड़गांव	0	1134	1134	1134	0
	हिसार	287953	4437612	4725565	4437612	287953
	फतेहाबाद	510139	1434645	1944784	1434645	510139
	भिवानी	444248	2646096	3090344	2646096	444248
	सिरसा	32358833	0	32358833	1922117	30436716
	जीन्द	196970	16634424	16831394	16634424	196970
	पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	0	25254	25254	25254	0
	अनुसंधान परिमण्डल, पिंजौर	0		0		0
	अनुसंधान मण्डल, पिंजौर	0	138035	138035	138035	0
	बीज मण्डल, पिंजौर	0	244733	244733	244733	0
	प्रशिक्षण परिमण्डल, पिंजौर	0	6300	6300	6300	0
	प्रशिक्षण मण्डल, पिंजौर	0	35907	35907	35907	0
	प्रशिक्षण मण्डल, सोहना	0	41196	41196	41196	0

	कार्यालय का नाम	वर्ष के आरम्भ में बकाया राजस्व	वर्ष के दौरान बिक्री और अन्य राजस्व का मूल्य	जोड़	वर्ष के दौरान राजस्व की वसूली	वर्ष के अन्त में राजस्व की देय बकाया
	1	2	3	4	5	6
	कार्य योजना परिमण्डल, गुडगांव	0	950	950	950	0
	प्रचार एवं शिक्षा परिमण्डल, पंचकूला	0	158407	158407	158407	0
	जांच एवं मूल्यांकन, करनाल	0	0	0	0	0
	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, करनाल	0	31978	31978	31978	0
	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, हिसार	0	12973	12973	12973	0
	उत्पादन मण्डल, कुरुक्षेत्र	7392570	122215573	129608143	117426371	12181772
	उत्पादन मण्डल, करनाल	21136039	72970231	94106270	75583568	18522702
	उत्पादन मण्डल, यमुनानगर	8769710	83806070	92575780	79504392	13071388
	उत्पादन मण्डल, हिसार	8459130	122025005	130484135	105092538	25391597
	उत्पादन परिमण्डल, करनाल	0	30760	30760	30760	0
	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला	0	5707332	5707332	5707332	0
	सामुदायिक वानिकी मण्डल, भिवानी	0	26003	26003	26003	0
	सामुदायिक वानिकी मण्डल, रेवाड़ी	0	500	500	500	0
	सामुदायिक वानिकी मण्डल, हिसार	0	269862	269862	269862	0
	सामुदायिक वानिकी मण्डल, फरीदाबाद	0	58875	58875	58875	0
	सामुदायिक वानिकी परिमण्डल, हिसार	0	147261	147261	147261	0
	सामुदायिक वानिकी मण्डल, अम्बाला	0	303800	303800	303800	0
	सामुदायिक वानिकी मण्डल, कुरुक्षेत्र	0	322547	322547	322547	0
	सामुदायिक वानिकी मण्डल, पानीपत	0	4768	4768	4768	0
	सामुदायिक वानिकी परिमण्डल, अम्बाला	0	46537	46537	46537	0
	ईको टूरिज्म, मण्डल पंचकूला	0	0	0	0	0
	योग	**82628068**	**540228615**	**622856683**	**518928707**	**103927976**
	अति. प्र.मु.व.सं. वन्य प्राणी वार्डन, पंचकूला	0	56489	56489	56489	0
	वन्य प्राणी मण्डल, पंचकूला	0	384730	384730	384730	0
	वन्य प्राणी मण्डल, रोहतक	0	1807945	1807945	1807945	0
	वन्य प्राणी मण्डल, हिसार	0	902207	902207	902207	0
	वन्य प्राणी मण्डल, गुड़गांव	0	780311	780311	780311	0
	योग	**0**	**3931682**	**3931682**	**3931682**	**0**
	कुल योग	**82628068**	**544160297**	**626788365**	**522860389**	**103927976**

वन फार्म संख्या 27

ठेकेदारों तथा वितरकों के सम्बन्ध में बकाया और देयताएं वर्ष 2015-16

(रुपए में)

कार्यालय का नाम	विभागीय देनदार			विभागीय लेनदार			देय बकाया	
	अवशेष	नकद वसूलियां और वर्ष के दौरान किये गये कार्य का मूल्य	जोड़	अवशेष	विभागीय लेनदार वर्ष के दौरान की गई अदायगी	जोड़	विभाग का	विभाग द्वारा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मोरनी–पिंजौर		250744174	250744174	0	250744174	250744174	0	
यमुनानगर		203281772	203281772	0	203281772	203281772	0	
अम्बाला		115836749	115836749	0	115836749	115836749	0	
कुरुक्षेत्र		38975692	38975692	0	38975692	38975692	0	
कैथल		47058620	47058620	0	47058620	47058620	0	
उत्तरी परिमण्डल, पंचकूला		0	0	0	0	0	0	
रोहतक		0	0	5	0	5	5	
झज्जर		35869935	35869935	0	35869935	35869935	0	
सोनीपत		60525026	60525026	17972	60525026	60542998	17972	
पानीपत		83465558	83465558	0	83465558	83465558	0	
करनाल		78291956	78291956	0	78291956	78291956	0	
मध्य परिमण्डल, रोहतक		0	0	0	0	0	0	
गुड़गांव		56053623	56053623	19	56053623	56053642	19	
फरीदाबाद		41943132	41943132	0	41943132	41943132	0	
पलवल		28576227	28576227	0	28576227	28576227	0	
मेवात नूह		107027931	107027931	139	107027931	107028070	139	
महेन्द्रगढ़		87970628	87970628	0	87970628	87970628	0	
रेवाड़ी		41354910	41354910	59949	41354910	41414859	59949	
दक्षिणी परिमण्डल, गुड़गांव		0	0	0	0	0	0	
हिसार		64055957	64055957	0	64055957	64055957	0	
फतेहाबाद		84723728	84723728	35	84723728	84723763	35	
भिवानी		89427940	89427940	0	89427940	89427940	0	
सिरसा		44908094	44908094	32	44908092	44908124	30	
जीन्द		68538590	68538590	0	68538590	68538590	0	
पश्चिमी परिमण्डल, हिसार		0	0	0	0	0	0	

कार्यालय का नाम	विभागीय देनदार			विभागीय लेनदार			देय बकाया	
	अवशेष	नकद वसूलियां और वर्ष के दौरान किये गये कार्य का मूल्य	जोड़	अवशेष	विभागीय लेनदार वर्ष के दौरान की गई अदायगी	जोड़	विभाग का	विभाग द्वारा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्रशिक्षण परिमण्डल, पिंजौर		0	0	0	0	0	0	
प्रशिक्षण मण्डल सोहना		0	0	0	0	0	0	
कार्य योजना परिमण्डल, गुडगांव		0	0	0	0	0	0	
अनुसधान मण्डल, पिंजौर		22621555	22621555	0	22621555	22621555	0	
बीज मण्डल, पिंजौर		0	0	0	0	0	0	
प्रचार एवं शिक्षा परिमण्डल, पंचकूला		25125452	25125452	226	25125226	25125452	0	
जांच एंव मूल्यांकन मण्डल, हिसार		0	0	0	0	0	0	
जांच एंव मूल्यांकन मण्डल, करनाल		0	0	0	0	0	0	
जांच एंव मूल्यांकन परिमण्डल करनाल		0	0	0	0	0	0	
उत्पादन मण्डल, कुरुक्षेत्र		20000002	20000002	2	20000000	20000002	0	
उत्पादन मण्डल, करनाल		26078660	26078660	0	26078660	26078660	0	
उत्पादन मण्डल, यमुनानगर		40030	40030	2	40030	40032	2	
उत्पादन मण्डल, हिसार		0	0	0	0	0	0	
उत्पादन परिमण्डल, करनाल		0	0	0	0	0	0	
सामु. वा. मण्डल, भिवानी		60199820	60199820	0	60199820	60199820	0	
सामु. वा. मण्डल, रेवाड़ी		37306004	37306004	0	37306004	37306004	0	
सामु. वा. मण्डल, हिसार		67634981	67634981	0	67634981	67634981	0	
सामु. वा. मण्डल, फरीदाबाद		22064002	22064002	0	22064002	22064002	0	
सामु. वा. परिमण्डल, हिसार		10148377	10148377	0	10148377	10148377	0	
सामु. वा. मण्डल, अम्बाला		28654453	28654453	0	28654453	28654453	0	
सामु. वा. मण्डल, कुरुक्षेत्र		34626000	34626000	0	34626000	34626000	0	
सामु. वा. मण्डल, पानीपत		89852341	89852341	0	89852341	89852341	0	
सामु. वा. परिमण्डल, अम्बाला		0	0	0	0	0	0	
अति. प्र. मु. वन्य प्राणी, वार्डन पंचकूला		11582499	11582499	0	11582499	11582499	0	
वन्य प्राणी मण्डल, पंचकूला		75550666	75550666	0	75550666	75550666	0	
वन्य प्राणी मण्डल, रोहतक		25783911	25783911	0	25783911	25783911	0	
वन्य प्राणी मण्डल, हिसार		43252203	43252203	0	43252203	43252203	0	
वन्य प्राणी मण्डल, गुडगांव		33662428	33662428	0	33662428	33662428	0	

भाग दो – अध्याय छः

हरियाणा राज्य में अनुसंधान परिमण्डल द्वारा राज्य में भिन्न–भिन्न स्थानों पर अनुसंधान कार्य किए जा रहे है। सफल तकनीकों पर आधारित नर्सरियों में पौधे तैयार कर भौगोलिक परिस्थिति अनुसार जिलावार वितरित किये जा रहे है। अन्य राज्यों के सफल अनुसंधानों का लाभ भी उठाया जा रहा है ताकि पौधारोपण को और अधिक सफल एवं उत्पादक बनाया जा सके। अनुसंधान परिमण्डल, पिंजौर द्वारा जारी अनुसंधानों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1. हरड़ के पत्तों पर गठिया रोगः

हरड़ हरियाणा का एक उत्तम औषधीय पौधा है यह एक वृक्ष है और हरियाणा की शिवालिक की पहाड़ियों में उगता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हरियाणा में हरड़ की सर्वोत्तम किस्में पाईं जाती है।

हरड़ पर मुख्य रुप से फल छेदक कीट पाया जाता है। इसी कीट के चलते किसान हरड़ के फलों की तुड़ाई सितम्बर माह में ही करना शुरू कर देते हैं क्योंकि यदि ऐसा न किया जाये तो फिर यह फलों को बुरी तरह से बर्बाद कर देता है। हाल ही में हरड़ के पत्तों पर एक रोग आया है जोकि एक कीट द्वारा किया जाता है जिसका नाम थ्रिपस है। यह कीट पत्तियों पर बड़ी–बड़ी गांठें बना देता है जिसे कि अंग्रेजी भाषा में 'गाल्स' कहा जाता है। यह गांठें कीट द्वारा पत्तों पर जहर छोड़ने से बनती है। इन गांठों का कीटनाशी दवाओं के छिड़काव से कोई नियन्त्रण नहीं हो सका है लेकिन पौधे की जड़ में फोरेट डालने से कुछ नियन्त्रण हुआ है। इस सम्बन्ध में ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि फोरेट इस कीट के लिए इस्तेमाल की जानी है तो उसका प्रयोग जून माह में बंद कर देना चाहिए क्योंकि कीटनाशी दवा का कुछ अंश कई दिनों तक फल में रहता है। इस कीट से बचाव हेतु पूरे हरियाणा में सर्वेक्षण किया जा रहा है और प्रतिरोधी पौधों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

2. शीशम का सूखनाः

शीशम हरियाणा का एक बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है। यह पेड़ ईमारती लकड़ी हेतु हरियाणा का नम्बर 1 वृक्ष है। पिछले 25-30 वर्षो से इसके पौधे मर रहे है और मरने का यह सिलसिला आज भी जारी है। इस सम्बन्ध में प्रतिरोधी किस्मों का पता लगाया जा रहा है और देश के शीर्ष अनुसंधान संस्थानों से बराबर सम्पर्क किया जा रहा है। हरियाणा के हिसार जिले में बिठमड़ा नामक स्थान पर 20 वर्ष पूर्व देश की कई जगहों से शीशम के उत्तम क्लोन बिठमड़ा में लगाये गये और शीशम के इन क्लोनों में से कौन बीमारी से कम से कम प्रभावित होता है, इस सम्बन्ध में अध्ययन किये गये। 20 वर्षो के लम्बे अध्ययन से यह बात सामने आई कि फफूंद के प्रकोप के चलते लगाये गये सभी 15 क्लोनों में से क्लोन संख्या 219 ही एक ऐसा क्लोन है जिस पर बीमारी का कम से कम प्रकोप होता है। 20 वर्ष पूर्व इस क्लोन के 18 पौधे लगाये गये थे जिनमें से 11 पौधे आज भी खड़ें है। अतः इस क्लोन में बीमारी का कम से कम प्रकोप होता है और इसी के चलते इस क्लोन को बढ़ावा देना जरूरी है। इसी के मध्यनजर इस क्लोन के बीज इक्ट्ठे किये जा रहे हैं और पौधारोपण मण्डलों को इसके पौधे कलमों के रुप में उपलब्ध करवाये जायेगें। भविष्य में यदि टिशू कल्चर विधि के द्वारा इसके प्रजजन की विधि मिल जाती है तो टिशू कल्चर विधि के माध्यम से इसका प्रजजन किया जायेगा।

3. कृषि वानिकी हेतु Salix पर अध्ययनः

दुनियाभर में किसी समय वन प्रबंधन का सीधा सादा मतलब था ज्यादा से ज्यादा लकड़ी और धन कमाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से वनों का प्रबंधन करना। लेकिन आज के

संदर्भ में वन प्रबंधन के मायने बदल गये है। आज वनों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए किया जाना है न कि लकड़ी उत्पादन और धन अर्जित करने के लिए। उधर खासतौर से हमारे देश में जलाऊ लकड़ी, चारे और ईमारती लकड़ी की मांग और पूर्ति में खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे देश में आज भी 70 प्रतिशत जनता चूल्हा जलाकर रोटी पकाती है। अतः जलाऊ लकड़ी, चारे और ईमारती लकड़ी के लिए वृक्ष उगाने होगें। लेकिन इसके लिए कृषि वानिकी अपनानी होगी। कृषि वानिकी की बात करें तो इसके लिए कुछ गिनी चुनी प्रजातियां जैसे सफेदा, पापुलर और वर्मा डेक का ही योगदान है। इन प्रजातियों पर कीट और बीमारियों का ज्यादा प्रकोप हो रहा है। अतः यह जरुरी है कि कृषि वानिकी के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रजातियां ढूंढी जाये। इसके साथ–साथ इस बात की भी जरूरत है कि समस्या वाली भूमि जैसे कल्लर, जल भराव व बंजर भूमि पर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाये जायें। इसी उद्देश्य से उद्यान एवं कृषि वानिकी विश्व विद्यालय सोलन से Salix के कुछ क्लोन लाये गये और पोपलर के साथ कृषि वानिकी हेतू इस प्रजाति की पोपलर से तुलना की गई। इसके साथ–साथ Salix नाम की इस प्रजाति को जल भराव वाले क्षेत्रों में भी लगाया गया। पोपलर के साथ Salix का अध्ययन किसान के खेत पर किया गया। वर्ष 2014 में किये गये इस अध्ययन से यह बात सामने आई कि Salix कृषि वानिकी के लिए कोई ज्यादा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि Salix एक सदाबहार पेड़ है और यह पत्ते नहीं झाड़ता है। इसके साथ–साथ पोपलर की तरह यह पेड़ सीधा नहीं उगता है। अतः यह कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त नहीं है।

4. नीम पर पत्ता भक्षक कीट का प्रकोपः

देखा गया है कि नीम पर कीट या बीमारी का कोई प्रकोप नहीं होता है, लेकिन हरियाणा के हिसार जिले में वर्ष 2014 के दौरान कुछ सड़कें नीम से भरी थी। लेकिन सारे नीम के पौधे पत्ती विहीन पाये गये। अनुसंधान करने पर पाया गया कि नीम के पत्ते तितली वर्गीय एक कीट के खाये हुए हैं। ऐसा कभी भी हरियाणा में नहीं देखा गया था। कीट से नियन्त्रण हेतु रोगोर नमा दवा का 0.01 प्रतिशत घोल का छिड़काव किया गया और यह प्रभावी पाया गया।

अध्ययन से यह भी पाया गया कि अपंटालिस नामक एक अन्य कीट है जोकि नीम के पत्ते भक्षक कीट का कुदरती परजीवी शत्रु है। यह परजीवी नीम के पेड़ के आस–पास छोटे–छोटे रुई के फाओं की तरह कुप्पी के रुप में खरपतवारों या आस–पास के पेड़ों पर दिखता है।

अतः इस कीट को बढ़ावा देना जरुरी है। अध्ययन से पाया गया कि दवा के छिड़काव से यह परजीवी कीट मर जाता है। अतः भविष्य में बड़े–बड़े पेड़ों पर नीम के पत्ता भक्षक कीट को नियन्त्रण में रखना है तो दवा का छिड़काव नहीं किया जा सकता और इस सम्बन्ध में परजीवी के कल्चर करने की तकनीक अपनानी होगी और ऐसा करने के बाद इसे प्रभावी पौधों के आस–पास छोड़ना होगा।

5. पेड़ों पर जाले बननाः

गत 15-20 वर्षों से खासकर हरियाणा के पश्चिमी व दक्षिणी भाग में पेड़ों पर जाले बनते थे। यह जाले किस वजह से बनते थे, इसका कोई पता नहीं था। इन जालों की वजह से बहुत सारे पेड़ मर जाते थे। इस सम्बन्ध में वर्ष 2013 व 2014 में गहन अध्ययन किये गये और अध्ययन से यह पाया गया कि पेड़ों पर जाले कोई कीट नहीं बल्कि एक मकड़ी बनाती है। जालों के कारण पौधों का प्रकाश संश्लेषण खत्म हो जाता है। वे कमजोर हो जाते है। कुछ कमजोर पौधे मर भी जाते हैं।

जालों के नियन्त्रण हेतु कुछ अध्ययन किये गये और यह पाया गया कि मकड़ी उड़ नहीं सकती बल्कि यह नीचे से चलकर पेड़ पर चढ़ती है। अतः पेड़ पर मकड़ी के चढ़ने के बचाव हेतु फिसलन भरे पदार्थ लगाये गये। अध्ययन से पाया कि कलिंगिंग फिल्म नाम का फिसलन भरा पदार्थ मकड़ी को पूरी तरह से उपर चढ़ने से रोक देता है। अतः यदि महत्वपूर्ण पौधों को मकड़ी के जाले से बचाना हो तो धरती से करीब 1.5 फुट की ऊंचाई पर कलिंगिंग फिल्म की करीब 1 फुट की पट्टी पेड़ के पूरे तने के इर्द–गिर्द गौलाई में लगानी चाहिए।

6. सप्तपरणी पर गठिया कीट का प्रकोपः

सप्तपरणी जिसे कि आल्सटोनिया भी कहते है, हरियाणा में सड़कों और पार्कों में बड़े पैमाने पर लगाया जाता है पिछले कुछ वर्षो से इस पर एक कीट का प्रकोप हो रहा है जोकि पत्तों को बुरी तरह से बर्बाद कर देता है। वर्ष 2014 में यह पाया गया कि यह कीट न केवल पत्तों को बर्बाद कर देता है बल्कि यह फलियों को भी बुरी तरह से बर्बाद कर देता है। फलियों को बर्बाद करने का यह समाचार अनुसंधान विंग ने ही सभी वन अनुसंधान संस्थानों को भेजा था। अनुसंधान से पाया गया कि फलियों पर इस कीट के प्रकोप के चलते बीज उत्पादन में करीब 60 प्रतिशत कमी आई है। इस कीट के नियन्त्रण हेतु कीटनाशी दवाओं के इस्तेमाल के साथ कई अन्य तरीके अपनाये गये लेकिन कोई नतीजे नहीं मिले क्योंकि यह कीट गांठ के भीतर सुरक्षित पड़ा रहता है। इस सम्बन्ध में अध्ययन जारी है।

7. बर्मा डैक का सर्दियों में रोपणः

पोपलर व सफेदे के बाद बर्मा डैक एक ऐसी प्रजाति सामने आई है जोकि कृषि वानिकी के लिए उत्तम है। इस प्रजाति का रोपण केवल जुलाई अगस्त में ही किया जाता है। लेकिन वर्ष के भिन्न–भिन्न समयों में रोपण जरुरी है ताकि रोपण की एक लम्बी अवधि मिल सके। इस सम्बन्ध में वर्ष 2014 में शेखपुरा करनाल में बर्मा डैक सर्दियों में जब यह पत्ते झाड़ देता हैं, उस समय दो तरह से इसका रोपण किया गया। एक तो मिट्टी की गाची के साथ और दूसरा नेकड ETP के रुप में अध्ययन से पाया गया कि Earth Ball यानि गाची वाले पौधे में 90 प्रतिशत से ऊपर सफलता मिली है जबकि नेकड़ में करीब 80 प्रतिशत सफलता मिली है। अतः बर्मा डैक को जनवरी माह में भी नेकड़ रुट के रुप में लगाया जा सकता है।

भाग दो–अध्याय सात

वर्ष 2015-16 के दौरान वन विभाग हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय स्तर पर निम्नांकित अधिकारी वर्णित निम्न पदों पर कार्यरत रहेः–

विभागाध्यक्ष		
पद	**अधिकारी का नाम**	**अवधि**
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला	श्री सी. आर. जोतरीवाल, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.05.2015
	डा. सरबजीत सिंह जटान, भा.व.से.	01.06.2015 से 31.10.2015
	डा. अमरेन्द्र कौर, भा.व.से.	01.11.2015 से 31.03.2016

वन विभाग हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय स्तर पर कार्यरत रहे अन्य अधिकारी गण			
क्र. सं.	**पद**	**अधिकारी का नाम**	**अवधि**
1.	अति. प्र.मु.व.सं., हरियाणा, (फौरेस्ट्री विंग)	श्री आर. के. सपड़ा, भा.व.से.	01.04.2015 से 30.06.2015
		डा. पी. पी. भौजवेद, भा.व.से.	01.07.2015 से 01.01.2016
		श्री आर. के. सिंह, भा.व.से.	29.01.2016 से 31.03.2016
2.	अति. प्र.मु.व0सं., हरियाणा एवं मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, हरियाणा, पंचकूला (वन्य प्राणी विंग)	डा. अमरिन्द्र कौर, भा.व.से.	01.04.2015 से 09.02.2016
		डा. पी. पी. भौजवेद, भा.व.से.	10.02.2016 से 31.03.2016
3.	अति0 प्र.मु.व.सं. (उत्पादन) हरियाणा	श्री के. एस. चौहान, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.12.2015
4.	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)	श्री रूपेन्द्र सिंह, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.03.2016
5.	मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)	श्री अशोक कुमार कुमावत, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.03.2016
6.	वन संरक्षक (योजना)	श्री विनीत गर्ग, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.03.2016
7.	वन संरक्षक (वन संरक्षण)	श्री डी. के. सिन्हा, भा.व.से.	01.04.2015 से 06.01.2016
		श्री एस. नारायण, भा.व.से.	08.01.2016 से 15.02.2016
		श्री एम. एल. राजवंशी, भा.व.से.	24.02.2016 से 31.03.2016
8.	वन मण्डल अधिकारी (आई.टी.)	डा. राजेश वत्स, ह. व. से.	01.04.2015 से 05.01.2016
		श्री कुलविन्द्र सिंह, ह. व. से.	06.01.2016 से 31.03.2016
9.	राज्य जन सूचना अधिकारी	श्री ओ. पी. काजला, ह. व. से.	01.04.2015 से 01.01.2016
		श्री बिजेन्द्र सिंह, ह. व. से.	01.01.2016 से 31.03.2016
10.	सांख्यिकीय अधिकारी	श्री लिप्टी सिंह, एच. एस. एस.	01.04.2015 से 30.04.2015
11.	सहायक जिला न्यायवादी	श्री प्रांशु चतुर्वेदी, एच.एस.पी.एस.	01.04.2015 से 31.03.2016
		कुमारी अकांशा बंसल, एच.एस.पी.एस.	01.04.2015 से 31.03.2016
12.	स्थापना अधिकारी	श्रीमति पुष्पा रानी (अतिरिक्त चार्ज)	01.07.2015 से 31.10.2015
		श्री सुरिन्द्र मक्कड़	01.12.2015 से 31.03.2016
13.	अधीक्षक–I	श्रीमती पुष्पा रानी	01.04.2015 से 30.06.2015
		श्री सतबीर सांगवान	01.07.2015 से 17.03.2016
		श्री दीन दयाल गांधी	18.03.2016 से 31.03.2016
14.	अधीक्षक–II	श्री मंजीत सिंह	01.04.2015 से 31.03.2016

मुख्य वन संरक्षक व वन संरक्षक हरियाणा			
क्र. सं.	**पद**	**अधिकारी का नाम**	**अवधि**
1.	मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा–I	श्री आर. के. सिंह, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.03.2016
2.	मुख्य वन संरक्षक,सुरक्षा– II	श्री एम. एम. जोशी, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.07.2015
		श्री सत्यभान, भा.व.से.	06.08.2015 से 31.03.2016
3.	वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, पंचकूला	श्री एम. पी. शर्मा, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.03.2016

4.	वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक	श्री घनश्याम शुक्ला, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.03.2016
5.	वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुड़गांव	श्री एम. डी. सिन्हा, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.03.2016
6.	वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	श्री विनोद कुमार, भा.व.से.	01.04.2015 से 18.05.2015
		श्री जी रमन, भा.व.से.	18.05.2015 से 31.03.2016
7.	वन संरक्षक उत्पादन, करनाल	श्री नवदीप सिंह हुड्डा, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.03.2016
8.	मुख्य वन संरक्षक, विकास, पंचकूला	श्री सत्यभान, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.12.2015
		श्री आर. एस. लाम्बा, भा.व.से.	01.01.2016 से 31.03.2016
9.	वन संरक्षक, प्रचार एवं विस्तार, पंचकूला	श्री वी. एस. तंवर, भा.व.से.	01.04.2015 से 15.05.2015
		श्री एस. नारायणन, भा.व.से.	15.05.2015 से 11.06.2015
		श्री वी. एस. तंवर, भा.व.से.	26.06.2015 से 24.07.2015
		श्री पंकज गोयल, भा.व.से.	24.07.2015 से 23.10.2015
		श्री एस. नारायणन, भा.व.से.	01.01.2016 से 25.01.2016
		श्री अतुल सिरसीकर, भा.व.से.	25.01.2016 से 31.03.2016
10.	वन संरक्षक, प्रशिक्षण परिमण्डल, पिंजौर	श्री एम. पी. शर्मा, भा.व.से.	01.04.2015 से 15.05.2015
		श्री एम. एल. राजवंशी, भा.व.से.	15.05.2015 से 31.03.2016
11.	वन संरक्षक, कार्य योजना, गुड़गांव	श्री जी. रमन, भा.व.से.	01.04.2015 से 26.05.2015
		श्री अतुल सिरसीकर, भा.व.से.	26.05.2015 से 31.03.2016
12.	वन संरक्षक, अनुसंधान, पिंजौर	श्री जगदीश चन्द्र, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.03.2016
13.	वन संरक्षक, जांच एवं मूल्यांकन, करनाल	श्री वी. के. भाटिया, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.03.2016
14.	मुख्य वन संरक्षक, सामुदायिक वानिकी, पंचकूला	श्री अनिल कुमार हुड्डा, भा.व.से.	01.04.2015 से 14.05.2015
		श्री सत्यभान, भा.व.से.	27.05.2015 से 22.06.2015
		श्री अनिल कुमार हुड्डा, भा.व.से.	22.06.2015 से 24.12.2015
		श्री अनिल कुमार हुड्डा, भा.व.से.	04.01.2016 से 31.03.2016
15.	वन संरक्षक, सामुदायिक वानिकी, अम्बाला	श्री वी. एस. तंवर, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.03.2016
16.	वन संरक्षक, सामुदायिक वानिकी, हिसार	श्री विनोद कुमार, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.03.2016
17.	वन संरक्षक, वन्य प्राणी, पंचकूला	श्री के. सी. मीणा, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.03.2016
18.	वन संरक्षक, वन्य प्राणी, गुड़गांव	श्री रामबीर सिंह बेरवाल, भा.व.से.	01.04.2015 से 31.03.2016

वर्ष के दौरान नियुक्ति, सेवा निवृति एवं मृत्यु का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहाः–

क. सं.	कार्यालय का नाम	नियुक्ति	सेवानिवृत्ति	मृत्यु
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, पंचकूला	0	19	2
2.	मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा–I, पंचकूला	0	0	0
3.	वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, पंचकूला	1	27	1
4.	वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक	0	21	5
5.	मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा II, गुड़गांव	0	1	0
6.	वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुड़गांव	0	30	2
7.	वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	0	30	2
8.	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन, पंचकूला	0	2	0
9.	वन संरक्षक, उत्पादन, करनाल	0	4	1
10.	मुख्य वन संरक्षक, सामुदायिक वानिकी, पंचकूला	0	0	0
11.	वन संरक्षक, सामुदायिक वानिकी परिमण्डल, अम्बाला	0	7	0
12.	वन संरक्षक, सामुदायिक वानिकी परिमण्डल, हिसार	1	15	0
13.	वन संरक्षक, जांच एवं मूल्यांकन, करनाल	0	3	1

14.	मुख्य वन संरक्षक, विकास परिमण्डल, पंचकूला	0	0	0
15.	वन संरक्षक, ट्रेनिंग, पिंजौर	0	1	0
16.	वन संरक्षक, अनुसंधान, पिंजौर	0	5	0
17.	वन संरक्षक, प्रचार एवं विस्तार, पंचकूला	0	1	0
18.	वन संरक्षक, कार्य योजना, गुड़गांव	0	0	0
19.	वन्य प्राणी विंग	0	1	3
योग		**2**	**167**	**17**

Training
प्रशिक्षण

किसी भी विभाग के कार्यक्रम व नीतियों की सफलता के लिए संसाधनों का विकास करना अति आवश्यक है। वन विभाग के दो प्रशिक्षण केन्द्र हैं। एक वन प्रशिक्षण केन्द्र पिंजौर में तथा दूसरा राष्ट्रीय संसाधन प्रबन्धन केन्द्र सोहना, जिला गुड़गांव में स्थित है। इन केन्द्रों पर वन रक्षकों को 5 मास का कोर्स, फौरेस्टरों व उप वन राजिकों को 11 मास का कोर्स वन तथा वन्य प्राणियों के सम्बन्ध में करवाया जाता है। प्रशिक्षण परिमण्डल, पिंजौर द्वारा वर्ष 2015-16 में पिंजौर तथा एन.आर.एम.सी., सोहना में निम्नलिखित नियमित व वन रक्षक प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किए गएः–

कोर्स का प्रकार	प्रशिक्षण केन्द्र	कोर्स का नाम	अवधि	प्रशिक्षित स्टाफ का रैंक	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
नियमित कोर्स	एन. आर. एम. सी., सोहना	वन दरोगा प्रशिक्षण कोर्स 2015-16	01.05.2015 से 12.04.2016	वन दरोगा	30
	वन प्रशिक्षण मण्डल, पिंजौर	वन रक्षक प्रशिक्षण कोर्स 2015 (बैच नं. 93)	01.05.2015 से 16.10.2015	वन रक्षक	38

उपरोक्त के अतिरिक्त इस परिमण्डल के अंतर्गत पिंजौर वन परिसर में स्थित परिमण्डल कार्यालय भवन, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान का शैक्षणिक भवन तथा वन दरोगा व वन रक्षक छात्रावास एवं सम्बन्धित भवन तथा एन.आर. एम.सी., सोहना में स्थित शैक्षणिक भवन, विश्राम गृह, अधिकारी हॉस्टल तथा दो प्रशिक्षणार्थी छात्रावास आते हैं।

Officers Training: The details of officers training during the year remained as under:-

Sr. No.	Name of Officer	Name of Training and Place	Duration
1.	Sh. V. S. Tanwar, IFS	One week training course on "Embedding Managerial Excellence" at Shri Mata Vaishno Devi University, Katra	22.06.2015 to 26.06.2015
2.	Sh. Rajesh Kumar Gulia, HFS	Training of trainers workshop at CASFOS, Dehradun	28.09.2015 to 03.10.2015
3.	Sh. V. S. Tanwar, IFS	Crafting Individuals as Effective Leaders Shri Mata Vaishno Devi University, Katra	22.06.2015 to 26.06.2015
4.	Sh. Jagdish Chander, IFS	One week compulsory training course of "Art of interacting with Print and Electronic Media" in Bhubhneswar.	03.08.2015 to 10.08.2015
		Art of interacting with Print and Electronic Media (Xavier Institute of Management, Bhubaneshwar).	03.08.2015 to 07.08.2015
		Mid Career Training Phasse-V (IGNFA, Dehradun), Bangluru and Vancouver.	27.09.2015 to 22.10.2015
5.	Sh. K. C. Meena, IFS	Tendering and Contract Management, NIFM (Faridabad).	17.08.2015 to 21.08.2015
6.	Sh. Rambir Singh, IFS	Wildlife Institute of India, Dehradun	19.10.2015 to 06.11.2015

7.	Sh. M. S. Malik, IFS	Wildlife and Habitat Management, Banglore.	14.09.2015 to 18.09.2015
8.	Sh. Jitender Ahlawat, IFS	Bes Practices in Forestry (IGNFA, Dehradun).	12.10.2015 to 16.10.2015
9.	Sh. Rambir Singh, IFS	Managing Change (IMTR, Goa)	26.10.2015 to 30.10.2015
10.	Sh. D. Hembram, IFS	Managing Change (IMTR, Goa)	26.10.2015 to 30.10.2015
11.	Mrs. Renjitha, IFS	GPS / DGPS in Forest Survey and Demarcation (FSI, Dehradun).	22.02.2016 to 26.02.2016
12.	Mrs. Hairatjit Kaur, IFS	GPS / DGPS in Forest Survey and Demarcation (FSI, Dehradun).	22.02.2016 to 26.02.2016
13.	Sh. Sunder Lal, HFS	Application of Remote Sensing / Satellite Date Interpretation (FSI, Dehradun)	02.11.2015 to 06.11.2015
14.	Sh. Naresh Ranga, HFS	Application of Remote Sensing / Satellite Date Interpretation (FSI, Dehradun)	02.11.2015 to 06.11.2015
15.	Sh. Rajesh Vats, HFS	Cabron Stock Inventory (FSI, Dehradun)	05.10.2015 to 09.10.2015
16.	Sh. Kulvinder Singh, HFS	Carbon Stock Inventory (FSI, Dehradun)	05.10.2015 to 09.10.2015
17.	Smt. Vijay Laxmi, HFS	GPS / DGPS in Forest Survey and Demarcation (FSI, Dehradun).	14.12.2015 to 18.12.2015
18.	Sh. R. K. Jangra, HFS	GPS / DGPS in Forest Survey and Demarcation (FSI, Dehradun).	14.12.2015 to 18.12.2015
19.	Sh. Suraj Bhan, HFS	GPS / DGPS in Forest Survey and Demarcation (FSI, Dehradun).	11.01.2015 to 15.01.2015
20.	Sh. R. S. Dhull, HFS	GPS / DGPS in Forest Survey and Demarcation (FSI, Dehradun).	11.01.2015 to 15.01.2015
21.	Sh. Shakti Singh, HFS	Agroforestry for sustaining Foodgrain Production in Problem Soils Area (Jharkhand).	08.09.2015 to 14.09.2015
22.	Sh. S. S. Sheoran, HFS	Integrated Farming Systems to make Indian Agriculture Climate Resilient (Jharkhand).	18.09.2015 to 24.09.2015
23.	Sh. R. S. Dhankar, IFS	Planning and Design of Rain Water Harvesting Structures and Utilization of Conserved Water through Micro-Irrigation System (Jharkhand)	02.12.2015 to 11.12.2015
24.	Sh. P. S. Birthal, HFS	Planning and Design of Micro-Irrigation Systems for Enhancing Water Use Efficiency (Jharkhand).	03.02.2016 to 17.02.2016
25.	Sh. Rajesh Gulia, HFS	Training of Trainers (CASFOS, Dehradun).	28.09.2015 to 03.10.2015
26.	Sh. Ved Parkash, HFS	Training of Trainers (CASFOS, Dehradun).	28.09.2015 to 03.10.2015

Organisational Structure:

वर्ष 2015-16 में वन विभाग हरियाणा के अमले की स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

Type	Post / Rank	Cadre	In Position	In the Pay band + Grade Pay of Rs.
Executive Staff	Principal Chief Conservator of Forests	1	1	Apex Scale 80,000 (Fixed)
			1	HAG Scale 75,500+3% Annual increment
	Additional PCCF	2	3	HAG Scale 67,000-79,000
	Chief Conservator of Forests	6	6	37400-67000+Rs.10,000
	Conservator of Forests (Non functional upgrades)	11	18	37400-67000+Rs. 10000
	Conservator of Forests		6	37400-67000+Rs. 8900

		Deputy Conservator of Forests	49	3 1 4 4	37400-67000+Rs. 8700 15600-39100+Rs. 7600 15600-39100+Rs. 6600 15600-39100+Rs. 5400
		Total	**69**	**47**	
		Haryana Forest Service Officers	54	47	9300-34800+Rs. 4600
		Forest Ranger	126	77	9300-34800+Rs. 4000
		Deputy Ranger	123	60	9300-34800+Rs. 3600
		Forester	527	328	5200-20200+Rs. 2800
		Forest Guard	1547	910	5200+20200+Rs. 2000
		Total	**2377**	**1422**	
Technical/Specialized/Professional Staff	**Patwar**	Tehsildar	1	0	9300-34800+Rs. 4600
		Naib Tehsildar	2	2	9300-34800+Rs. 4000
		Kanoongo	7	1	9300-34800+Rs. 3600
		Patwari	15	0	5200-20200+Rs. 1900
		Demarcation Supervisor	1	1	5200-20200+Rs. 1800
	Statistics	Statistical Officer	1	1	9300-34800+Rs. 4600
		Technical Assistant	1	1	9300-34800+Rs. 4000
		Statistical Assistant	4	4	9300-34800+Rs. 3600
		Research Investigator	1	1	9300-34800+Rs. 3600
		Computer	1	0	5200-20200+Rs. 1900
	Legal	Assistant District Attorney	5	2	9300-34800+Rs. 4600
	I & T	Computer Programmer	2	1	9300-34800+Rs. 4000
		Computer operator	13	0	5200-20200+Rs. 2800
	Drawing	Forest Map Officer	1	0	9300-34800+Rs. 4200
		Circle Head Draftsman	5	4	9300-34800+Rs. 4000
		Head Draftsman	1	0	9300-34800+Rs. 4000
		Draftsman	11	4	9300-34800+Rs. 3600
		Draftsman – cum - Surveyor	1	1	9300-34800+Rs. 3600
		Surveyor	3	4	5200-20200+Rs. 1900
	Others	Divisional Publicity Officer	2	3	9300-34800+Rs. 4000
		Assistant Chief Publicity Officer	1	0	5200-20200+Rs. 2800
		Artist	1	0	9300-34800+Rs. 3600
		Photographer	1	0	9300-34800+Rs. 3600
		Supervisor-cum-Driver	1	1	5200-20200+Rs. 2400
		Car/Jeep/Tractor Driver	135	103	5200-20200+Rs. 2400
		Tractor Cleaner	5	0	4440-7440+Rs. 1300
		Tubewell Operator	1	1	5200-20200+Rs. 1900
		Tubewell Mechanic	2	0	5200-20200+Rs. 1900
		Head Mali	2	0	4440-7440+Rs. 1300
		Muhafiz Tree	2	0	4440-7440+Rs. 1300
		Caner	1	1	4440-7440+Rs. 1300
Ministerial Staff		Private Secretary	1	1	9300-34800+Rs. 4200
		Establishment Officer	2	2	9300-34800+Rs. 4200
		Superintendent	15	15	9300-34800+Rs. 4200
		Deputy Superintendent	48	48	9300-34800+Rs. 4000
		Assistant	113	89	9300-34800+Rs. 3600
		Stenographer	43	25	9300-34800+Rs. 3600
		Steno-Typist	23	1	5200+20200+Rs. 1900
		Clerk/Typist	236	119	5200+20200+Rs. 1900
		Restorer	1	0	5200-20200+Rs. 1900
		Daftri	2	0	4440-7440+Rs. 1650
		Jamadar/Peon	6	3	4440-7440+Rs. 1650

	Peon/Mali/C/Dar	667	397	4440-7440+Rs. 1300
	Full/Part-Time Sweeper	2	2	4440-7440+Rs. 1300
	Sweeper-cum-Chowkidar	4	3	4440-7440+Rs. 1300
	Group D	0	379	4440-7440+Rs. 1300
	Total	**1393**	**1220**	
	Total Forestry Staff	**3839**	**2689**	
These 3 IFS Cadre post of wild life wing has already being included in forestry cadre	APCCF-cum- Chief Wild Life Warden	1	1	HAG. Scale 67000-79000
	Conservator of Forests - WL	2	2	37400-67000+Rs. 8900
	Total	**3**	**3**	
Wild Life Wing's Staff	Divisional Wild Life Officer	4	4	9300-34800+Rs. 4600
	Inspector Wild Life	20	12	9300-34800+Rs. 4000
	Sub-Inspector Wild Life	16	14	5200-20200+Rs. 2800
	Guard Wild Life	74	36	5200-20200+Rs. 2000
	Veterinary Surgeon	1	1	9300-34800+Rs. 5400+NPA
	Assistant District Attorney	1	1	9300-34800+Rs. 4600
	Draftsman	1	1	9300-34800+Rs. 3600
	Superintendent	1	1	9300-34800+Rs. 4200
	Deputy Superintendent	2	2	9300-34800+Rs. 4000
	Senior Scale Stenographer	1	0	9300-34800+Rs. 3600
	Assistant	6	6	9300-34800+Rs. 3600
	Clerk	8	6	5200-20200+Rs. 1900
	Driver	4	3	5200-20200+Rs. 2400
	Cinema Assistant	1	1	5200-20200+Rs. 2400
	Peon	8	5	4440-7440+Rs. 1300
	Tubewell Operator	1	1	5200-20200+Rs. 2400
	Peon-cum- Chowkidar	5	5	4440-7440+Rs. 1300
	Attendant-cum-Chowkidar	1	0	4440-7440+Rs. 1300
	Mali-cum- Chowkidar	6	6	4440-7440+Rs. 1300
	Keeper	6	5	4440-7440+Rs. 1300
	Chowkidar	1	1	4440-7440+Rs. 1300
	Group D	18	18	4440-7440+Rs. 1300
	Total Wild Life Staff	**186**	**129**	
Total staff strength of the Department		**4025**	**2818**	

(A) ACTS IMPLEMENTATION

Acts being implemented by Forest Department are as under:-

Sr. No.	Forest Acts	Sr. No.	General Acts
1.	Indian Forest Act, 1927.	1.	Indian Evidence Act, 1872.
2.	Forest Conservation Act, 1980.	2.	Industrial Disputes Act, 1947.
3.	Wildlife Protection Act, 1972.	3.	Minimum Wages Act, 1948.
4.	Punjab Land Preservation Act, 1900.	4.	Indian Penal Code, 1862.
		5.	Code of Criminal Procedure, 1973.
		6.	Law of Limitation, 1963.

(बी) चौकसी तथ्यों सम्बन्धी सूचना

वर्ष 2015-16 में चौकसी विभाग द्वारा अनुशंसा करने पर अथवा स्वयं विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए गए विभिन्न दण्डों सम्बन्धी सूचना निम्न प्रकार से रही हैः–

क्र. सं.	दण्ड की किस्म	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	कुल संख्या
1.	**सेवा–मुक्त या हटाये गए**	-	-

2.	**न्यायालय द्वारा दण्डित/सजा देना**	-	-
3.	**अनिवार्य सेवानिवृत्ति**	1. श्री धर्म पाल, वन दरोगा 2. श्री राम कुमार, जीप चालक	2
4.	**त्यागपत्र**	-	-
5.	**प्रत्यावर्ती तथा पदावन्त**	-	-
6.	**अनुमोदित सेवा समाप्त करना**	-	-
7.	**पैंशन में कमी करना**	-	-
8.	**वेतनमान में कमी करना**	-	-
9.	**वरिष्ठता में कमी करना**	-	-
10.	**पदोन्नति पर रोक लगाना**	-	-
11.	**बोनस व वेतन/ उपदान जब्त करना** 1. श्री कश्मीर सिंह, वन दरोगा 2. श्री साधु राम, वन दरोगा 3. श्री अशोक कुमार, वन दरोगा 4. श्री रोशन लाल, वन दरोगा 5. श्री जयवीर सिंह, वन दरोगा 6. श्री सुमेर सिंह, वन दरोगा 7. श्री रघुबीर सिंह, वन दरोगा 8. श्री अजीत सिंह, वन रक्षक 9. श्री सुनील कुमार, वन रक्षक	10. श्री हनुमान सिंह, वन दरोगा 11. श्री अमी लाल, वन रक्षक 12. श्री मुख्तयार सिंह, वन रक्षक 13. श्री सीता राम, वन रक्षक 14. श्री संजय सिंह, वन रक्षक 15. श्री सतपाल, वन रक्षक 16. श्री रघुबीर, वन रक्षक 17. श्री जकशीर सिंह, वन रक्षक 18. श्री शीश पाल, वन रक्षक	18
12.	**जुर्माना करना**	–	
13.	**वेतनवृद्धि पर रोक लगाना** 1. श्री राजबीर, वन रक्षक 2. श्री जोरा सिंह, वन रक्षक 3. श्री हंसराज, वन रक्षक 4. श्री महेन्द्र, श्रमिक 5. श्री मनीत, वन रक्षक 6. श्री राजेश, वन रक्षक 7. श्री महेन्द्र यादव, वन रक्षक 8. श्री रघुबीर सिंह, वन दरोगा	9. श्री साधु राम, वन दरोगा 10. श्री महेन्द्र सिंह, वन रक्षक 11. श्री यश्पाल सिंह, वन रक्षक 12. श्री ओम दत्त, वन रक्षक 13. श्री सूरज भान, वन दरोगा 14. श्री नरेन्द्र कुमार, वन रक्षक	14
14.	**सरकार द्वारा सख्त–रोष प्रकट करना**	–	–
15.	**लघु दण्ड दिए गए**	1. श्री कृष्ण कुमार, वन दरोगा 2. श्री सुरेश पाल, वन दरोगा	2
16.	**परिनिन्दित करना**	1. श्री महेन्द्र सिंह भट्टी, उप वन राजिक 2. श्री ओम दत्त, वन रक्षक 3. श्री सूरज भान, वन दरोगा 4. श्री जोगिन्द्र पाल, वन रक्षक 5. श्री मेघ सिंह, वन रक्षक	5
17.	**चेतावनी देना** 1. श्री रमेश कुमार, वन दरोगा 2. श्री महीपाल, सेवादार 3. श्री अजय कुमार, वन रक्षक 4. श्री मुन्नी लाल, श्रमिक 5. श्री आजाद सिंह, वन रक्षक 6. श्री जोरा सिंह, वन रक्षक 7. श्री रविन्द्र सिंह, वन रक्षक	8. श्री ओम प्रकाश, वन रक्षक 9. श्री महेन्द्र सिंह, वन रक्षक 10. श्री प्रकाश चन्द्र त्रिवेदी, वन राजिक 11. श्री जगदीश चन्द्र, वन रक्षक 12. श्री महेन्द्र कुमार, श्रमिक 13. श्री भूपेश, वन रक्षक 14. श्री कर्मवीर सिंह, वन रक्षक	14
18.	**विशेष वेतन वाले पद पर नियुक्त न करना**	–	–

19.	**दक्षतारोध पार करने पर रोक लगाना**	–	–
20.	**दिए गए अन्य दण्ड (उक्त के अतिरिक्त)** 1. श्री महेन्द्र सिंह, वन दरोगा 2. श्री सतबीर सिंह, वन दरोगा 3. श्री पुरुषोत्तम दास, वन दरोगा 4. श्री राकेश कुमार, वन रक्षक 5. श्री बाबू राम, वन दरोगा 6. श्री ईश्वर सिंह, वन दरोगा 7. श्री बाबू राम, वन दरोगा 8. श्री केशव, वन रक्षक 9. श्री रुप चन्द, वन दरोगा	10. श्री विजेन्द्र कुमार, वन रक्षक 11. श्री हंसराज, वन रक्षक 12. श्री महेन्द्र सिंह, श्रमिक 13. श्री राजेश कुमार, वन रक्षक 14. श्री मुंशी राम, श्रमिक 15. श्री जय भगवान, श्रमिक 16. श्री रामफल, वन दरोगा 17. श्री महेन्द्र सिंह, वन रक्षक 18. श्री भीम सिंह, वन रक्षक 19. श्री बलबीर सिंह, वन रक्षक 20. श्री राजेश कुमार, वन रक्षक	20

भाग दो–अध्याय आठ

राज्य वन नीति-2006 के तहत हरियाणा में वन एवं वृक्षावरण वृद्धि हेतु वर्ष 2015-16 में पौधारोपण अभियान चालू रहा। विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत पंचायत क्षेत्रों, निजि क्षेत्रों, बालू के टीलों पर और कृषि के साथ–साथ व्यक्तिगत् खेतों की भूमियों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम जारी रहे। राष्ट्रीय वन नीति अनुसार राज्य में एक तिहाई भू–भाग पर वृक्षावरण होना चाहिए। विभागीय प्रयासों के परिणामस्वरुप हरियाणा राज्य में कुल वनावरण व वृक्षावरण, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा अपनी नवीनतम रिपोर्ट 2015 में भौगोलिक क्षेत्र का 6.65 प्रतिशत आंका गया है।

राज्य वन नीति के उद्देश्यों को अमली जामा पहनाने के लिये राज्य में नितिगत स्कीमों सम्बन्धि कार्यक्रम सम्पन्न किये गयें। राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत पौधारोपण कर वनावरण व वृक्षावरण में शीघ्र वृद्धि दर्ज करने के लिए वर्षभर भिन्न–भिन्न पौधारोपण कार्यक्रमों के तहत समारोहों का आयोजन भी किया गया ताकि राष्ट्रीय वन नीति लक्ष्य के करीब शीघ्र पहुंचा जा सके। अतः विभागीय स्कीमों व पौधारोपण कार्यक्रमों का निम्नांकित तालिका के तहत मौटे तौर पर आंकलन किया जा सकता हैः–

वर्ष 2015-16 में विभागीय भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति विवरण

Physical and Financial Performance				
Sr. No.	**(A) PLAN**	**Physical (in Ha.)**	**RKM**	**Financial (Rs. in Lakh)**
(a) State Schemes				
1.	Development of Agro-Forestry Clonal and Non-Clonal	4657.15	1000.00	3704.76
2.	Special Component Plan for Schedule Castes	0.00	0.00	0.00
3.	I) Forestry Activity in SC Villages	2571.03	451.00	1769.64
4.	Social & Farm Forestry	2290.65	0.00	2395.50
5.	Green Belt in Urban Areas	0.00	593.39	810.13
6.	Extension Forestry (Rail, Road & Canal Plantations to check Pollution)	28.00	2337.36	1034.12
7.	Rehabilitation of Degraded Forests	1302.00	697.50	1313.04
8.	Strip Plantation on Govt. Land	0.00	3060.00	2272.45
9.	Compensatory Afforestation	0.00	0.00	9.40
10.	Revitalization of Institutions in Arravali Hills	670.00	0.00	997.23
11.	Desert Control	115.00	0.00	79.78
12.	Soil Conservation on Water shed basis including Cho-training	0.00	0.00	402.68
13.	Schemes Without Plantation Target	0.00	0.00	0.00
i)	Forest Publicity, Public Relation & Extension	0.00	0.00	199.87
ii)	State Forest Research Centre	0.00	0.00	38.27
iii)	Building	0.00	0.00	348.22
iv)	Herbal Nature Park	0.00	0.00	468.46
v)	Information Technology	0.00	0.00	237.82
vi)	Preparation of Working Plan	0.00	0.00	14.29
vii)	Afforestation of waste land and Agro-Forestry	0.00	0.00	2180.76
viii)	Survey, Demarcation & Settlement of Forest Area	0.00	0.00	153.02
Total		**11633.83**	**8139.25**	**18429.44**
(b) Centrally Sponsored Schemes on Sharing Basis				
1.	National Afforestation and Forestry / Afforestation Activities by State Forest Development Agency (SFDA) (Central Share 72.36 lac & State Share 216.85 lac)	1769.00	0.00	289.21
2.	Integrated Development of Wild Life Habitats (Wild Life) (Central Share 90.30 lac & State Share 60.16 lac)	0.00	0.00	150.46

3.	Integrated Forest Protection (Now name as: Intensification of Forest Management (CSS) (Central Share 73.77 lac & State Share 49.18 lac)	0.00	0.00	122.95
4.	Strengthneing Expansion and Improvement of Sanctuaries (Central Share 33.21 lac & State Share 96.42 lac)	0.00	0.00	129.63
Total		**1769.00**	**0.00**	**692.25**
(c) Wild Life Preservation				
1.	Protection of Wild Life	0.00	0.00	270.14
2.	Extension of Zoo & Deer Parks	0.00	0.00	303.28
Total		**0.00**	**0.00**	**573.42**
Plan Total		**13402.83**	**8139.25**	**19695.11**
(B) NON-PLAN				
(a)	Direction & Administration (mainly establishment expenditure)	0.00	0.00	10284.57
(b)	Plantation & Enumeration	0.00	0.00	777.35
(c)	Logging (felling of trees & furniture making)	0.00	0.00	876.86
(d)	Communication and Building (specially buildings maintenance)	0.00	0.00	29.27
(e)	Other Charges (Back Wages Payments)	0.00	0.00	63.31
(f)	Others (Training, Uniform & Miscellaneous)	0.00	0.00	109.28
(g)	Wild Life Preservation	0.00	0.00	780.97
Non-Plan Total		**0.00**	**0.00**	**12921.61**
Departmental Plan & Non-Plan Total		**13402.83**	**8139.25**	**32616.72**
(C) DRDA & OTHER AGENCIES				
(a)	CAMPA- Compensatory Afforestation Fund Management Planning Authority	3282.91	2100.01	3277.84
(b)	CADA	1936.67	0.00	178.33
(c)	Wood Based Industries	750.00	0.00	277.40
DRDA & Other Agencies Total		**5969.58**	**2100.01**	**3733.57**
Grand Total		**19372.41**	**10239.26**	**36350.29**

प्रचार एवं विस्तार

वर्ष के दौरान दिनांक 14.07.2015 को अनाज मण्डी छछरौली, जिला यमुनानगर में 66वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। वर्ष के दौरान राज्य में 24 ईको प्रशिक्षण शिविर, प्रकृति शिक्षा एवं जागरुकता प्रशिक्षण शिविर लगाए गए जिनमें 4209 लोगों, विद्यार्थियों व युवाओं ने भाग लिया तथा 51 फिल्म शो दिखाए गए जिसमें 12629 दर्शक शामिल हुए। इसके अतिरिक्त 772 स्कूलों में जाकर प्रचार किया गया जिसमें 42922 लोगों से सम्पर्क कर लोगों को पौधारोपण के प्रति जागरुक किया गया।

वितरण हेतु छपवाई गई प्रचार सामग्री

(क) पोस्टर		संख्या
1.	वृक्ष वृद्धि–सर्व समृद्धि	10000
2.	वन अमुल्य धरोहर है, इन्हें आग से बचाए	13000
3.	ग्लोबल वार्मिंग	12000
4.	माननीय मुख्यमंत्री सन्देश पोस्टर 66 वॉ वन महोत्सव	5000
5.	वक्त की आवाज–शुद्ध वातावरण	22000

(ख) पम्फलैट और बुकलेट		संख्या
1.	गुणकारी नीम	15000
2.	पोपलर की सफल खेती	20000
3.	वन अग्नि सुरक्षा अभियान	18000
4.	वृक्षारोपण एवम देखभाल	34000
5.	बेर	24000
6.	जंड	10000
7.	शीशम	10000

8.	क्लोनल सफेदा	26000
9.	महानीम	20000
10.	हर घर हरियाली अभियान	45000
11.	नया पौधा कैसे लगाए	130000
12.	वनों में आग न लगाएं वनों की आग बुझाए	27000
13.	वन विभाग हरियाणा की पौधारोपण योजनाएं	48000
14.	हरियाणा फोरैस्ट न्यूज	7500
15.	हरियाणा में वन्य प्राणी संरक्षण	40000

(ग) स्टीकर		
1.	नीम	28000
2.	कृषि वानिकी	48000
3.	काला हिरण	20000
4.	मोर	30000
5.	हर घर हरियाली	15000
6.	वृक्ष की सुरक्षा अपनी रक्षा	43000
7.	गिद्ध बचाए (Oval)	20000
8.	काला तीतर	28000
9.	पीपल	28000
10.	गिद्ध बचाए (Round)	42000
11.	We Plant We Care	15000
12.	I am for Green Haryana	10000
13.	File Cover Plastic with two colour printing	327

(घ) <u>विविध गतिविधियां</u> – लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित दिवसों पर समारोह/कार्यक्रम आयोजित किये गयेः–

1. दिनांक 21.03.2016 को नेचर कैम्प थापली, जिला पंचकूला में राज्य स्तरीय विश्व वानिकी दिवस मनाया गया।
2. दिनांक 13.04.2015 को गांव शहजादपुर, जिला अम्बाला में कृषि विविधिकरण मेला मनाया गया।
3. दिनाांक 22.05.2015 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलाना, जिला अम्बाला व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डिगल, जिला झज्जर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया।
4. दिनांक 05.06.2015 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दुराना, जिला अम्बाला में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।
5. दिनांक 14.07.2015 को अनाज मण्डी छछरौली, जिला यमुनानगर में 66वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया।
6. दिनांक 01.10.2015 से 07.10.2015 तक भौण्डसी प्रशिक्षण केन्द्र, जिला गुड़गांव में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया गया।

जांच एवं मूल्यांकन

वन विभाग के मुख्य कार्य पौधारोपण हेतु नर्सरियों में पौधे उगाना, पौधारोपण हेतु अर्थ वर्क करना, वृक्ष लगाने सम्बन्धित कार्य करना, पौधारोपण की देख रेख के दौरान होने वाले नुकसानों से संरक्षण करना, वन सम्पदा की चोरी को रोकना तथा भूमि संरक्षण कार्य करना आदि–आदि हैं। इन कार्यों को अमल में लाने के लिए क्षेत्रीय अमला सीधे तौर पर जिम्मेवार है परन्तु इन कार्यों की विशेषकर पौधारोपण एवं वन भूमियों की सुरक्षा के लिए नियमित तथा सामयिक जांच एवं मूल्यांकन की आवश्यकता है। वर्ष 2015-16 में जांच एवं मूल्यांकन परिमण्डल करनाल का कार्य क्षेत्रीय मण्डलों, सामुदायिक वानिकी मण्डलों, वन्य प्राणी एवं ईको टूरिज्म द्वारा करवाए गए पौधारोपण व अन्य कार्य की जांच एवं मूल्यांकन करना है। यह कार्य वन संरक्षक जांच एवं मूल्यांकन, करनाल अपने अधीनस्थ वन मण्डल अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से करते हैं। इस परिमण्डल कार्यालय के अन्तर्गत दो मण्डल हिसार व करनाल कार्यरत हैं। वन मण्डल अधिकारी जांच एवं मूल्यांकन करनाल के अधीन दो रेंजें है जांच एवं मूल्यांकन रेन्ज करनाल

व जांच एवं मूल्यांकन रेन्ज अम्बाला। जांच एवं मूल्यांकन रेन्ज करनाल द्वारा रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल व सामु. वा. पानीपत व झज्जर सामु. वा. मण्डल के पौधारोपण का जांच एवं मूल्यांकन किया जाता है व जांच एवं मूल्यांकन रेन्ज अम्बाला द्वारा मोरनी–पिंजौर, यमुनानगर, अम्बाला, कैथल व कुरूक्षेत्र तथा सामु. वा. अम्बाला व कुरूक्षेत्र मण्डलों के पौधारोपण का जांच एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा वन मण्डल अधिकारी जांच एवं मूल्यांकन मण्डल हिसार के अधीन रेवाड़ी व हिसार दो रेंजे है, जांच एवं मूल्यांकन हिसार रेंज द्वारा हिसार, सिरसा, भिवानी, जीन्द, फतेहाबाद तथा सामु. वा. हिसार व भिवानी मण्डलों के पौधारोपण की जांच एवं मूल्यांकन किया जाता है व जांच एवं मूल्यांकन रेन्ज रेवाड़ी द्वारा रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, मेवात (नूहं) तथा सामु. वा. रेवाड़ी व फरीदाबाद मण्डलों के पौधारोपण की जांच एवं मूल्यांकन किया जाता है।

जांच एवं मूल्यांकन का कार्य वन संरक्षक द्वारा वन मण्डल अधिकारी, वन राजिक अधिकारी व फील्ड स्टॉफ के साथ मिलकर किया जाता है। दोनों वन मण्डल जांच एवं मूल्यांकन की रिपोर्ट पूर्ण करके प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजते हुए प्रति प्रधान सचिव, वन विभाग हरियाणा सरकार/मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) व सम्बन्धित वन संरक्षक को ई–मेल द्वारा तथा लिखित प्रति भेजते है। जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा, पंचकूला सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षकों/ वन संरक्षक अधिकारियों की होती है।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के मामले में मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ज्ञात रहे जांच एवं मूल्यांकन आन्तरिक एवं बाहरी तौर से किया जा सकता है।

सैम्पलिंग मैथडोलोजीः

जांच एवं मूल्यांकन का कार्य Random Sampling के आधार पर वर्ष 2015-16 में निम्न प्रकार से किया गया हैः

1. प्राथमिक तौर पर सम्बन्धित वन मण्डल द्वारा भेजे गए ए.पी.ओ. में से वन राजिक अधिकारी जांच एवं मूल्यांकन नमूने के आधार पर स्कीम अनुसार नर्सरी/पौधारोपण क्षेत्रों/कटाई क्षेत्र/बिक्री डिपों की चयन सूची तैयार करता है। वन मण्डल अधिकारी जांच एवं मूल्यांकन द्वारा जांच करने उपरान्त वन राजिक अधिकारी जांच एवं मूल्यांकन का दौरा कार्यक्रम अनुमोदित कर सम्बन्धित वन मण्डल/वन राजिक को ई–मेल एवं लिखित रूप में अग्रिम रूप से सूचित किया जाता है।

2. वित्तिय वर्ष का 20 प्रतिशत, प्रथम वर्ष का 20 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष का 20 प्रतिशत, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ष का 10 प्रतिशत पौधारोपण नमूने के आधार पर चयन किया जाता है।

3. वित्तिय वर्ष की जांच करते समय विशेष ध्यान पौधारोपण क्षेत्र की Overlapping, Checking of Physical area and earth work, स्कीम के अनुसार पौधारोपण में Spacing, digging & Alignment गुणवत्ता एवं सफलता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

4. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के पौधारोपण की जांच के दौरान Replacement, Cultural operations, Measurement of growth of plants, Disease if any एवं mainly Protection पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

5. तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के पौधारोपण का चयन विशेषतः पौधारोपण के Establishment of Plantation को चैक करने के उद्देश्य से किया जाता है।

6. उत्पादन वन मण्डलों में कटाई की रीच एवं सेल डिपो का चयन Sampling / Special Information के आधार पर किया जाता है।

7. इसके अतिरिक्त सम्बन्धित वन राजिक अधिकारी/वन मण्डल अधिकारी के विशेष अनुमोदन पर उन द्वारा चाहे गए पौधारोपण/कटाई/डिपो/भू:संरक्षण कार्य की जांच की जाती है।

वन संरक्षक जांच एवं मूल्यांकन, परिमण्डल करनाल द्वारा वर्ष 2015-16 में पौधारोपण की जांच एवं मूल्यांकन का कार्य 2848.83 है. तथा 2713.87 आर.के.एम. पौधारोपित क्षेत्र चैक किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से रहा हैः–

Name of Division	No. of Sites Checked	Area Checked						Total No. of Plants checked	Result of Monitoring and Evaluation				Shortage of work no. of sites	Disciplinary action require (ATR) No. of sites
		Ha.	RKM	T.G.	No.	Acre	Kanal		Success <20% No. of Sites	20>Success<40% No. of Sites	40>Success<70% No. of Sites	Success>70% No. of Sities		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
TERRITORIAL WING														
Hisar	270	1323.63	1010.93	0	0	0	0	1233147	18	19	95	138	0	132
Karnal	291	751.01	1319.48	0	0	0	0	1014892	39	39	74	139	0	0
Total	**561**	**2074.64**	**2330.41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2248039**	**57**	**58**	**169**	**277**	**0**	**132**
CFP WING														
Hisar	86	405.73	183.40	0	0	0	0	336809	1	3	7	75	0	0
Karnal	103	368.46	200.06	0	0	0	0	278697	7	6	15	75	0	0
Total	**189**	**774.19**	**383.46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**615506**	**8**	**9**	**22**	**150**	**0**	**0**
G.Total	**750**	**2848.83**	**2713.87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2863545**	**65**	**67**	**191**	**427**	**0**	**132**

भाग दो–अध्याय नौ

अनुभाग –एक (सामान्य सुरक्षा)

राज्य में वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 तथा उसके अधीन गठित वन्य प्राणी संरक्षण नियम 1974 को वनों तथा वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु सख्ती से लागू किया गया। इसके अतिरिक्त अवैध शिकार एवं नाजायज कटाई को रोकने के लिए फिल्मों, पोस्टरों और भाषणों से जनता को शिक्षित किया गया।

अनुभाग –दो (अग्नि से सुरक्षा)

वन क्षेत्रों को आग से बचाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त इस कार्य के लिए वायरलैस सैटों का प्रयोग अम्बाला एवं मोरनी वन मण्डलों में वर्षभर किया गया। शिवालिक तथा अरावली की पहाड़ियों के सीमित प्राकृतिक वनों की आग से सुरक्षा के लिये अतिरिक्त योजनाएं तैयार कर बचाव कार्य जारी रहे। राज्य के Green-gold को बचाने हेतु क्षेत्रीय अमले को शीघ्र अति शीघ्र नए-नए उपयोगी प्रशिक्षण देकर इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखना होगा।

अनुभाग–तीन (पशुओं से संरक्षण)

वर्ष के दौरान सरकारी वनों में चराई वर्जित रही।

वन नियमों में उल्लघंन के मामले

वर्ष के आरम्भ में 4416 मामले लम्बित थे। वर्ष के दौरान 7993 मामले नए आए। इस प्रकार वर्ष के दौरान में कुल 12409 मामले रहे। इनमें से 5981 मामलों का निपटान विभागीय तौर पर किया गया तथा 2229 का निपटान जिला न्यायालयों द्वारा किया गया। 44 मामले में अपराधियों का पता नही चला तथा वर्ष के अन्त में 4155 मामले शेष रहे।

पिछले पांच वर्षों में कुल मामले, निपटान व बकाया मामलों का सारांश निम्न प्रकार से रहा हैः–

–क–

वर्ष	पिछले	वर्तमान	योग	निपटान	पता न लगना	बकाया
2011-12	10570	8769	19339	11415	65	7859
2012-13	7859	7459	15318	9751	24	5543
2013-14	5543	8026	13569	8476	1	5092
2014-15	5092	7323	12415	7877	122	4416
2015-16	4416	7993	12409	8210	44	4155
योग	**33480**	**39570**	**73050**	**45729**	**256**	**27065**

पिछले पांच वर्षों के क्षति मामलों का सारांश निम्न प्रकार से रहा है :–

–ख–

वर्ष	अग्नि द्वारा	अवैध कटाई	अवैध चराई	अन्य	योग
2011-12	7	4688	1162	2912	8769
2012-13	6	4204	808	2441	7459
2013-14	3	5115	386	2522	8026
2014-15	5	5126	461	1731	7323
2015-16	6	5921	441	1625	7993
योग	**27**	**25054**	**3258**	**11231**	**39570**

कार्य दिवस

वर्ष के दौरान ठेकेदारी प्रथा लागू रही जिसमें स्थानीय लोगों को रोज़गार के रुप में अनुमानित कार्य दिवस निम्न प्रकार से उपलब्ध करवाए गएः–

–रोजगार उपलब्धता–

परिमण्डल का नाम	अनुसूचित जाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल मजदूर	कुल कार्य दिवस
वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, पंचकूला	14567	13671	19877	48115	1146607
वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक	11746	5335	5451	22532	577606
वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुड़गांव	9852	7165	5452	22469	939644
वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	21973	5079	22992	50044	800687
वन संरक्षक, सामुदायिक वानिकी, अम्बाला	5145	3105	7034	15284	463634
वन संरक्षक, सामुदायिक वानिकी, हिसार	5070	2765	2081	9916	290725
वन संरक्षक, उत्पादन परिमण्डल, करनाल	8204	5375	2452	16031	296832
योग	**76557**	**42495**	**65339**	**184391**	**4515735**

Forest Conservation Act-1980

वन संरक्षण अधिनियम, 25 अक्टूबर, 1980 से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी वन भूमि भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गैर वानिकी कार्यों के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। यह अधिनियम हमारे वनों और जीवों की समृद्ध जैव विविधता, जो हमारे देश की प्राकृतिक विरासत ही नहीं अपितु हमारी सामाजिक व आर्थिक प्रगति का आधार है व साथ–साथ भावी संसाधनों का भण्डार भी हैं, को बचाए रखने के हमारे संकल्प का बेहतरीन सूचक रहा है।

वन नियमों के उल्लघंन सम्बन्धी मामले, दावानल से सुरक्षित वन क्षेत्र तथा दावानल के कारण क्षति की सूचना फार्म संख्या 13, 14 व 15 में दशाई गई है।

वन फार्म संख्या–13

(अनुच्छेद 76,78 व 79 वन विभाग संहिता आंठवा संस्करण)

वर्ष 2015–16 के दौरान वन नियमों के उल्लंघन सम्बन्धी रजिस्टर दर्शाने वाला विवरण पत्र

मण्डल का नाम	पिछले वर्ष के अनिर्णित मामले			वर्ष के नये मामले					
				अग्नि द्वारा वन को हानि			अनाधिकृत तौर पर वृक्ष गिराये जाना		
	क	ख	सभी	क	ख	ग	क	ख	ग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
मोरनी–पिंजौर	2	12	14	0	3	0	0	168	0
यमुनानगर	62	94	156	0	0	0	14	187	10
अम्बाला	5	0	5	0	0	0	68	25	2
कुरुक्षेत्र	4	33	37	0	0	0	34	68	0
कैथल	82	147	229	0	3	0	247	0	0
रोहतक	53	32	85	0	0	0	154	5	0
झज्जर	4	89	93	0	0	0	14	62	0
करनाल	0	11	11	0	0	0	189	0	0
पानीपत	2	1	3	0	0	0	14	270	0
सोनीपत	4	5	9	0	0	0	0	104	0
हिसार	0	187	187	0	0	0	70	497	0
फतेहाबाद	39	241	280	0	0	0	0	132	0
सिरसा	34	73	107	0	0	0	6	287	0
भिवानी	125	135	260	0	0	0	3	445	0
जीन्द	3	357	360	0	0	0	630	920	0
गुड़गांव	118	124	242	0	0	0	8	339	0
फरीदाबाद	17	260	277	0	0	0	0	64	0
पलवल	69	134	203	0	0	0	3	23	0
मेवात	773	90	863	0	0	0	1	181	0
महेन्द्रगढ़	534	254	788	0	0	0	35	361	0
रेवाड़ी	67	140	207	0	0	0	5	276	0
योग	**1997**	**2419**	**4416**	**0**	**6**	**0**	**1495**	**4414**	**12**

मण्डल का नाम	वर्ष के नये मामले								
	अनाधिकृत तौर पर पशु चराना			अन्य अपराध			जोड़		
	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग
	11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
मोरनी–पिंजौर	0	15	0	0	116	0	0	302	0
यमुनानगर	1	66	0	0	241	4	15	494	14
अम्बाला	20	3	0	41	0	0	129	28	2
कुरुक्षेत्र	0	7	0	8	9	0	42	84	0
कैथल	0	12	0	28	0	0	275	15	0
रोहतक	0	0	0	0	0	0	154	5	0
झज्जर	0	4	0	7	85	0	21	151	0
करनाल	0	70	0	0	38	20	189	108	20
पानीपत	0	0	0	0	0	0	14	270	0
सोनीपत	0	2	0	0	25	0	0	131	0
हिसार	0	86	0	0	2	4	70	585	4
फतेहाबाद	0	0	0	0	0	0	0	132	0
सिरसा	0	3	0	0	67	4	6	357	4
भिवानी	0	3	0	0	206	0	3	654	0
जीन्द	25	0	0	0	0	0	655	920	0
गुड़गांव	0	2	0	0	19	0	8	360	0
फरीदाबाद	0	0	0	0	90	0	0	154	0
पलवल	0	0	0		0	0	3	23	0
मेवात	0	12	0	2	84	0	3	277	0
महेन्द्रगढ़	0	49	0	22	190	0	57	600	0
रेवाड़ी	0	61	0	0	313	0	5	650	0
योग	**46**	**395**	**0**	**108**	**1485**	**32**	**1649**	**6300**	**44**

मण्डल का नाम	कुल मामले				वर्ष के दौरान निपटान							
					अपराध सिद्धियॉ				अपराध मुक्तियॉ			
					मामले		व्यक्ति		मामले		व्यक्ति	
	क	ख	ग	सभी	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
	20	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
मोरनी–पिंजौर	2	314	0	316	2	280	2	280	0	0	0	0
यमुनानगर	77	588	14	679	32	512	45	551	5	1	15	1
अम्बाला	134	28	2	164	95	28	95	28	0	0	0	0
कुरुक्षेत्र	46	117	0	163	31	80	20	150	0	0	0	0
कैथल	357	162	0	519	275	15	275	15	0	0	0	0
रोहतक	207	37	0	244	169	11	169	11	0	0	0	0
झज्जर	25	240	0	265	25	58	25	58	0	0	0	0
करनाल	189	119	20	328	189	70	200	80	0	0	0	0
पानीपत	16	271	0	287	0	178	0	85	16	0	16	0
सोनीपत	4	136	0	140	0	113	0	113	0	0	0	0
हिसार	70	772	4	846	10	390	10	390	5	170	5	170
फतेहाबाद	39	373	0	412	0	86	0	86	0	0	0	0
सिरसा	40	430	4	474	11	329	11	329	0	0	0	0
भिवानी	128	789	0	917	86	676	11	648	0	0	0	0
जीन्द	658	1277	0	1935	382	608	382	608	248	0	248	0
गुड़गॉव	126	484	0	610	75	413	126	460	0	0	0	0
फरीदाबाद	17	414	0	431	0	232	0	232	0	15	0	15
पलवल	72	157	0	229	0	23	0	23	0	0	0	0
मेवात	776	367	0	1143	426	258	428	258	5	0	5	0
महेन्द्रगढ़	591	854	0	1445	116	694	121	698	0	0	0	0
रेवाड़ी	72	790	0	862	26	741	26	741	0	0	0	0
योग	**3646**	**8719**	**44**	**12409**	**1950**	**5795**	**1946**	**5844**	**279**	**186**	**289**	**186**

मण्डल का नाम	जोड़						वर्ष के अन्त में विचाराधीन मामले			विशेष कथन
	मामले			व्यक्ति						
	क	ख	सभी	क	ख	सभी	क	ख	सभी	
	32	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**41**	
मोरनी–पिंजौर	2	280	282	2	280	282	0	34	34	
यमुनानगर	37	513	550	60	552	612	40	75	115	
अम्बाला	95	28	123	95	28	123	39	0	39	
कुरुक्षेत्र	31	80	111	20	150	170	15	37	52	
कैथल	275	15	290	275	15	290	82	147	229	
रोहतक	169	11	180	169	11	180	38	26	64	
झज्जर	25	58	83	25	58	83	0	182	182	
करनाल	189	70	259	200	80	280	0	49	49	
पानीपत	16	178	194	16	85	101	0	93	93	
सोनीपत	0	113	113	0	113	113	4	23	27	
हिसार	15	560	575	15	560	575	55	212	267	
फतेहाबाद	0	86	86	0	86	86	39	287	326	
सिरसा	11	329	340	11	329	340	29	101	130	
भिवानी	86	676	762	11	648	659	42	113	155	
जीन्द	630	608	1238	630	608	1238	28	669	697	
गुड़गॉव	75	413	488	126	460	586	51	71	122	
फरीदाबाद	0	247	247	0	247	247	17	167	184	
पलवल	0	23	23	0	23	23	72	134	206	
मेवात	431	258	689	433	258	691	345	109	454	
महेन्द्रगढ़	116	694	810	121	698	819	475	160	635	
रेवाड़ी	26	741	767	26	741	767	46	49	95	
योग	**2229**	**5981**	**8210**	**2235**	**6030**	**8265**	**1417**	**2738**	**4155**	
नोटः–	(क) न्यायालयों में ले जाए गए केस । (ख) भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 के अधीन निपटाये गये केस । (ग) ऐसे केस जिन में अपराधियों का पता नहीं लगा ।									

वन फार्म संख्या 14

(अनुच्छेद 76,78 व 79 वन विभाग संहिता सातवॉ संस्करण)

वर्ष 2015–16 के दौरान आग से रक्षित वन क्षेत्र

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

क. स.	मण्डल	गत वर्ष संरक्षण करने का प्रयत्न किया गया क्षेत्र	वास्तव में सुरक्षित वन क्षेत्र	ऐसा क्षेत्र जिसका वर्ष के दौरान संरक्षण करने का प्रयत्न किया गया	असफल क्षेत्र	वर्ष के दौरान वास्तव में सुरक्षित वन क्षेत्र	वर्ष में लागत (रुपये में)	विशेष कथन
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोरनी–पिंजौर	38366.33	38366.33	38214.54	4.50	38210.04	3000000	अग्नि रेखा की मुरम्मत
2	यमुनानगर	21756.32	21733.32	21731.86	0.00	21731.86	3944000	
3	अम्बाला	5136.54	5136.54	5294.40	0.00	5294.40		
4	कुरुक्षेत्र	4517.55	4517.55	4517.55	0.00	4517.55		
5	कैथल	7216.31	7216.31	7216.31	14.80	7201.51	1000000	
6	रोहतक	4594.35	4594.35	4594.35	0.00	4594.35		
7	झज्जर	3991.78	3991.78	3991.78	0.00	3991.78		
8	करनाल	7631.30	7631.30	7633.65	0.00	7633.65		
9	पानीपत	4152.85	4152.85	4152.85	0.00	4152.85		
10	सोनीपत	8443.51	8443.51	7386.06	0.00	7386.06		
11	हिसार	6313.13	6313.13	6313.13	0.00	6313.13		
12	फतेहाबाद	5550.84	5550.20	5550.84	0.00	5550.84		
13	सिरसा	4804.41	4804.41	4804.41	0.00	4804.41		
14	भिवानी	9098.32	9098.32	9098.32	0.00	9098.32		
15	जीन्द	6849.71	6849.71	6849.71	0.00	6849.71		
16	गुड़गांव	8899.66	8899.66	8899.66	0.00	8899.66		
17	फरीदाबाद	7019.08	7019.08	7019.08	0.00	7019.08		
18	पलवल	2948.63	2948.63	2948.63	0.00	2948.63		
19	मेवात	7877.76	7877.76	7877.76	0.00	7877.76		
20	महेन्द्रगढ़	5726.05	5726.05	5726.05	0.00	5726.05		
21	रेवाड़ी	4935.03	4935.03	4935.03	0.00	4935.03		
योग		**175829.46**	**175805.82**	**174755.97**	**19.30**	**174736.67**	**7944000**	

वन फार्म संख्या–15

(अनुच्छेद 76,78 व 79 वनविभाग संहिता सातवॉ संस्करण)

वर्ष 2015–16 के दौरान दावानल के कारण क्षति

आरक्षित अथवा अग्निरेखा क्षेत्र में लगने वाली आग

क.सं.	मण्डल	दुर्घटना द्वारा तथा अग्नि रेखा से जलाने में असावधानी से लगी आग		बाध्य अग्नि रेखा पार करके वनों में लगने वाली आग		वनों में नियुक्त कर्मचारी, वन उपज केताओं और काटने वाले व्यक्तियों द्वारा		वनों में से गुजरनेवाले ग्रामीणों/ यात्रियों आदि द्वारा लगने वाली आग	
		कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है0 में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है0 में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है0 में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है0 में)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी–पिंजौर	0	0	0	0	0	0	0	0
2	यमुनानगर	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अम्बाला	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कैथल	0	0	0	0	0	0	0	0
6	रोहतक	0	0	0	0	0	0	0	0
7	झज्जर	0	0	0	0	0	0	0	0
8	करनाल	0	0	0	0	0	0	0	0
9	पानीपत	0	0	0	0	0	0	0	0
10	सोनीपत	0	0	0	0	0	0	0	0
11	हिसार	0	0	0	0	0	0	0	0
12	फतेहाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0
13	सिरसा	0	0	0	0	0	0	0	0
14	भिवानी	0	0	0	0	0	0	0	0
15	जीन्द	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गुड़गॉव	0	0	0	0	0	0	0	0
17	फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0
18	पलवल	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मेवात	0	0	0	0	0	0	0	0
20	महेन्द्रगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
21	रेवाड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

क.स.	मण्डल	रेलवे ईजंनों द्वारा दुर्घटना से		लापरवाही के कारण हानि, विद्युत द्वारा या अग्नि द्वारा		नई घास प्राप्त करने के लिये लगाई गई आग		शिकार समाप्त करने अथवा झाड़ियॉ इत्यादि कम करने के लिए लगाई गई आग	
		कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है0 में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है0 में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है0 में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है0 में)
		10	11	12	13	14	15	16	17
1	मोरनी–पिंजौर	0	0	0	0	0	0	0	0
2	यमुनानगर	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अम्बाला	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कैथल	0	0	0	0	0	0	0	0
6	रोहतक	0	0	0	0	0	0	0	0
7	झज्जर	0	0	0	0	0	0	0	0
8	करनाल	0	0	0	0	0	0	0	0
9	पानीपत	0	0	0	0	0	0	0	0
10	सोनीपत	0	0	0	0	0	0	0	0
11	हिसार	0	0	0	0	0	0	0	0
12	फतेहाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0
13	सिरसा	0	0	0	0	0	0	0	0
14	भिवानी	0	0	0	0	0	0	0	0
15	जीन्द	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गुड़गॉव	0	0	0	0	0	0	0	0
17	फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0
18	पलवल	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मेवात	0	0	0	0	0	0	0	0
20	महेन्द्रगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
21	रेवाड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

क्र. सं.	मण्डल	दुर्भावना से लगाई गई आग		जोड़		अज्ञात कारणों से		जोड़ क,ख तथा ग	
		कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है0 में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है0 में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है0 में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है0 में)
		18	19	20	21	22	23	24	25
1	मोरनी–पिंजौर	0	0	0	0	3	4.50	3	4.50
2	यमुनानगर	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	अम्बाला	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कैथल	0	0	0	0	3	14.80	3	14.80
6	रोहतक	0	0	0	0	0	0	0	0
7	झज्जर	0	0	0	0	0	0	0	0
8	करनाल	0	0	0	0	0	0	0	0
9	पानीपत	0	0	0	0	0	0	0	0
10	सोनीपत	0	0	0	0	0	0	0	0
11	हिसार	0	0	0	0	0	0	0	0
12	फतेहाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0
13	सिरसा	0	0	0	0	0	0	0	0
14	भिवानी	0	0	0	0	0	0	0	0
15	जीन्द	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गुड़गॉव	0	0	0	0	0	0	0	0
17	फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0
18	पलवल	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मेवात	0	0	0	0	0	0	0	0
20	महेन्द्रगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
21	रेवाड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**6**	**19.30**	**6**	**19.30**

वन विभाग, हरियाणा

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला

सी–18, वन भवन, सैक्टर–6, पंचकूला

दूरभाष/फैक्स : +91-172-2563988, 2563861, E-mail : cfplg@yahoo.com